46 वीं वार्षिक प्रतिवेदन
2015 - 2016

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.
(भारत सरकार का उद्यम)

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत गंगा की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम

विषय–सूची

	पृष्ठ संख्या
निदेशक बोर्ड	3
संदर्भ सूचना	4
गत 5 वर्षों की वित्तीय स्थिति	5
अध्यक्ष का उद्‌बोधन	6
सूचना	9
निदेशकों की रिपोर्ट एवं उपाबंध	17
• प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	33
• निगम शासन पर रिपोर्ट	40
• निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता रिपोर्ट	60
• संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/ इन्तजामों जिसके अंतर्गत – (एओसी–2)	65
• वार्षिक रिटर्न का सार (एमजीटी 9)	66
• सचिवालयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट और कंपनी का सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का प्रत्युत्तर	75
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	80
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी का प्रत्युत्तर	90
वित्तीय विवरणियां	100
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	104
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	110
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	132

मिशन / ध्येय

गुणवत्ता और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए एक अग्रणी अद्योपांत परियोजना निष्पादन कम्पनी बनाना, जो सतत् रूप से स्टेकहोल्डरों के मूल्य का वर्धन कर रही है।

उद्देश्य

1. नए कारबार क्षेत्रों में विस्तार करते हुए अपने सर्वाधिक लाभदायक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए कारबार का अनुरक्षण करना।
2. मूल्य सृजन पर अनवरत ध्यान केंद्रित करते हुए अपवादित ग्राहक सेवा का परिदान करना।
3. गुणवत्ता और मार्जिन पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करते हुए प्रचालन उत्कृष्टता का अनुसरण करना।

निदेशक बोर्ड

(46वीं एजीएम की दिनांक तक)

श्री एस पी एस बक्शी
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री वीनू गोपाल
निदेशक (परियोजनाएं)

श्री आर. के. सिंह
अंशकालिक शासकीय निदेशक

श्री सिया शरन
अंशकालिक शासकीय निदेशक

डॉ. के. एस. राव
स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती अनिता चौधरी
स्वतंत्र निदेशक

श्री सुशांत बालिगा
स्वतंत्र निदेशक

संदर्भ सूचना

पंजीकृत कार्यालय
कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003
फोन नं : 91–11–24361666
फैक्स : 91–11–24363426
ई.मेलः epico@engineeringprojects.com
वेबसाइट: www.engineeringprojects.com

क्षेत्रीय कार्यालय
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय – कोलकाता
50, चौरंगी रोड, (8वीं और 9वीं मंजिल),
कोलकाता–700 071
फोन : 91–33–22824426–27–29
फैक्स : 91–33–22824428
ई–मेल : ero@engineeringprojects.com

पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय–मुंबई
''बख्तावर'', 6ए, 6वां मंजिल,
नरीमन पांईट, मुंबई . 400 021
फोन : 91–22–22027585, 22026347
फैक्स : 91–22–22882177
ई–मेलः wromumbai@engineering
projects.com

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय–दिल्ली
कोर– 3, दूसरा तल, स्कोप कॉम्प्लैक्स,
7 लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
फोन : 91–11–24361666
फैक्स : 91–11–24368293
ई– मेलः nro@engineeringprojects.com

दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय –चैन्नई
3 डी, ईस्ट कोस्ट चैम्बर्स,
92, जी.एन, चेट्टी रोड,
टी नगर, चैन्नई–600 017
फोन : 91–44–28156886, 28156421
फैक्स : 91–44–28156629
ई–मेलः sro@engineeringprojects.com

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय
4 मंजिल, हिंदुस्तान टॉवर,
ब्लॉक–ए, जवाहर नगर, राष्ट्रीय
राजमार्ग संख्या 37, बेलटाला
गुवाहाटी–781022 (असम)
फोनः 0361–2133686
फैक्सः 0361–2223617
ई– मेलः neroguwahati@rediffmail.com
& neroguwahati@gmil.com

शिविर कार्यालय मस्कट
इंजीनियर– 3 परियोजना
सी/ओ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया)
लिमिटेड –ओमान,
पोस्ट बॉक्स सं. 3251
डाक कोड : 112 आरयूडब्ल्यूआई
ओमान सल्तनत
ई–मेल आईडीः shamsher-singh
@engineeringprojects.com
फोन : +96891376103

श्रीलंका परियोजना
पाइप्स /वी / 10
49/38 सी, ऑफ टैम्पल रोड
कुरूमानकडू, वावुनिया, उत्तरी प्रांत श्रीलंका
पिन कोड : 43000
फोनः +94–24–2227423

सउदी अरेबिया कार्यालय
पी. ओ. बॉक्स–69983,
रियाद–11557
किंगडम ऑफ सउदी अरेबिया (केएसए)
फोन : +966–11–4884394
फैक्स : +966–11–4884394–एक्स–9
ई–मेल आईडीः
feroz.rehman@engineeringprojects.com

लेखा परीक्षक :
कानूनी लेखा परीक्षक
मैसर्स जी.एस.ए. एण्ड एसोसिएट,
लागत लेखा परीक्षक
चार्टर्ड अकाउंटेंट, 16, डीडीए फ्लैट्स,
भूतल पंचशील–शिवालिक मोड,
मालवीय नगर के पास,
नई दिल्ली–110017

शाखा लेखापरीक्षक
मैसर्स योगानंद एण्ड राम
चार्टर्ड अकाउंटेंट
जी –1, श्री विष्णु अपार्टमेंट
12, बारहवां क्रॉस स्ट्रीट
दंडीश्वरम नगर
वेलाचेरी, चैन्नई–600 042 तमिलनाडु

मैसर्स डी चक्रवर्ती एण्ड सेन
चार्टर्ड अकाउंटेंट
बीकानेर बिल्डिंग, पहला तल,
8– बी, लालबाजार स्ट्रीट
कोलकाता–700001 पश्चिम बंगाल

मैसर्स एबीएम एण्ड एसोसिएट्स
एलएलपी चार्टर्ड अकाउंटेंट
1, अभिषेक बिल्डिंग, बी–72/2,
सेक्टर 23, सीवुड्स, नेरूल,
नवी मुंबई–400706

मैसर्स आय्यर एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
607, आकाशदीप 26–ए,
बाराखम्बा रोड नई दिल्ली–110001

विदेशी शाखा लेखापरीक्षक
शाखा लेखापरीक्षक श्रीलंका
मैसर्स जयसिंघे एण्ड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट, 94/12, कूरूलापोने
एवेन्यू, कोलंबो–05

शाखा लेखापरीक्षक ओमान
मैसर्स एमएचएमवाई लेखापरीक्षक
चार्टर्ड अकाउंटेंट, पी.ओ. बॉक्स . 385,
जिब्रू, पी. सी.–114, मस्कट
ओमान सल्तनत

लागत लेखापरीक्षक
मैसर्स ए.जी. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
लागत लेखाकार
IIबी/76, ऊषा विला, वैशाली,
गाजियाबाद, उ.प्र.–201010

सचिवालयी लेखापरीक्षक
मैसर्स विशाल अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
39/2068, नाईवाला, 315, डाखा चैम्बर्स,
करोल बाग, नई दिल्ली–110005

बैंकर्स
इलाहाबाद बैंक
ऐक्सिस बैंक
बैंक ऑफ बड़ोदा
बैंक ऑफ इंडिया
केनरा बैंक
कॉर्पोरेशन बैंक
देना बैंक
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
आईडीबीआई बैंक
इंडियन ओवरसीज बैंक
इंडसइंड बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
भारतीय स्टेट बैंक
सिंडिकेट बैंक

गत 5 वर्षों की वित्तीय स्थिति

(रुपये लाख में)

विशिष्टियां / वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
क. परिचालन संबंधी सांख्यकीय					
टर्नओवर (प्रचालन आय)	90127.34	84060.96	85516.72	103,128.21	129,546.44
अन्य आय	3645.25	4443.17	3534.00	2,789.27	2,772.96
कुल आय (क)	93772.59	88504.13	89050.72	105,917.48	132,319.40
कुल व्यय (ख)	89416.13	84615.02	85398.78	100,991.01	127,805.15
सकल मार्जीन (क–ख)	4356.46	3889.11	3651.94	4,926.47	4514.25
ब्याज	647.45	631.76	942.11	706.15	580.93
अवक्षयण	72.53	91.89	99.30	99.62	114.15
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	3636.46	3165.46	2610.53	4,120.70	3,819.17
आय–कर	1189.75	1019.58	911.09	1,412.08	1364.55
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	2446.71	2145.87	1699.44	2,708.62	2454.63
ऑपरेटिंग भंडार पर संक्रमणकालीन मूल्य–ह्रास प्रभाव	-	-	-	4.37	-
संदत्त लाभांश	708.45	708.45	708.45	708.45	1,081.55
लाभांश वितरण कर का भुगतान	114.93	120.40	120.40	144.22	220.18
आरक्षित और अधिक्य में अग्रणीत अधिशेष	1623.33	1243.62	862.73	1,851.58	1152.90
कर्मचारियों की संख्या	419	435	437	436	400
10/.रु. प्रत्येक के इक्विटी शेयरों की संख्या	35422688	35422688	35422688	35422688	35422688
ख. वित्तीय स्थिति					
शेयर पूंजी	3542.27	3542.27	3542.27	3,542.27	3,542.27
आरक्षित और अधिक्य (मुक्त आरक्षित)	14130.76	15374.37	16237.10	18,088.67	19,241.57
सीएसआर आरक्षित	-	76.98	7.86	-	-
निवल मूल्य (शेयरधारकों की निधि)	17673.03	18916.64	19779.37	21,630.94	22783.84
नियोजित पूंजी	17673.03	18916.64	19779.37	21,630.94	22783.84
ग. वित्तीय अनुपात					
प्रति कर्मचारी टर्नओर (लाख रुपये में)	215.10	194.14	195.69	236.53	323.87
सकल मार्जिन/टर्नओवर (%)	4.83	4.63	4.27	4.78	3.48
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)/टर्नओवर (%)	4.03	3.77	3.05	4.00	2.95
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)/निवल मूल्य (%)	20.58	16.73	13.20	19.05	16.76
कर पश्चात् लाभ (पीएटी)/निवल मूल्य (%)	13.84	11.34	8.59	12.52	10.77
संदत्त लाभांश/कर पूर्व लाभ (%)	19.48	22.38	27.14	17.19	28.32
संदत्त लाभांश/कर पश्चात् लाभ (पीएटी) (%)	28.96	33.01	41.69	26.16	44.06
आधारिक और तनुकृत इपीएस (रुपए में)	6.91	6.06	4.80	7.65	6.93
10/–रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य का प्रति शेयर एनएवी	49.89	53.40	55.84	61.07	64.32

अध्यक्ष का उद्‌बोधन

प्रिय शेयरधारको,

मुझे आपकी कंपनी की 46वीं वार्षिक साधारण बैठक में आपका स्वागत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 2015–16 के लिए 46वीं वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों की रिपोर्ट है, जिसके अंतर्गत प्रबंध चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, निगम शासन पर रिपोर्ट, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भारणीयता पर रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे, स्वतंत्र एवं सचिवालयी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां सम्मिलित है, यह आपके सामने प्रस्तुत है।

औद्योगिक परिदृश्य :

औद्योगिक क्षेत्र देश में उच्चतर आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। वर्ष 2015–16 वैश्विक उथल–पुथल वाले आर्थिक वातावरण का साक्ष्य रहा है। जिसमें मुख्य अर्थव्यवस्थाओं ने वृद्धि में कमी के संकेत प्रदर्शित किए हैं। तथापि भारतीय अर्थव्यवस्था उच्चतर वृद्धि दर के साथ सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई है। विनिर्माण क्षेत्र इस उच्च वृद्धि दर को बनाए रखने में मुख्य अंशदाता रहा है। तथापि भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई है। विनिर्माण सेक्टर इस वृद्धि दर को बनाए रखने में सबसे बड़ा अंशदाता रहा है। सरकार द्वारा औद्योगिक वृद्धि के लिए समर्थकारी वातावरण तैयार करने के लिए उठाए गए अनेक नीति उपायों ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतः प्रवाह को बढ़ाने पर अपना प्रभाव प्रदर्शित करना आरंभ किया है, अवसंरचना में बेहतर प्रदर्शन देखा जा रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अवसंरचना क्षेत्र भी एक मुख्य केंद्र रहा है। यह क्षेत्र भारत के समग्र विकास को नोदित करने के लिए अत्याधिक उत्तरदाई है और ऐसी नीतियां तैयार करने के लिए जिन से देश में समयबद्ध रूप से विश्व स्तरीय अवसंरचना तैयार करने में नीतियां प्रारंभ करने के लिए सरकार का इस पर अत्याधिक ध्यान रहता है। मेक इन इंडिया, कारोबार करने में आसानी, स्टार्ट अप, इंडिया डिजिटल इंडिया और स्मार्ट शहर आदि जैसी महत्वपूर्ण पहलों से औद्योगिक क्षेत्र और उद्योगों को और प्रोत्साहन मिलेगा। इनसे देश में आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण प्रचालन होने की संभावना है। इन पहलों से अवसंरचना क्षेत्र को परिवर्तित करने में भी सहायता मिलेगी, जोकि अधिक वृद्धि दर को हासिल करने और बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।

कारबार के अवसर :

कारबार का विस्तार करने के लिए कंपनी की भावी रणनीति वैश्विक बाजार पर ध्यान केंद्रित करने की होगी। जिसमें घरेलू बाजार की तुलना में लाभ का अच्छा मार्जिन रहता है। घरेलू बाजार जहां कठोर प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ नगण्य रूप से दो से तीन प्रतिशत होता है। ओमान और श्रीलंका के अतिरिक्त जहां कंपनी की पहले से ही उपस्थिति है, कंपनी ने सऊदी अरब में अपना कार्यालय स्थापित कर लिया है और अपने विपणन कार्यकलापों को आरंभ कर दिया है। अफ्रीकन देशों मलेशिया, कुवैत, दुबई, बांग्लादेश, नेपाल, म्यानमार, आदि में, अवसरों की तलाश की जा रही है। कंपनी विकासशील और मध्य–पूर्व के देशों में रियल एस्टेट और अवसंरचना क्षेत्र में अवसरों को हासिल करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।

आपकी कंपनी स्मार्ट शहरों परियोजनाओं, सड़क परियोजनाओं, बड़े/छोटे बंदरगाह (अंतर्देशीय जलमार्ग), हवाई अड्डा परियोजनाओं, रेलवे कार्य, एमआरटीएस, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं आदि में उत्पन्न होने वाले अवसरों को हासिल करने के लिए प्रयास कर रही है।

विपणन पहलें :

आपकी कंपनी एक लंबे अंतराल के बाद विदेशी बाजारों में पुनः प्रविष्ट हुई है और इसने ओमान, श्रीलंका आदि में विदेशी परियोजनाएं प्राप्त की है तथा मलेशिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, कुवैत और अफ्रीकन देशों में कारबार हासिल करने के लिए और अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। आपकी कंपनी स्मार्ट शहरों, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, शहरी अवसंरचना, सीमा प्रबंधन, सड़क और रेलवे क्षेत्र की परियोजनाओं में भारत के साथ–साथ विदेशों में उद्भूत होने वाले अवसरों को हासिल करने के लिए भी प्रयास कर रही है।

भारत सरकार की विभिन्न पहलों नीतियों जैसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, मेक इन इंडिया आदि को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी अवसंरचना विकास क्षेत्र में कार्य हासिल करने के लिए समुचित निकायों के साथ समझौता ज्ञापनों में प्रविष्ट हुई है/हो रही है।

कार्य–निष्पादन की मुख्य विशेषताएं :

वर्ष 2015–16 के दौरान आपकी कंपनी ने भारत और विदेश (ओमान परियोजना चरण-II) में 4012 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं हासिल की। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि, चालू वर्ष की आदेश पुस्तिका में आदेशों की संख्या में पूर्ववर्ती वर्षों की आदेश पुस्तिका की तुलना में दोगुनी हो गई है। अधिक से अधिक परियोजना प्रबंधन सलाह संविदांओं को हासिल करने पर ध्यान दिया जा रहा है। आपकी कंपनी पहले ही विशेषज्ञ परियोजनाओं अर्थात् धातु विज्ञान और सामग्री हस्तालन, के क्षेत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र, बिहार में दूध उत्पादन और पशु चारा, सड़क फ्लाईओवर परियोजना देहरादून का निष्पादन कर रही है। आपकी कंपनी स्वच्छ गंगा अभियान (एनएमसीजी), जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार के अधीन पश्चिम बंगाल राज्य में महत्वपूर्ण गंगा परियोजना का भी निष्पादन कर रही है। मुझे विश्वास है कि, कंपनी भिन्न क्षेत्रों में पदार्पण कर नए कारबार के क्षेत्रों में प्रविष्ट होने के माध्यम से और वृद्धि करेगी।

वित्तीय विशेषताएं :

मुझे यह कथन करते हुए गर्व हो रहा है कि, वर्ष 2015–16 में कंपनी की कुल आय 1323.19 करोड़ रुपए पूर्व वर्ष की तुलना में अधिक है। आपकी कंपनी ने 1,29,546 लाख रुपए का प्रचालन आवर्त हासिल किया है, जो पूर्व वर्ष की तुलना में 25.62 प्रतिशत वृद्धि है, जो कि वर्ष 2005–06 के पश्चात से सबसे अधिक वृद्धि रही है।

प्रचालन विशेषताएं :

वर्ष 2015–16 के दौरान 'औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र, सामग्री हस्तालन और विद्युत सीमा प्रबंधन परियोजना' क्षेत्र कंपनी के कुल आवर्त में सबसे बड़ा भागीदार (57.20 प्रतिशत) रहा इसके पश्चात आवास एवं भवन संकर्म रहा, जिसका प्रतिशत भाग बढ़कर 35.67 प्रतिशत हो गया। पिछले वर्षों में कंपनी ने अपना ध्यान 'औद्योगिक प्रक्रिया संयंत्र सामग्री हस्तालन और प्रौद्योगिकीय परियोजना' सेगमेंट पर अंतरित किया जो एक विशेषीकृत क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने के कंपनी के प्रयासों को दर्शाता है।

आपकी कंपनी ने 1295.46 करोड़ रुपए का ऊंचा प्रचालन आवर्त हासिल किया, जिसमें 797.69 करोड़ (61.58 प्रतिशत) घरेलू परियोजनाओं से और 497.78 करोड़ (38.42%) विदेशी परियोजनाओं (अर्थात् ओमान एवं श्रीलंका परियोजनाएं) से हैं।

समझोता ज्ञापन के अधीन कार्य निष्पादन :

वर्ष 2014–15 के लिए सरकार के साथ कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के निबंधनों में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा कंपनी के कार्य निष्पादन को ''बहुत अच्छा'' रेटिंग प्रदान की गई है।

लाभांश :

आपके निदेशकों ने वर्ष 2014–15 में प्रति शेयर दो रुपए के की तुलना में वर्ष 2015–16 में 3.05 रुपए प्रति शेयर (पूर्णांकित) के लाभांश की सिफारिश की है।

मानव संसाधन :

आपकी कंपनी अपने मानव संसाधनों जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक और महिला कर्मचारी भी हैं, के विकास पर उन्हें इन हाऊस प्रशिक्षण कार्यक्रमों सेमिनारों और कार्यशालाओं के लिए नाम निर्दिष्ट कर उनके विकास पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि, विभिन्न स्तरों पर तकनीकी संचार और वैयक्तिक कौशलों की वृद्धि हो सके। आपकी कंपनी विद्यमान जनशक्ति को प्रतिधारित करने के लिए सभी प्रयास करती है।

निगम शासन :

आपकी कंपनी दृढ़तापूर्वक यह विश्वास करती है कि, अच्छा निगम शासन प्रभावी और बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रबंधन को सुकर बनाता है, जो कंपनी को चिरकालिक सफलता प्रदान कर सकता है। कंपनी का पारदर्शिता का सुनिश्चित करने के लिए एक वर्क्स मेनुअल और लेखा परीक्षा मैनुअल है। कंपनी सतत् रूप से लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगम शासन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों की अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है।

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता :

आपकी कंपनी पारस्परिक विश्वास और आदर द्वारा परियोजना स्थल में और उसके आसपास लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करके सकारात्मक और चिरकालिक सामाजिक प्रभाव का सृजन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वर्ष 2015–16 के दौरान, आपकी कंपनी ने स्वच्छ विद्यालय अभियान के अधीन असम और पश्चिम बंगाल राज्य में निर्मित 10 शौचालयों के अनुरक्षण का कार्य हाथ में लिया है और वैदिककुंडा ग्राम आंध्र प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए आरओ संयंत्र उपलब्ध कराया है, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में आरओ संयंत्र और सौर प्रकाश उपलब्ध कराया है। आने वाले वर्ष के लिए कार्यकलापों का ब्यौरा देते हुए एक रिपोर्ट निवेशकों की रिपोर्ट के साथ उपाबंध के रूप में उपाबद्ध है।

अभिस्वीकृति :

मैं, निदेशक बोर्ड और स्वयं की ओर से, कर्मचारियों की उत्कृष्ट प्रतिबद्धता और मेहनत के लिए प्रशंसा को अभिलेख पर रखना चाहता हूं, जिनके सत्यनिष्ठ और सतत् प्रयासों के बिना उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त नहीं होते, मैं बोर्ड के सदस्यों, भारत सरकार और विशेषकर भारी उद्योग विभाग अन्य सरकारी विभागों, शेयरधारकों, कानूनी लेखा परीक्षकों एवं अन्य लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कारबार सहयोगियों और बैंकों से प्राप्त सतत् सहायता और मार्गदर्शन के लिए भी आभारी हूं। मैं अभिलेख पर अपने आदरणीय ग्राहकों, कारबार सहयोगियों और बैंकों के प्रति निष्ठापूर्वक धन्यवाद रखना चाहता हूं। जिन्होंने आपकी कंपनी में फिर से अपने विश्वास को रखा है। हम भविष्य में और अधिक सफलता के लिए सभी प्रयास करते हैं, के साथ ही हमें अपने पणधारियों के पूर्ण समर्थन का विश्वास भी है।

ह0/–
(एस पी एस बक्शी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 02548430

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 30 सितम्बर, 2016

सूचना

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि, 46वीं वार्षिक साधारण बैठक शुक्रवार दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को 11.30 बजे पूर्वाह्न उसके रजिस्ट्रीकृत और निगम कार्यालय, कोर–3, स्कोप कॉम्पलैक्स, (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में निम्नलिखित कारबार का संव्यवहार करने के लिए आयोजित की जाएगी।

साधारण कारबार :

1. 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निदेशक बोर्ड और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी की संपरीक्षित वित्तीय विवरणियों को प्राप्त करना, विचार करना और अंगीकृत करना तथा उपांतरणों सहित या उसके बिना निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

   ''यह संकल्प करते हैं कि, 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियां और 31 मार्च, 2016 को समाप्ति हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा के साथ टिप्पणियां और उपाबंध तथा उनपर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और अपने उपबंधों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट जिसके अंतर्गत प्रबंध चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट, निगम शासन पर रिपोर्ट एवं निगम सामाजिक दायित्व और भरणीय रिपोर्ट, सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट, वार्षिक रिटर्न का सार (एमजीटी–9) प्ररूप, संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/इन्तजामों की विशिष्टियों के प्रकटन के लिए एओसी–2 जैसाकि बैठक के समक्ष अधिकथित है एतद्द्वारा अनुमोदित तथा अंगीकृत किया जाता हैं।''

2. वित्त वर्ष 2015–16 के लिए साम्या शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना और उपांतरणों के साथ यह उसके बिना निम्नालिखित संकल्प पारित करना :

   ''**संकल्प करते हैं कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसरण में वर्ष 2015–16 के लिए @ 3.05 रुपए प्रति शेयर की दर से लाभांश 10.82 करोड़ रुपए होता है, जोकि 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार 216.31 करोड़ रुपए की शुद्ध आवर्त रकम का 5 प्रतिशत है की उन शेयर धारकों के पक्ष में घोषणा की जाती है जिनका नाम वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) की तारीख को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है।''

विशेष कारबार :

3. 5 सितम्बर, 2016 को आयोजित निदेशक बोर्ड की 249 बैठक में यथा अनुमोदित वित्त वर्ष 2016–17 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना (लेखा परीक्षा समिति द्वारा यथा अनुशंसित) और इस संबंध में विचार करना तथा उचित पाए जाने पर साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

   ''**संकल्प करते हैं कि** कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पाठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उपबंधों के अनुसरण में 59,940/– (उनसठ हजार नौ सौ चालीस रुपए मात्र) धन लागू सेवा कर, जिसके अंतर्गत परिवहन भत्ता/महंगाई भत्ता तथा जेबी व्यय नहीं है, को वास्तविक के आधार पर लेखा परीक्षा समिति द्वारा यथा अनुशंसित और निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र से बाहर के भ्रमणों पर मैसर्स ए. जी. अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स को वित्त

वर्ष 2016–17 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में संदत्त किया जाएगा और इसका एतद्वारा अनुसमर्थन तथा पुष्टि की जाती है।''

4. ईपीआई के संगम ज्ञापन में संशोधन

ईपीआई के संगम ज्ञापन का कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संसोधन/परिवर्तन करना और खंड 3 (क) की क्रम संख्या 5 के पश्चात निदेशक बोर्ड की 2 जनवरी 2016 को आयोजित 244 बैठक में यथा अनुमोदित चार मुख्य उद्देश्यों को जोड़ना और इस संबंध में विचार करना तथा उचित पाए जाने पर विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

"संकल्प करते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के उपबंधों के अनुसरण में और अन्य लागू उपबंध, यदि कोई हो, (जिसके अंतर्गत उनका कानूनी उपांतरण या तत्सम प्रवृत्त उनका कोई अधिनियमितीकरण भी है) और उसके अधीन विरचित नियमों के अनुसरण में, कंपनी के सदस्यों की सहमति है और एतद्वारा दी जाती है कि कंपनी के संगम ज्ञापन के खंड 3 (क) की क्रम संख्या 5 के पश्चात क्रम संख्या 6, क्रम संख्या 7, क्रम संख्या 8 और क्रम संख्या 9 जोड़ी जाए:

6. कोयला, कोयला भस्म, लौह–अयस्क, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, पाम आयल, खनिज तेल आदि सामग्रियों के उपापन/निर्यात और विक्रय के लिए सौदागरों, ठेकेदारों, अभिकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों, फैक्टरों, भंडागारकर्ता का कारबार करना।

7. पहले से ही प्रचालन कर रही परियोजना भवनों और जो सरकार राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सरकारी और राज्य प्राधिकरणों के स्वामित्व में हैं, की बड़ी नव संरचना परियोजनाओं के लिए अनुरक्षण/अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करना।

8. उपापन, आपूर्ति, प्रतिष्ठापन, औद्योगिक और वाणिज्यिक सुरक्षा प्रणालियों को चालू करना, सीमा प्रबंधन परियोजनाओं, रेलवे संकर्मों के लिए उपस्कर, यंत्रों, केबलों, संचार, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपस्कर और साधित्र, सुरक्षा कैमरे, नाइट विजन कैमरा संवेदक केबल, निगरानी/सुरक्षा प्रणालियां, स्मार्ट शहर शहरों के लिए नगर/टाउनशिप परियोजनाएं जैसे कि जल प्रबंधन आदि, जैसे कि, परमाणु स्थापना, विद्युत, सिविल, रिफाइनरी, विमानपत्तन और अन्य अवसंरचना कार्यकलाप, मॉल, होटल भवन और अनुरक्षण सेवाएं, सौर विद्युत उपस्कर, तथा यथा वर्णित पूर्वोक्त उपस्करों का प्रतिस्थापन, एकीकरण और चालू करना।

9. संनिर्माण/परियोजना/आईटी अवसंरचना से सम्बद्ध एकीकृत सॉफ्टवेयर प्रणालियों जिसके अंतर्गत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज, ई–गवर्नेंस कार्यक्रम और समाधान, उपग्रह आधारित निगरानी और सर्वेक्षण प्रणालियां, यातायात प्रबंधन/सिग्नल प्रसंस्करण प्रणाली से संबंधित संनिर्माण का पूरा किया जाना है और विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक संघटकों का उपानन/प्रतिष्ठापन करने के लिए जिसके अंतर्गत भारत और विदेशों में प्रशीतन प्रणाली, लैंन, वैन है जो डाटा केंद्र, प्रौद्योगिकी निष्पादन पार्कों/ई–गवर्नेंस/स्मार्ट सिटी/स्मार्ट ग्राम परियोजनाएं एकीकृत सेवाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित हैं।

''यह और संकल्प करते हैं कि संगम ज्ञापन के खंड 3ग का खंड 3 ख के साथ आवेदन कर लिया जाए और खंड 3 ग का क्रम संख्या 1 से 47 को खंड 3 ख के क्रम संख्या 5 के पश्चात अंतःस्थापित किया जाए और तद्नुसार पुनःसंख्याकित किया जाए अर्थात् क्रम संख्या 6 से क्रम संख्या 52।''

''यह और संकल्प करते हैं कि कंपनी के निदेशक/कंपनी के कंपनी सचिव को पृथक रूप से ऐसे सभी विलेख और कारवाई करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जो संकल्प को प्रभावी करने के लिए उचित और समीचीन हों।''

निदेशक बोर्ड के आदेश द्वारा

ह0/–
(सुधा वी. वरदन)
कंपनी सचिव
ईमेल–v.sudha@engineeringprojects.com

तारीख : 05 सितम्बर, 2016
स्थान : नई दिल्ली

टिप्पणियां :

1. बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र कंपनी का कोई सदस्य उसके द्वारा लिखित में सम्यक्त : हस्ताक्षरित प्रॉक्सी को उसके स्थान पर भाग लेने और मत देने के लिए नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी के वैध और प्रभावी होने के लिए यह आवश्यक है कि, उसे कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में सम्यतः भरा हुआ, स्टैम्प लगाया हुआ और हस्ताक्षरित रूप में बैठक के प्रारंभ होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व उसका परिदान कर दिया जाए। प्रॉक्सी का प्रारूप उपाबद्ध है।

2. निगमित सदस्यों को बोर्ड के संकल्प की सम्यतः अधिप्रमाणित प्रति भेजने का अनुरोध किया जाता है, जो बैठक में भाग लेने और उनकी ओर से मतदान देने के लिए उनके प्रतिनिधित्व को प्राधिकृत करे।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार, कोई व्यक्ति पचास से अनाधिक सदस्यों के निमित प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है, जो कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक धारण न कर रहे हों। कंपनी की कुल शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक को धारण करने वाला कोई सदस्य किसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है और ऐसा कोई व्यक्ति अन्य् किसी व्यक्ति के लिए या सदस्य के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105)। कोई प्रॉक्सी/प्ररूप जिसमें प्रॉक्सी के नाम का कथन नहीं है या तारीख रहित है को विधि मान्य नहीं समझा जाएगा साधारण बैठकों के सचिवालयी मानक (एसएस–2),।

4. प्रतिलिपि में नामनिर्देशन प्रारूप इसके साथ उपाबद्ध है। यह अनुरोध किया जाता है कि, कंपनी के सभी सदस्य उसे सम्यक्ता भरकर, हस्ताक्षर करके और स्टैम्प लगा कर वापस कर दें (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 113)।

5. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी हरित पहल पर परिपत्र संख्या दिनांक 21 अप्रैल 2011 और परिपत्र संख्या दिनांक 29 अप्रैल 2011 के अनुसरण में भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि, वह अपने ई–मेल पते को कंपनी रजिस्टर एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता (आरटीए) के पास रजिस्टर करें। इसमें किन्हीं परिवर्तनों की सूचना समय–समय पर हमें भी दी जा सकती है, ताकि कंपनी सूचना/दस्तावेजों की ई–मेल के माध्यम से शामिल करने में समर्थ हो सके।

6. वार्षिक साधारण बैठक के स्थान को उपदर्शित करते हुए मार्ग का मानचित्र इस सूचना के अंत में दिया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में मद संख्या 3 एवं 4 के संबंध में जैसा कि ऊपर अधिकथित है इस सूचना का भाग है।

मद संख्या 3 : लागत लेखाकार के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर मैसर्स ए जी अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स को कंपनी के वित्त वर्ष 2016–17 के लिए लागत अभिलेखों का लेखा परीक्षण संचालित करने के लिए 59,940/–रुपए (उनसठ हजार नौ सौ चालीस रुपए मात्र) धन लागू कर पर जिसके अंतर्गत परिवहन भत्ता/मंहगाई भत्ता नहीं है और जेबी व्यय जो दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर वास्तविक भ्रमणों के आधार पर संदत्त किए जाएंगे, नियुक्त किया है। कम्पनी अधिनियम 2013 के साथ पठित कंपनी (संपरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 148 के उपबंधों के अनुसरण में लागत लेखापरीक्षकों को सदत्त पारिश्रमिक का कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना होता है। तद्नुसार, सूचना की मद 3 का संकल्प कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन और अनुसमर्थन के लिए साधारण संकल्प के रूप में अधिकथित है।

कोई भी निदेशक या कंपनी का प्रबंधकीय कार्मिक या उनके नातेदार किसी भी रूप में वित्तीय या अन्यथा मद संख्या 3 में अधिकथित संकल्प से संबंधित या अन्यथा हितबद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 4 : ईपीआई के संगम ज्ञापन का संशोधन

कंपनी रेलवे के क्षेत्र में अपने और प्रचालनों का विस्तार करने का प्रस्ताव रखती है और वांछा करती है तथा अवसंरचना उद्योग को एण्ड टू एण्ड आई टी समाधान प्रदानकर्ता होने की भी वांछा रखती है। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम 2013 के अधिनियमितीकरण के कारण, कंपनी द्वारा उसके संगम अनुच्छेद को कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार करने की भी अपेक्षा है। तद्नुसार निदेशक बोर्ड ने 2 जनवरी 2016 को आयोजित अपनी 244वीं बैठक में ईपीआई के संगम अनुच्छेद कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संशोधित/परिवर्तित करने का और संगम ज्ञापन के खंड 3(क) के क्रम संख्या 5 के पश्चात चार मुख्य उद्देश्यों को जोड़ने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है। निदेशक बोर्ड ने 5 सितंबर 2016 को आयोजित अपनी बैठक में संगम ज्ञापन के परिवर्तित उदेश्य खंड को भी अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है। परिवर्तित/संशोधित संगम ज्ञापन **उपाबंध 1** पर है।

कंपनी अधिनियम 2013 के तद्धीन बनाए गए नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 13 के उपबंधों के अनुसार कोई कंपनी शेयरधारकों की वार्षिक बैठक में पारित विशेष संकल्प द्वारा संगम ज्ञापन परिवर्तित कर सकती है। तद्नुसार सूचना की मद संख्या 4 पर संकल्प कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए विशेष संकल्प के रुप में रखा गया है।

कोई भी निदेशक या कंपनी का प्रबंधकीय कार्मिक या उनके नातेदार किसी भी रूप में वित्तीय या अन्यथा मद संख्या 4 में अधिकथित संकल्प से संबंधित या अन्यथा हितबद्ध नहीं हैं।

सेवा में :

1. ईपीआई के सभी शेयर धारक

2. मैसर्स जी एस ए एवं एसोसिएट्स, प्राधिकृत लेखा परीक्षक,
16 डीडीए फ्लैट, भूतल, पंचशील शिवालिक मोड,
मालवीय नगर के पास, नई दिल्ली–110017

3. मैसर्स विशाल अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स (कम्पनी सचिव)
सचिवालयी लेखा परीक्षक, ईपीआई
39/2068, नाईवाला, 315, ढाका चैम्बर्स
करोल बाग, नई दिल्ली–110005

4. ईपीआई के सभी निदेशकों

प्रतिलिपि :

1. सचिव, भारत सरकार, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय,
भारी उद्योग विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली–110001

निदेशक बोर्ड के आदेश द्वारा

ह0/–
(सुधा वी. वरदन)
कंपनी सचिव
ई–मेल–v.sudha@engineeringprojects.com

तारीख : 05 सितम्बर, 2016
स्थान : नई दिल्ली

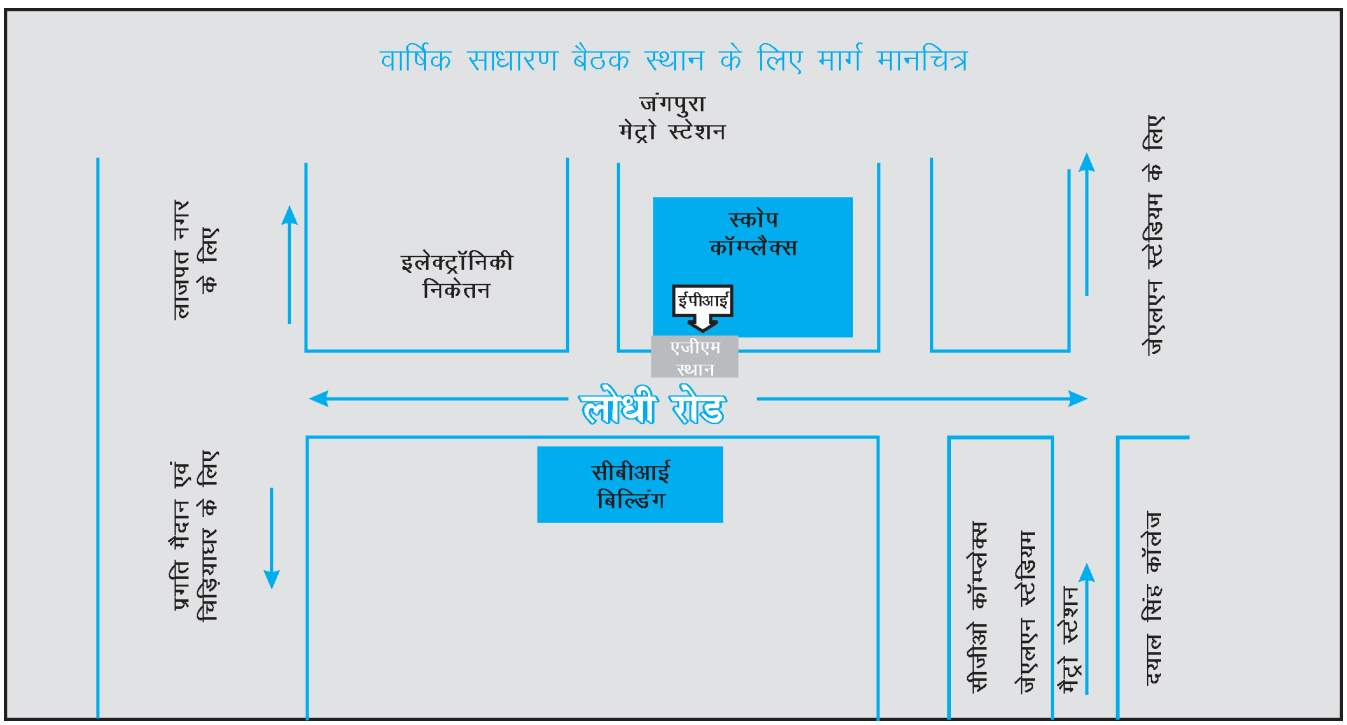

नामनिर्देशन प्ररूप :

सेवा में

कंपनी सचिव,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड,
सीआईएन : यू 27109 डीएल 1970 जीओआई 117585,
कोर–3 स्कोप कॉम्पलैक्स,
7, लोधी रोड़,
नई दिल्ली –110003

प्रिय महोदय/महोदया,

मैं श्री/श्रीमती.....

(नाम)

.....

(पदनाम)

को मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए 30 सितम्बर, 2016 को आयोजित की जाने वाली ईपीआई के शेयरधारकों की 46वीं वार्षिक साधारण बैठक (और उसकी कोई अन्य स्थगित बैठक) में नामनिर्दिष्ट करता हूं।

धन्यवाद,

भवदीय

ह0/–
पदनाम
मुहर और मुद्रा

स्थान :
तारीख :

प्ररूप संख्या एमजीटी – 11 प्रॉक्सी प्ररूप

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में,

सी आई एन :

कंपनी का नाम :

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय :

सदस्य(यों) का नाम	:
रजिस्ट्रीकृत पता	:
ई–मेल आईडी	:
फोलियो संख्या/ग्राहक पहचान	:
डीपी पहचान	:

मैं/हम पूर्वोक्त कंपनी के.....शेयरों के सदस्य होने के नाते निम्नलिखित को नियुक्त करते हैं :

1. नाम : .....
   पता : .....
   ई–मेल आईडी : .....
   हस्ताक्षर : ....., या उनके न होने पर

2. नाम : .....
   पता : .....
   ई–मेल आईडी : .....
   हस्ताक्षर : ....., या उनके न होने पर

3. नाम : .....
   पता : .....
   ई–मेल आईडी : .....
   हस्ताक्षर : .....

को मेरे/हमारे प्रॉक्सी– के रूप में मेरे/हमारे निमित्त भाग लेने के लिए और मत देने के लिए (मतदान होने पर) कंपनी की ..... को ..... बजे .....को आयोजित बैठक में या उसके किसी स्थगन में जिसकी बाबत ऐसे संकल्पों में जैसाकि नीचे उपदर्शित किया गया है, नियुक्त करते हैं :

संकल्प संख्या

1. .....
2. .....
3. .....

तारीख : ..... 20..... को हस्ताक्षरित

राजस्व टिकट लगाएं

शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक(कों) के हस्ताक्षर

टिप्पणः इस प्रॉक्सी के प्रभावी होने के लिए उसे सम्यक्ता भरकर कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में बैठक के प्रारंभ होने के कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा किया जाना चाहिए।

उपस्थिति पर्ची

46वीं वार्षिक साधारण बैठक, शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2016 को 11.30 बजे पूर्वाह्न

धृत शेयरों का रजिस्ट्रीकृत फोलियो संख्या .....डीपी पहचान.....ग्राहक पहचान/फायदाग्राही खाता संख्या. ..... आयोजित शेयरों की संख्या.....

मैं, प्रमाणित करता हूं कि, मैं कंपनी का रजिस्ट्रीकृत शेयरधारक हूं/कंपनी के रजिस्ट्रीकृत शेयरधारक की प्रॉक्सी हूं और एतद्वारा 46वीं वार्षिक साधारण बैठक, शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2016 को 11.30 बजे पूर्वाह्न, कोर 3, स्कोप कॉम्पलैक्स, चौथा तल, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में अपनी उपस्थिति अभिलिखित करता हूं।

.....

.....

सदस्यों/प्रॉक्सी का स्पष्ट अक्षरों में नाम **सदस्यों/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर**

टिप्पण : कृपया इस उपस्थिति पर्ची को भरें और हॉल के प्रवेश द्वार पर सौंप दें।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

आपके निदेशकों को वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन पर 46वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

1. वित्तीय विशेषताएं

वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी का पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त 1,03,128 लाख रूपए के आवर्त की तुलना में आवर्त 1,29,546 लाख रुपए रहा जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 25.62 प्रतिशत वृद्धि हुई है। कर से पूर्व (पीबीटी) अर्जित लाभ इस अवधि के दौरान वर्ष 2014–15 में अर्जित 4,121 लाख रूपए की तुलना में 3,819 लाख रुपए रहा जो पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 7.33 प्रतिशत कम है।

वर्ष 2015–16 के दौरान पूर्ववर्ती वर्ष में तत्स्थानी के साथ आपकी कंपनी की वित्तीय विशेषताएं नीचे दिए अनुसार हैं :

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	2015–16	2014–15
1	प्रचालन आवर्त	1,29,546	1,03,128
2	अन्य आय	2,773	2,670
3	कुल आय	1,32,319	1,05,798
4	समग्र मार्जिन	4,514	4,926
5	संदत्तम ब्याज	581	706
6	अवक्षयण	114	99
7	कर से पूर्व लाभ	3,819	4,121
8	कर	1,364	1,412
9	कर के पश्चात लाभ	2,455	2,709
10	निबल मूल्य	22,784	21,631

कंपनी का निबल मूल्य 21,631 लाख रुपए से बढ़कर 22,784 लाख रुपए हो गया जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 5.33 प्रतिशत वृद्धि है। वर्ष 2015–16 में नियोजित पूंजी पर रिटर्न 19.31 प्रतिशत है जोकि वर्ष 2014–15 में 22.32 प्रतिशत थी।

आवर्त – घरेलू एवं विदेशी

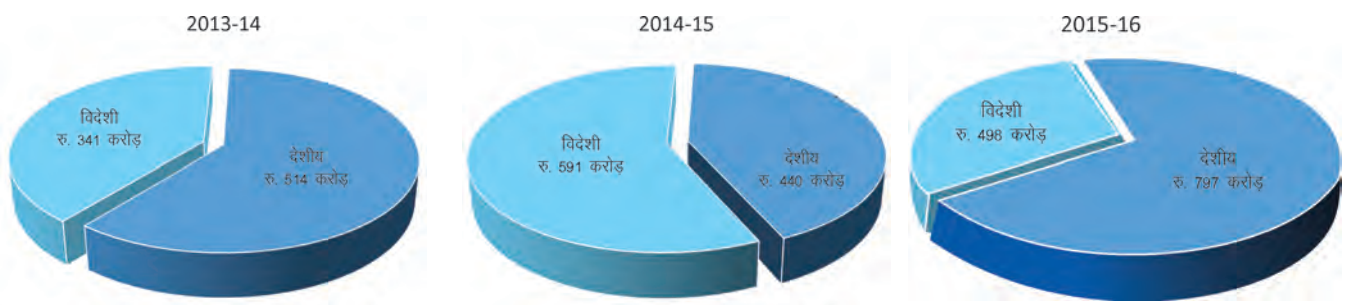

2. पूंजी ढांचा

कंपनी की प्राधिकृत और संदत्त शेयर पूंजी क्रमशः 909.40 करोड़ रुपए (जिसे 10 रुपए प्रत्येक के 909,404,600 सम्यक शेयरों में विभाजित किया गया है) और 35.42 करोड़ रुपए (जिसे 10 रुपए प्रत्येक के 35,422,688 साम्य शेयरों में विभाजित किया गया है)।

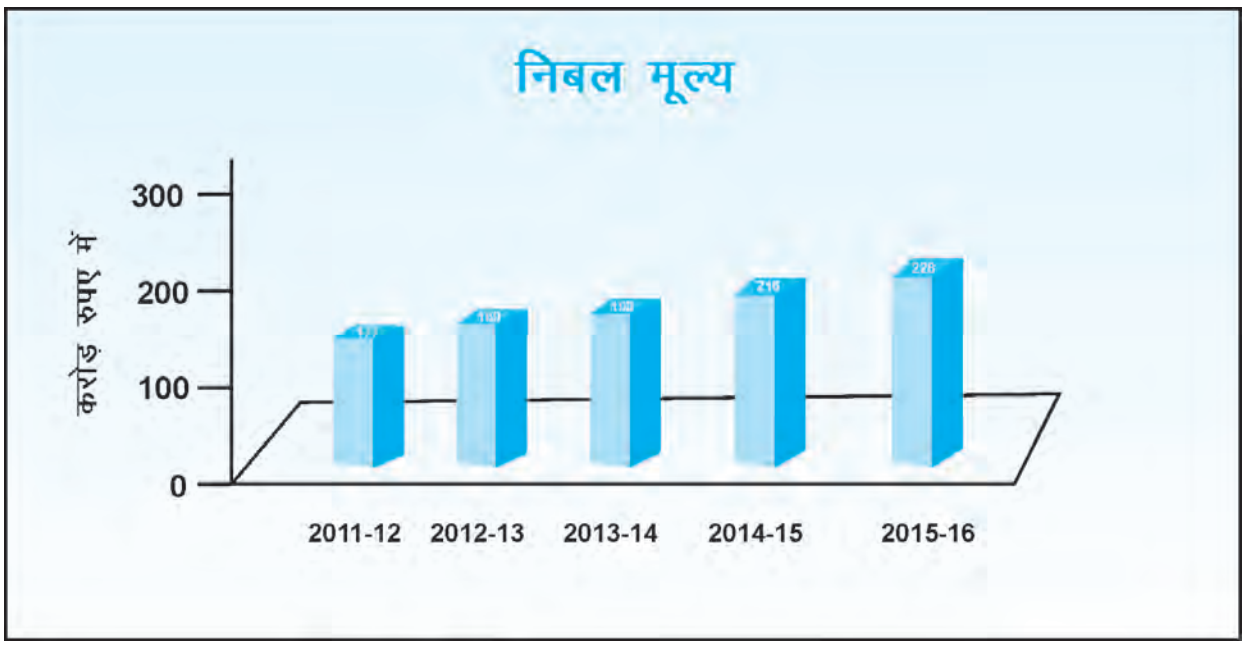

3. लाभांश एवं आरक्षितियां

आपके निदेशकों ने वर्ष 2015–16 के लिए प्रत्येक शेयर पर 3.05 रुपए के लाभांश की सिफारिश की है, जोकि वित्त वर्ष 2014–15 शुद्ध आवर्त का 5 प्रतिशत है। लाभांश का संदाय कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा। वर्ष 2015–16 के दौरान लाभांश और लाभांश वितरण के लेखे कुल व्यय क्रमशः 1082 लाख रुपए और 220 लाख रुपए होगा।

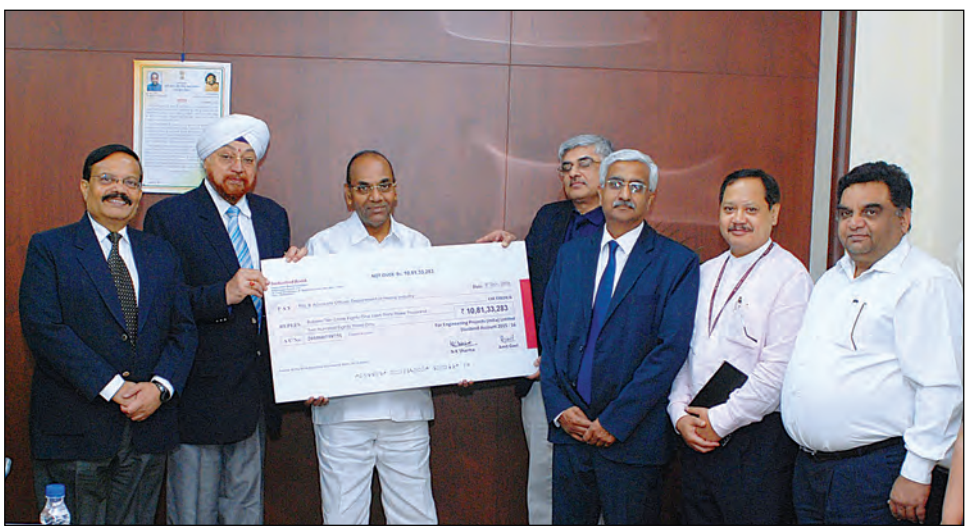

श्री अनंत जी गीते, माननीय मंत्री भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम वर्ष 2015–16 के लिए अंतिम लाभांश चेक प्राप्त करते हुए

आपके निदेशक 200 लाख रुपए की रकम को कंपनी की साधारण आरक्षिति में अंतरित करने का और शेष लाभ को अग्रणीत करने का प्रस्ताव करते हैं।

तद्नुसार, 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार आरक्षितियों एवं अधिशेष लेखे में शेष रकम 19,242 लाख रुपए है।

4. विपणन उपलब्धियां

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी ने 4012 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्राप्त की। प्राप्त की गई कुछ मुख्य परियोजनाएं नीचे दी गई हैं :

क्रम सं.	परियोजना का नाम और स्थान	ग्राहक	मूल्य (रुपए करोड़ में)
विदेश में			
1.	इंजीनियर–3 परियोजना (चरण–II). ओमान	ओमान सल्तनत	3004.24 (470 मिलियन अमरीकी डालर)
घरेलू			
1.	तकनीकी सेवाएं प्रदान और एपी मार्कफेड कार्यों का विजयवाड़ा, काकीनाडा, मछलीपट्टनम और अनंतपुरा में संनिर्माण का पर्यवेक्षण।	आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (एपी मार्कफेड)।	393.30
2.	वार्षिक 100 एमबीबीएस दाखिले के लिए आयुर्विज्ञान महाविद्यालय परिसर के संनिर्माण के लिए पीएमसी और सरकारी जिला अस्पताल, बाड़मेर का उन्नयन।	आयुर्विज्ञान शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।	200.40
3.,	ओटीपीसी के पालटाना, उदयपुर, त्रिपुरा में 2x363.3 मेगावॉट गैस आधारित संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र के लिए खिलपाडा टाउनशिप का निर्माण।	ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली।	106.00
4.	कार्यालयों के लिए प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत कार्य केन्द्रों और अन्य भवनों का डिज़ाइन एवं निर्माण और एलिम्को, कानपुर में अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र और उज्जैन में सहायक उत्पादन इकाई के निर्माण और एलिम्को, कानपुर– मुख्यालय, एएपीसी, आरएमपीएस और एओसी आदि में अपेक्षित सिविल नवीकरण संकर्म।	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर।	90.10

5.	आईटीबीपी की 53वीं बटालियन, चित्तूर (एपी) के लिए आवासीय और गैर आवासीय भवनों का निर्माण।	महानिदेशालय भारत–तिब्बत सीमा पुलिस, (आईटीबीपी)।	65.75
6.	केरल राज्य के तिरूवनंतपुरम जिले में अक्कुलम में आरजीसीबी जैव नवप्रवर्तन केन्द्र, चरण –1 की स्थापना।	राजीव गांधी, जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, तिरुवनंतपुरम।	58.20
7.	पल्लूर हिल्स, कांसी बहरामपुर, जिला–गंजम ओडिशा में बृहत्त् शहरी परिसर का संनिर्माण।	अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग, ओडिसा।	45.00

भारत तथा विदेश में कार्यान्वायन के अधीन प्रमुख परियोजनाएं :

i) 254.99 मिलियन अमरीकी डॉलर के मूल्य की ओमान में इंजीनियर्स–3 परियोजना (चरण–1) मूलतः पूर्ण और सौंपने को तैयार।

ii) जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के परिसर विकास के लिए 1187.91 करोड़ रुपए का परियोजना प्रबंधन परामर्श।

iii) 550.82 करोड़ रुपए के मूल्य की भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई में कच्ची सामग्री प्राप्ति) एवं हथालन प्रसुविधाओं का नई ओएचपी (पीकेजी संख्या 061) के साथ आमेलन।

iv) 287.81 करोड़ रुपए के मूल्यों के भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई में ईंधन एवं फ्लक्स पेराई प्रसुविधाओं (पैकेज संख्यो 064) का आमेलन।

भिलाई इस्पात संयंत्र परियोजना–रेल लाइन पर कन्वेयर गैलरी का निमार्ण

v) राजीव गांधी ज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के चरण–1 में दो संघटक परिसरों का बासार एवं नजविद, आंध्र प्रदेश में 216.44 करोड़ रुपए के मूल्य की संनिर्माण।

vi) झारखंड राज्य में नए पॉलिटेक्निक संस्थानों/इंजीनियरिंग कॉलेजों का संनिर्माण और विकास, विद्यामान तकनीकी संस्थानों को सुदृढ़ करना और 210 करोड़ रुपए की लागत से अन्य अवसंरचनात्मक विकास सकर्म।

vii) 100 एमबीबीएस वार्षिक दाखिले वाले आयुर्विज्ञान कॉलेज परिसर का संनिर्माण और शासकीय जिला अस्पताल बाड़मेर का 200.40 करोड़ रुपए की लागत से उन्नयन।

viii) बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर, जिला नालंदा (बिहार) में 181.16 करोड़ रुपए मूल्य का संनिर्माण।

चंडीगढ़ में फ्रेंच एसोसिएट्स और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान

ix) 161.69 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय भेषजी शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर), गुवाहाटी के संपूर्ण परिसर का सनिर्माण।

x) 113.48 करोड़ रुपए की की लागत से देहरी, सोन, बिहार में रु. 5.00 एलएलपीडी दुग्ध संयंत्र और 30 एमटीपीडी विद्युत संयंत्र का डिज़ाइन, संनिर्माण, आपूर्ति, प्रतिष्ठापन और चालू करना।

xi) 101.84 करोड़ रुपए की लागत से सिंगरोली, मध्यप्रदेश में इंटेक कुंए, जल उपचार संयंत्र, वितरण पाइप लाइनों, ओवरहेड टैंक का संनिर्माण एवं गृहस्थों को कनेक्शन प्रदान करना।

xii) राजकीय राजाजी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, मदुरै में पीएमएसएसवाई चरण-II के अधीन मदुरै, तमिलनाडु में 81.05 करोड़ रुपए के मूल्य के अतिविशेषज्ञता अस्पताल का संर्निर्माण।

भारत में पूरी की गई परियोजनाएं

कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाओं को पूरा किया :

i) माणिकतला कोलकाता में ईएसआई अस्पताल और पीजी कॉलेज का संनिर्माण।

ii) आईआईटी खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में जेसी घोष और पी.सी. राय साइंस ब्लॉक (जी+7) भवनों का संनिर्माण।

iii) अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, एवं नागालैंड राज्यों में आसाम राईफल्स बटालियन के विभिन्न आवासों, अधिकारी क्लब, कल्याण केंद्र, अस्पताल जिसके अंतर्गत संरचनात्मक विभाग संकर्म आदि का संनिर्माण।

iv) करीमगंज, आसाम में 5 हजार मीट्रिक टन क्षमता के खाद्यान गोदाम जिसके अंतर्गत अनुषंगी ढांचे एवं स्थल विकास संकर्म है का संनिर्माण।

v) त्रिपुरा विश्वविद्यालय परिसर, सूर्य मणिनगर, अगरतला, त्रिपुरा में विभिन्न विभागों की सुविधाओं के लिए बहुमंजिले शैक्षिक खंड का संनिर्माण।

vi) पीयूसी परिसर, आईजोल, मिजोरम में प्रशासनिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र, और छात्रों के छात्रावास का विस्तार।

vii) जबलपुर, मध्य प्रदेश में 29 वीं बटालियन के लिए स्थायी गैर आवासीय भवन का संनिर्माण।

viii) रायपुर, छत्तीसगढ़ में विद्यमान एनआईटी परिसर में सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर भवन का संनिर्माण।

ix) यानम, लोक निर्माण विभाग, पुडुचेरी सरकार, आंध्र प्रदेश में जलापूर्ति योजना का एकीकरण।

5. आदेश पुस्तिका स्थिति

वर्ष 2015–16 के समाप्ति के पश्चात कंपनी ने 9080 करोड़ रुपए के आदेश प्राप्त किए गए हैं, इसके अंतर्गत 1345 करोड़ रुपए के मूल्य का कार्य है जो ग्राहक के पास निधियों, गैर उपलब्ध कार्य मंच की अनुपलब्धता के कारण रुका हुआ है।

6. समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अधीन कार्यनिष्पादन की रेटिंग

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) में कंपनी द्वारा सरकार के साथ वर्ष 2014–15 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी के कार्यनिष्पादन को ''बहुत अच्छा'' रेटिंग प्रदान की है।

7. निगम शासन

ईपीआई विधिक, नैतिक और पारदर्शी रीति में कारबार के संचालन के लिए सुदृढ़ निगम शासन पद्धतियों के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी यह विश्वास करती है कि दीर्घावधि में अच्छी निगम शासन पद्धतियां सभी पणधारियों के लिए धन का सृजन करती हैं। ईपीआई लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगम शासन मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन कर रही है और त्रैमासिक तथा वार्षिक आधार पर भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) को अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट तथा निगम शासन पर रिपोर्ट इस निदेशकों की रिपोर्ट के साथ क्रमशः **उपाबंध–क** और **उपाबंध–ख** पर उपाबद्ध हैं।

8. क्रेडिट रेटिंग

वर्ष–दर–वर्ष कंपनी के कार्य निष्पादन में सुधार के आधार पर आईसीआरए लिमिटेड की रेटिंग समिति ने आईसीआरए की दीर्घावधि रेटिंग 'ए+' को उन्नयित करके 'ए ए–' कर दिया और कंपनी की गैर–निधि आधारित सीमाओं के लिए आईसीआरए की लघु अवधि रेटिंग आईसीआरए द्वारा 'ए1+' की पुनः पुष्टि की है। दीर्घावधि रेटिंग की संभावना 'स्थिर' है।

9. सतर्कता कार्यकलाप

कंपनी के सतर्कता प्रभाग का विभाग प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) है जो पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सत्यनिष्ठा पर आवधिक निरीक्षण और जांच के माध्यम से ध्यान केंद्रित करता है और निवारक सतर्कता के माध्यम से अच्छी प्रशासन पद्धतियों को प्रोत्साहित करता है।

ईपीआईएल ने, 26.10.2015 से 31.10.2015 के दौरान अपने निगम/प्रादेशिक और साइट कार्यालयों में मुख्य सतर्कता आयुक्त के निदेशानुसार अत्याधिक उत्साह से, ''सतर्कता जागरूकता सप्ताह'' मनाया। इस अवसर पर ईपीआईएल कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए :–

क) 'लोक उपानन और निवारक सतर्कता के अन्य पहलुओं पर मुख्य सतर्कता आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत' पर व्याख्यान दिनांक 27.10.2015 को निगम कार्यालय में आयोजित किया गया था। निगम कार्यालय के ईपीआई कार्मिकों और पूर्वोत्तर प्रादेशिक कार्यालय की बहुसंख्या कार्मिकों ने इसमें भाग लिया। श्री रमेशचंद्र, मुख्य तकनीकी परीक्षक, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस व्याख्यान को संबोधित किया और एक पारस्परिक सत्र के साथ इसका समापन किया।

ख) ''सुशासन के लिए औजार के रूप में निवारक सतर्कता'' पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई।

ग) ''भ्रष्टाचार से निपटने में मीडिया की भूमिका'' पर एक पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गई।

'सत्यनिष्ठा पैक्ट' को कार्यान्वित किया गया और दो स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर हैं, जिनके लिए परियोजनाओं के मूल्य को 100 करोड़ से घटाकर 50 करोड़ कर दिया गया है।हाल ही में कंपनी में ई–टेंडरिंग आरंभ की गई है। लगभग सभी वित्तीय कार्यों का कंप्यूटरीकरण कर लिया गया है और भ्रमण कार्यक्रम, वेतन पर्ची आदि जैसे कार्यों को कागज की बचत करने के लिए ई–मेल के माध्यम से भेजा जाता है। कंपनी में शिकायत प्रणाली आरंभ की गई है

इसके अतिरिक्त पारदर्शिता में बढ़ोतरी करने के लिए विभिन्न अनुदेशों को जारी करने के साथ–साथ अनेक नई पहले की गई है। इसके अलावा कंपनी के विभिन्न स्तर के चारणों से संबंधित अनेक शिकायतों की जांच की गई और जहां अपेक्षित था अपेक्षित कार्रवाई कर सिफारिश करके उनका समापन किया गया।

10. मानव संसाधन

कंपनी अपने मानव संसाधन के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। परियोजना कार्य निष्पादन के क्षेत्र में नए उभरते हुए परिप्रेक्ष्यों के साथ गति बनाए रखने के लिए, यह अपनी जनशक्ति को उभरते हुए क्षेत्रों में प्रशिक्षित करती है। कर्मचारियों को आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं के लिए प्रायोजित किया जा रहा है। ताकि, उनके तकनीकी, संचार और वैयक्तिक कौशल को समय–समय पर विभिन्न स्तरों पर बढ़ाया जा सके। कंपनी अपने कर्मचारियों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक और महिला कर्मचारी भी है और उसने अपनी विद्यमान जनशक्ति को प्रतिधारित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए हैं। सेवानिवृत्ती पश्चात चिकित्सा लाभ, भविष्य निधि, उपदान, समूह दुर्घटना बीमा और फायदा निधि योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं कंपनी में हैं।

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी में 397 कर्मचारी हैं। कंपनी में 43 महिला कर्मचारी और तकनीकी और व्यावसायिक रूप से अर्हित 332 कर्मचारी हैं।

11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कार्मिक

कंपनी में 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार 81 कर्मचारी (जिसके अंतर्गत 4 महिला कर्मचारी हैं) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से थे जो कंपनी की कुल जनशक्ति का 20.40 प्रतिशत हैं।

12. निःशक्त व्यक्ति

कंपनी में 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार 06 कर्मचारी निःशक्त थे जो कंपनी की कुल जनशक्ति का 1.51 प्रतिशत है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्त व्यक्तियों के संबंध में समय–समय पर जारी सभी राष्ट्रपति अनदेशों का कंपनी अनुसरण करती है।

13. राजभाषा/हिन्दी का प्रसार

कंपनी में राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशोधित 1967) के कार्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध करना जारी रखा है। कंपनी के विभिन्न कार्यों में हिंदी के उपयोग पर बल दिया जाता है और राजभाषा नीति के अनुसार कंपनी की वेबसाइट द्विभाषी फॉर्मेट के लिए तैयार है। हिंदी की महत्ता का संवर्धन करने के लिए ''ईपीआई समाचार'' नामक एक त्रैमासिक पत्रिका आंतरिक और बाह्य परिचालन के लिए नियमित आधार पर हिंदी भाषा में प्रकाशित की जाती है। ईपीआई उन कर्मचारियों को नकद पुरस्कार देती जो ईपीआई समाचार में लेख/कविता आदि लिखते

हैं। कर्मचारियों के जो बालक अपने स्कूल स्तर पर हिंदी भाषा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें भी ''प्रतिभा पुरस्कार योजना'' के अधीन पुरस्कृत किया जाता है।

कंपनी ने हिंदी भाषा के उपयोग की प्रोन्नति और हिंदी भाषा को विभिन्न पहलों/कदमों जैसे हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन अर्थात् लेखन प्रतियोगिता, कविता पाठ, चित्र अभिव्यक्ति, श्रुतलेखन, टिप्पण– प्रारूपण, वाद–विवाद, पहेली आदि का प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा आयोजन करके हिंदी को बढ़ावा देना जारी रखा है। पखवाड़े के दौरान विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह शील्ड योजना आरंभ की गई है ताकि, कर्मचारियों को विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में आगे आने और भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और अधिकतम पुरस्कार प्राप्त करने वाला विजेता इस योजना के अधीन पुरस्कार/शील्ड/सम्मान को प्राप्त करने का हकदार होता है।

भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के अनुसार राजभाषा कार्यान्वयन समिति ईपीआई में विद्यमान है, जो राजभाषा कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग और नियंत्रण करती है। राजभाषा के संबंध में कर्मचारियों के बीच जागरूकता का सृजन करने के लिए विभिन्न हिंदी कार्यशालाओं का त्रैमासिक आधार पर संचालन किया जाता है और हिंदी भाषा में शासकीय पत्राचार में भाग लेने के आधार पर ''नकद पुरस्कार'' योजना भी विद्यमान है। किसी भी रुप में हिंदी लेखन में अंशदान अर्थात् विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ईपीआईएल की ओर से लेख/निबंध के रूप में नियमित आधार पर किया जाता है। गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार ऑनलाइन त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भेजी जाती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने हिंदी शिक्षण योजना के अधीन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन करना आरंभ किया है।

ईपीआई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) का सदस्य है और नराकास द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतिस्पर्धा में भागीदारी के लिए प्रत्येक वर्ष अक्टूबर/नवंबर माह में नियमित आधार पर नाम भेजे जाते हैं। इस वर्ष कंपनी ने राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के साथ–साथ राजभाषा विभाग, भारत सरकार से विशेष सराहना प्राप्त की है।

14. कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अधीन शिकायतों का प्रकटन

कंपनी ने लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों (पीड़िता द्वारा की गई) के निपटान के लिए और ऐसी शिकायतों के समयबद्ध निपटान के लिए एक शिकायत समिति का गठन किया है।

आईटीबीपी परियोजना, जबलपुर, मध्यप्रदेश

वेस्ट बंगाल, आईआईटी खडगपुर, जे.सी.घोष और पी.सी. रॉय भवन

15. लोकक्रय नीति

लोकक्रय नीति, 2012 प्रतिस्पर्धा के मूल सिद्धांतों पर आधारित है जो, सुदृढ़ क्रय नीतियों और मालों या सेवाओं की आपूर्ति के आदेशों के निष्पादन के लिए एक प्रणाली के अनुसार जो न्यायोचित, समतुल्य, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लागत प्रभावी है।

कंपनी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों की समग्र वृद्धि और साम्य विकास को प्रोत्साहित करने में विश्वास करती है, उनकी भागीदारी को निःशुल्क निविदा दस्तावेजों/ईएमडी जमा से छूट देकर, निविदाकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ई–उपानन को अंगीकार करके बढ़ाया जा सकता है।

16. प्राप्त किए गए पुरस्कार

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), राजभाषा विभाग, दिल्ली ने वर्ष 2015 के लिए प्रतिस्पर्धा आयोजित करने के लिए ईपीआई को आयोजक पुरस्कार प्रदान किया।

17. निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक नीति

अध्यक्ष–सह–प्रबं निदेशक की नियुक्ति पुनरीक्षित अनुसूची 'ख' रु. 75,000–90,000 (औद्योगिक मंहगाई भत्ता) वेतनमान पर और निदेशकों की नियुक्ति पुनरीक्षित अनुसूची 'ख' रु. 65,000–75,000, औद्योगिक मंहगाई भत्ता, पैटर्न पर की जाती है। उनके निबंधनों और शर्तों को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग द्वारा नियत किया जाता है।

18. प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता

सरकारी निदेशों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015–16 के दौरान ईपीआई ने प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता हासिल की।

राजीव गांधी ज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परियोजना, आंध्र प्रदेश

19. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के ब्यौरे जिन्हें वर्ष के दौरान नियुक्ति किया गया था या जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था।

इस समय कंपनी के निदेशकों की स्थिति में पिछली वार्षिक रिपोर्ट से कोई परिवर्तन नहीं हैं। 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार ईपीआई के बोर्ड में निम्नलिखित सात निदेशक हैं :

क्रम सं.	नाम	के प्रभाव से
1.	श्री. एस पी एस बक्शी अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	05.02.2009
2.	श्री. वीनू गोपाल निदेशक (परियोजनाएं) और 01/12/2015 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार	02.01.2012
3.	श्री. आर. के. सिंह अंशकालिक (शासकीय) निदेशक	30.11.2012
4.	श्री. सिया शरण अंशकालिक (शासकीय) निदेशक	11.01.2016*
5.	डॉ. के. एस. राव अंशकालिक (गैर–शासकीय) निदेशक	04.02.2014
6.	श्री. सुशांत बालिगा अंशकालिक (गैर–शासकीय) निदेशक	18.11.2015
7.	श्रीमती. अनीता चौधरी अंशकालिक (गैर–शासकीय) निदेशक	01.12.2015

*कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा डीआईएन के आवंटन की तारीख

वर्ष 2014–15 के दौरान अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (मुख्य कार्यपालक अधिकारी), निदेशक (वित्त), (मुख्य वित्त अधिकारी कृत्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव को मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (मू.प्र.का.) घोषित किया गया है।

निम्नलिखित मू.प्र.का. में वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं :

1) श्री ए.वी.वी. कृष्णन (निदेशक वित्त) को त्यागपत्र के कारण दिनांक 30.11.2015 से कंपनी की सेवा से मुक्त कर दिया गया है।

2) श्री वीनू गोपाल, निदेशक, (परियोजनाएं) निदेशक (वित्त) का संदर्भ दिनांक 01.12.2015 से दिनांक 31.05.2016 तक अतिरिक्त प्रभार के रूप में धारण कर रहे थे।

20. निदेशकों का दायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन यथापेक्षित आपके निदेशक एतद्द्वारा संपुष्टि करते हैं :

(i) वार्षिक लेखों को तैयार करने में, लागू लेखांकन मानकों का तात्विक विचलन के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ अनुसरण किया गया है।

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सतत् रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और आकलन किए हैं जो न्यायोचित और बुद्धिमत्तापूर्ण हैं। जिससे 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के मामलों और उस अवधि के लिए लाभ का सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत किया जा सके।

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार कंपनी की आस्तियों के लिए सुरक्षा उपायों और कपट तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी रखी गई है;

(iv) यह कि सतत् आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए गए हैं; और

(v) निदेशकों ने सभी लागू विधियों के उपबंधों की अनुपालना का सुनिश्चय करने के लिए उचित प्रणालियां बनाई है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

21. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अधीन स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा

डॉ. के एस राव, स्वतंत्र निदेशक, श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती अनीता चौधरी, स्वतंत्र निदेशक ने यह घोषणा की है कि, वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में उपबंधित स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करते हैं।

22. बैठकों की संख्या

वर्ष के दौरान निदेशक बोर्ड की (8) बैठकें आयोजित की गई, ब्यौरे इस रिपोर्ट से उपाबद्ध निगम शासन की रिपोर्ट में **उपाबंध–ख** पर दिए गए हैं।

23. अनुषंगी कंपनी

वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात भूमि पार्सलों आदि के विकास के लिए, 19 मई 2016 को 10 लाख रूपए की संदत पूंजी के साथ अनुषंगी कंपनी अर्थात् ''ईपीआई अरबन इन्फ्रा डेवलपर्स लिमिटेड'', निगमित की गई।

जिसमें ईपीआई की 51%, मैसर्स भारत अरबन इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड, सोलापुर, (बीयूआडीपीएल) की 39%, और मैसर्स दाराशा एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (डीसीपीएल), मुंबई की 10% से साम्य (इक्विटी) भागीदारी है।

जबलपुर, मध्य प्रदेश में आईटीबीपी के लिए स्थायी गैर आवासीय भवन का निर्माण–हवाई दृश्य

24. लेखापरीक्षक

क) कानूनी और शाखा लेखापरीक्षक

भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक (सीएण्डएजी) द्वारा वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी के लिए नियुक्त कानूनी और शाखा लेखापरीक्षक नीचे दिए अनुसार हैं –

क्रम सं.	फर्म का नाम	क्षेत्र
1	मैसर्स. जी. एस. ए एसोसिएट्स, नई दिल्ली	कानूनी लेखापरीक्षक
शाखा लेखापरीक्षक :		
1	मैसर्स. अय्यर एण्ड कंपनी, नई दिल्ली	उत्तरी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
2	मैसर्स. डे. चक्रवर्ती एण्ड सेन, कोलकाता	पूर्वी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
3	मैसर्स. ए बी एम एण्ड एसोसिएट्स, एलएलपी मुंबई	पश्चिमी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
4	मैसर्स. योगानंद एण्ड राम, चेन्नई	दक्षिणी क्षेत्र शाखा लेखापरीक्षक
5	मैसर्स. एम. एच. एम. वाई. ऑडिटर्स, ओमान	ओमान, शाखा लेखापरीक्षक
6	मैसर्स. जयसिंघे एण्ड कंपनी, श्रीलंका	श्रीलंका, शाखा लेखापरीक्षक

ख) सचिवालयी लेखापरीक्षक

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और चयन) नियम 2014 के नियम 9(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी ने मैसर्स विशाल अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स को शाखा लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

ग) लागत लेखापरीक्षक

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2015–16 के लिए मैसर्स ए जी अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स को लागत लेखाकार के रूप में नियुक्त किया है।

25. कानून लेखापरीक्षक और शाखा लेखापरीक्षक द्वारा की गई प्रत्येक अर्हता, रिजर्वेशन या प्रतिकूल टिप्पणी या प्रकटन पर बोर्ड का स्पष्टीकरण या टिप्पणियां।

कानूनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वर्ष 2015–16 के लिए कानूनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखाओं पर टिप्पणणियों पर प्रत्युत्तर, यदि कोई हैं तो उन्हें इस रिपोर्ट के साथ उपाबद्ध किया गया है।

कानूनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई अर्हता, रिजर्वेशन या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

वर्ष 2015–16 की सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट और टिप्पणियों पर प्रत्युत्तर, यदि कोई हैं तो, उन्हें इस रिपोर्ट के साथ उपाबद्ध किया गया है।

26. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन उधार, प्रतिभूति या विनिधानों की विशिष्टियां

वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन कोई उधार, प्रतिभूति या विनिधान नहीं किया गया है।

27. विशिष्टियों का प्रकटन

कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के उपबंधों के अनुसरण में ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्ययन के संरक्षण पर सूचना के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

27.01 ऊर्जा दक्षता और उसका संरक्षण

"वही सेवा प्रदान करने के लिए कम ऊर्जा का उपयोग" ऊर्जा दक्षता है और ऊर्जा की बचत करने के लिए किसी सेवा को कम करना उसके बिना कार्य करना ऊर्जा का संरक्षण है। तथापि कंपनी के कार्यक्रमों में विनिर्माण प्रक्रिया में ऊर्जा का प्रत्यक्ष उपयोग अंतर्वलित नहीं है। सभी प्ररूपों में ऊर्जा के संरक्षण की आवश्यकता को महत्व प्रदान किया जाता है।

ईपीआई, कोर–3 की छत पर 10 किलो वॉट सौर उर्जा सयंत्र का प्रतिस्थापन किया गया है और उसे आरंभ किया गया है। इस पर 9 लाख रुपए का पूंजी विनिधान की गयी है। आरईआईएल जयपुर को इसका आदेश दिया गया था।

ईपीआई निरंतर रूप से अपने कार्यालय/परियोजना परिसर में न्यूनतम परिस्थिति और पर्यावरण संरक्षण हेतु सीएफएल/टी5/एलईडी जैसे ऊर्जा कुशल उपकरण के उपयोग पर बल दे रहा है। वातानुकूलक, गीजर आदि जैसे स्टोर रेटड जैसे साधित्रों का विभिन्न परियोजनाओं/कार्यालयों में उपयोग किया जाता है, सौर/विंड ऊर्जा जैसी नवीकरणीय उर्जा का बिहार पुलिस अकादमी परियोजना एवं सीमा चौकी परियोजनाओं में उपयोग किया गया है।

27.02 प्रौद्योगिकी अवशोषण

(क) अनुसंधान और विकास

कंपनी के कार्य की प्रकृति पर विचार करते हुए अनुसंधान और विकास कार्यकलापों का स्कोप सीमित है क्योंकि हम ग्राहक की अपेक्षाओं के आधार पर कार्य का निष्पादन करते हैं। तथापि हम प्री–कास्ट/प्री फैब्रिकेटड ढांचा तकनीकों का तीव्र, टिकाऊ और लागत प्रभावी संनिर्माण के लिए उपयोग करते हैं।

(ख) प्रौद्योगिकी विलयन

आपकी कंपनी प्रद्योगिकी और संनिर्माण तकनीकों को उन्नत करने के लिए और समुचित डिजाइनिंग और मूल्यपरक इंजीनियरिंग के परिप्रेक्ष्य पर ध्यान देने के लिए सतत् रूप से प्रयास कर रही है। वैश्विक प्रतिष्ठा की अग्रणी कंपनी में से नवीनतम प्रौद्योगिकियों की रेंज, जो संगठन के पास औद्योगिक परियोजनाओं में उपयोग के लिए उपलब्ध है, में रेयर अर्थ के निष्कर्षण के लिए अमल सांद्रण संयंत्र, रसायनिक प्रक्रिया संयंत्र, विशेषीकृत अयस्क दैनिक शिक्षण सुविधायें उपलब्ध हैं। कंपनी के विशेषज्ञों को विभिन्न कार्यक्रम तथा सेमिनारों में तकनीकी जानकारी के विकास के लिए प्रायोजित किया जाता है

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी और उपक्रम संसाधन आयोजन (ईआरपी)

आंतरिक कार्यकलापों में उपयोग के लिए नए के साथ साथ अद्यतन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। सेप–ईआरपी समाधानों का मानव संसाधन, वेतन पर्ची एवं वित्तीय लेखांकन और दस्तावेज प्रबंधन समाधान से संबंधित कृत्यों के लिए संपूर्ण संगठन में प्रचालनों को एकीकृत करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। ई–उपानन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी पूरा कर लिया गया है। कंपनी कार्यालय, प्रादेशिक कार्यालयों और साइटों पर वीडियो संगोष्ठी समाधान को भी कार्यान्वित कर लिया गया है, इससे संगठन की उत्पादकता में सुधार हुआ है और यात्रा व्यय में कमी आई है। ईपीआई के विषय में सूचना पब्लिक पोर्टल www.engineeringprojects.com पर उपलब्ध है

27.03 विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी ने पूर्ववर्ती वर्ष में 59,315 लाख रुपए के मुकाबले 49,929 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की। वर्ष 2015–16 में उपगत विदेशी व्यय 2014–15 में 51,444 लाख रुपए के मुकाबले 2015–16 में 43,728 लाख रुपए रहा।

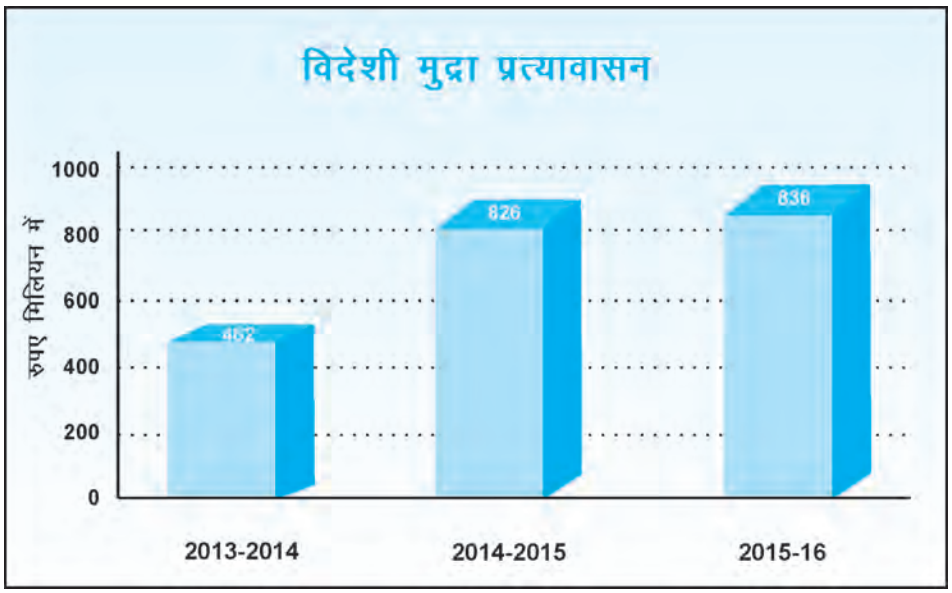

28. गुणवत्ता, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड चुनिंदा भारतीय ठेकेदारी कंपनियों में से एक है जिसे जो आईएसओ 9001:2008 और आईएसओ 14001:2004+एसी: 2009 प्रदान किया गया है, इस प्रकार ये पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (क्यूईएमएस) को कवर करती है। प्रमाणन के स्कोप में औद्योगिक और अन्य संनिर्माण परियोजनाओं का अवधारणा से प्रतिष्ठापन तक बहु–विषयी औद्योगिक और अन्य संनिर्माण परियोजनाओं का डिज़ाइन, उपाप्त और कार्यान्वयन शामिल है।

कंपनी को निगमित कार्यालय के संबंध में वृत्तिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा निर्धारण श्रृंखला (ओएचएसएमएस) 18001:2007 अर्थात् वृत्तिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली से भी प्रमाणित किया गया है।

हमने कंपनी के लिए आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ 14001:2015 अभिप्राप्त करने के लिए भी कार्रवाई आरंभ कर दी है।

29. कर्मचारियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन यथा अपेक्षित कानूनी सूचना

वर्ष के दौरान कोई कर्मचारी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन इस सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा था। तथापि इससे सरकारी कंपनियों को कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना, तारीख 5 जून 2015 द्वारा छूट प्राप्त है।

30. निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और भरणीयता

निदेशकों की इस रिपोर्ट के साथ निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और भरणीयता पर एक रिपोर्ट **उपाबंध–ग** के रूप में उपाबद्ध है।

31. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी के पास उसके कारबार के व्यवस्थित और दक्ष संचालन का सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है, जिसके अंतर्गत कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी आस्तियों के सुरक्षापायों, कपट का निवारण, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और विश्वसनीयता, वित्तीय सूचना का समय पर तैयार करना शामिल है।

32. मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाणन

मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुख्य वित्त अधिकारी का प्रमाणन निगम शासन पर रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

33. जमा

कंपनी ने कोई जमा नहीं लिया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन नहीं आता है या उसकी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है।

34. नातेदार पक्षकारों के साथ संविदाओं या इन्तजामों की विशिष्टियां

कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में निर्दिष्टि संबंधित नातेदार के साथ किसी संविदा या इन्तजाम में प्रविष्ट नहीं हुई है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के अधीन यथापेक्षित प्ररूप एओसी–2 में विशिष्टियां **उपाबंध–घ** में संलग्न हैं।

35. चालू समुत्थान प्रस्थिति और कंपनी के भावी प्रचालन को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और तात्विक आदेशों के ब्यौरे

लेखाओं की टिप्पणियों में आकस्मिक दायित्व में घोषित से भिन्न कोई महत्वपूर्ण या तात्विक आदेश विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित नहीं किया गया हो, जो कंपनी की चालू समुत्थान प्रस्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करता है।

36. वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

वार्षिक रिर्टन का उद्धरण इस रिपोर्ट के **उपाबंध–ड़** पर उपाबद्ध है।

ईएसआईसी अस्पताल परियोजना, मानिकतला, कोलकाता

37. आभार

आपके निदेशक भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग और भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों तथा संगठनों से प्राप्त सहयोग और समर्थन की गहरी प्रशंसा तथा सराहना करते हैं। आपके निदेशक विभिन्न ग्राहकों और बैंकों के प्रति उनके द्वारा दर्शाए गए विश्वास के प्रति कृतज्ञ हैं तथा उप–ठेकेदारों, विक्रेताओं और सलाहकारों की इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में योगदान के लिए प्रशंसा करते हैं। आपके निदेशक शासकीय लेखापरीक्षकों, कानूनी लेखापरीक्षकों, सचिवालयी लेखापरीक्षकों और लागत लेखापरीक्षकों का उनके द्वारा दिए गए सुझावों के लिए भी धन्यवाद करते हैं। आपके निदेशक सभी स्तर के प्रत्येक कर्मचारियों के लिए जिसने ईपीआई की वृद्धि के लिए योगदान दिया है के समर्पण के लिए प्रशंसा को अभिलेख पर रखने की भी सदिच्छा करते हैं।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(एस पी एस बक्शी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02548430

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 05 सितम्बर, 2016

बॉर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) मेरूपारा, त्रिपुरा

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

भारतीय अर्थव्यवस्था का विद्यमान आर्थिक ढांचा मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है, जहां सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों सह विद्यमान हैं। भारत में केवल उन्हीं उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है जो अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए अनिवार्य थे और जिनमें निजी क्षेत्र को या तो रिटर्न की निबंध या उसमे निहित भारी जोखिम के कारण विनिधान करने में असमंजसता थी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यकलाप कुछ सीमित रेंज जैसे विद्युत, सिंचाई, सड़कें, रेलवे, पत्तन, संचार आदि तक निर्बंधित हैं।

भारत ब्रांड साम्य संस्थापन (आईबीईएफ) कथन करता है कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के अनुसार भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) ने 29 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है और अप्रैल 2015– मार्च 2016 के दौरान पिछले वर्ष इसी अवधि में 30.93 बिलियन अमरीकी डालर के मुकाबले यह 40 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया। भारत ने शीर्षस्थ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के गंतव्य के रूप में 63 बिलियन अमरीकी डॉलर का विनिधान जिसे 2015 में घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र है, के साथ चीन को पीछे छोड़ दिया है।

वित्त वर्ष 2015–16 (अप्रैल 2015– मार्च 2016) के दौरान भारत ने 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर कुल विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान प्राप्त किया, यह सरकार के व्यापार करने में सरलता के प्रयासों का द्योतक है और विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान मानकों में स्थिरता लाने के परिणाम सामने आ रहे हैं। कृषि और पशु पालन, खनन एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, प्रसारण एवं वहन सेवाएं, विमानपत्तन (हरित क्षेत्र योजनाएं एवं विद्यामान परियोजनाएं), विमानपत्तन परिवहन सेवाएं, संनिर्माण– विकास परियोजनाएं (जिसमें नगरों का विकास, आवासीय/वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण, सड़क का पुल, होटल, रिसोर्ट, हॉस्पिटल, शैक्षिक संस्थाएं, मनोरंजन की सुविधाएं, शहर और प्रादेशिक स्तर अवसंरचना, नगरीय बस्तियां) औद्योगिक पार्क आदि अनुज्ञात क्षेत्र में हैं।

सरकारी पहलें

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने स्वचालित रूट के अधीन और सेक्टरों को लाकर विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान एफडीआय नियमों को सरल बनाने की भारत सरकार की योजना को रेखांकित किया है, एफआईपीबी प्रक्रियाओं को त्वरित करेगा जिसे भारत एक आकर्षक विनिधान गंतव्य बन जाएगा। भारत सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान नीति को संनिर्माण विकास सेक्टर के संबंध में संशोधित किया है। संशोधित नीति में क्षेत्र निर्बंधन मानकों को सरल करना, इनकम पुंजीकरण पर निर्बंधन और परियोजना से आसान निकासी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त निम्न लागत सहनीय आवास को बढ़ावा देने के लिए इसने प्रदर्शित किया है कि, क्षेत्र निर्बंधन और न्यूनतम पूंजीकरण की शर्तें उन मामलों को लागू नहीं होंगी, जिनमें सहनीय आवास के लिए परियोजना की लागत के 30 प्रतिशत की प्रतिबद्धता की गई है।

भारत सरकार ने हाल ही में 15 सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति (एफडीआय) को शिथिल किया है,जैसे कि कुछ क्षेत्रों में विदेशी विनिधान की सीमा को बढ़ाना, अन्य में शब्दों को आसान बनाना और अनुमोदन के लिए अनेक को ऑटोमेटिक रूट पर रखना। सेक्टर, जो नीति को शिथिल करने से जिन्हें फायदा हुआ है उसके अंतर्गत रक्षा, भू संपदा, निजी बैंकिंग, रक्षा, नगर विमानन, एकल ब्रांड रिटेल, और समाचार प्रसारण है। नए नियम निर्माण क्षेत्र में विनिधान से आसान निकलने का उपवास करते हैं जबकि रक्षा और एयर लाइन में विदेशी विनिधान की सीमा को ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से 49 प्रतिशत तक अनुज्ञात किया गया था।

भारत के मंत्रीमंडल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जो रेलवे अवसंरचना, जिसके अंतर्गत प्रचालन नहीं है 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अनुज्ञात किया गया है। यह उनको नेटवर्क सृजित करने जैसे क्षेत्रों और बुलेट ट्रेनों के लिए ट्रेनों की

आपूर्ति करने के क्षेत्र में विनिधान करने को अनुज्ञात करता है। भारत सरकार की प्रत्यक्ष विदेशी विनिधान (एफडीआय) को और सरल बनाने की योजना है, जैसे सेक्टरों में विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान सीमा (एफडीआय) को बढ़ाना और ऑटोमैटिक अनुमोदन मार्ग में अधिक सेक्टरों को शामिल करना ताकि देश में और विनिधान को आकृष्ट किया जा सके।

भारत सरकार ने निम्नलिखित अनेक पहलों की योजना बनाई है

1. स्मार्ट शहरों का विकास

भारत सरकार ने 2 केंद्रीय योजनाओं– नवीकरण के लिए अटल मिशन और शहरी रुपांतरण (एएमआरयुटी) तथा 'स्मार्ट सिटी' मिशन के लिए लगभग 7,296 करोड़ रूपए का आबंटन किया है। साधारण बजट 2016–17 वर्ष 2020 तक संपूर्ण देश में 100 स्मार्ट शहरों के विकास के लिए लगभग 3205 करोड़ रुपए की रकम रखी गई है जबकि एएमआरयूटी के लिए 4,091 करोड़ रुपए रखे गए हैं। स्मार्ट शहर परियोजना के अधीन पहले 20 शहरों के नाम जिसके अंतर्गत भुवनेश्वर, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और भोपाल की घोषणा की गई थी।

शहरी विकास मंत्रालय ने पिछले वर्ष जून में ऐसे 100 शहरों के विकास के लिए परियोजना के लिए मिशन स्टेटमेंट और मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए। इस मिशन का केंद्र जोकि मोदी सरकार का एक अग्रणी कार्यक्रम है, स्वच्छ जल प्रदान करना, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियां स्थापित करना, दक्ष सचलता और सार्वजनिक परिवहन तथा सस्ते आवास मुहैया करना है।

अगले 40 शहरों की घोषणा दूसरे चरण में की जाएगी और शेष की तीसरे चरण में की जाएगी।

2. अवसंरचना कार्य का विकासः

वित्त वर्ष 2016– 17 के दौरान नई सड़कों के निर्माण के लिए अवसंरचना के सृजन और उन्नयन तथा राज्य राजमार्ग का राष्ट्रीय राजमार्ग में उन्नयन करने के लिए अवसंरचना पर कुल पूंजी खर्च का परिव्यय 221, 246 करोड़ रुपए होगा। 2016– 17 में सड़कों और रेलवे पर कुल पूंजी परिव्यय 218,000 करोड़ रुपए होगा और इससे लगभग 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के 2016–17 में अनुमोदित होने की संभावना है, जो पिछले 2 वर्षों के मुकाबले काफी अधिक होगा।

सरकार की 50,000 किलोमीटर में फैली हुई सड़क परियोजनाओं के विकास की योजना है और इसमें लगभग 250 बिलियन डॉलर के विनिधान की अगले 5 से 6 वर्ष में आवश्यकता होगी। सरकार ने अपने एजेंडा पर अवसंरचना विकास को सर्वोपरी रखा है। सड़क क्षेत्र में कुल विनिधान जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लगभग 97 हजार करोड़ रुपए होगा, इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एमएचएआय) को 10,000 किलोमीटर की परियोजनाओं को देने की संभावना है।

3. विमानपत्तनों एवं विमान पट्टियों का विकासः

हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए, सरकार 160 विमानपत्तन और दीवान पट्टियों के पुनरुद्धार की कार्य योजना तैयार कर रही है, जिसमें प्रत्येक पर लगभग 50 से 100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सरकार मरम्मत ना किए गए और कम मरम्मत किए गए विमान पत्रों को पुनः खोलने की कार्य योजना को तैयार कर रही है। राज्य सरकारों के पास लगभग 160 विमानपत्तन और विमान पट्टियां हैं, जिसमें प्रत्येक के लिए 50 करोड़ से 100 करोड़ रुपए की इंगित लागत पर पुनः खोला जा सकता है।

''इनमें से प्रादेशिक संपर्क के लिए कुछ विमान पत्तनों का विकास करने के लिए सरकार राज्य सरकारों के साथ भागीदारी करेगी। इसी प्रकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 25 अकार्यशील विमान पट्टियों में से 10 विमान पट्टियों का भी विकास किया जाएगा।''

4. भारत में प्रमुख और अप्रमुख पत्तनों का विकासः

भारत में लगभग 13 प्रमुख पत्तन और लगभग 200 अप्रमुख पतन है। कारगो यातायात जो वर्ष 2012 में लगभग 976 मिलियन मेट्रिक टन था, वर्ष 2017 तक 1758 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुंचने की संभावना है।

भारत सरकार की देश की 101 नदियों का उद्गम परिवर्तित करने की योजना है ताकि, आर्थिक वृद्धि को नवोदित करने के लिए जल परिवहन को बढ़ावा दिया जाए। भारतीय जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय पत्तनों और सड़क क्षेत्र में एक वृत्त विनिधान की घोषणा की है। सरकार ने नए पत्तनों के विकास और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना पर चल रहे कार्य के लिए 800 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2015– 16 के डाटा के अनुसार, वर्ष 2014– 15 में भारतीय पत्तनों में कारगो यातायात 8.2 प्रतिशत बढ़ कर 1052.2 मिलियन टन हो गया और अप्रमुख पत्तनों पर प्रमुख पत्तनों के मुकाबले वृद्धि तेजी से हुई। अप्रैल से सितंबर 2015 के दौरान सभी पत्तनों पर कारगो यातायात 1.1 प्रतिशत बढ़ा, प्रमुख पत्तनों पर 4.1 प्रतिशत की वृद्धि रिपोर्ट की गई और अप्रमुख पत्तनों पत्रों पर वर्ष 2014– 15 की तत्स्थानी अवधि की तुलना में 1 प्रतिशत की कमी रिपोर्ट की गई।

5. दिल्ली– मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का विकास (डीएमआईसी)

सरकार ने दिल्ली–मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर का विकास करने के लिए 2016 के बजट में 14,00 करोड़ रुपए रखे हैं। तथापि, अमृतसर–कोलकाता आद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी) परियोजना के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने 3 करोड़ रुपए की एक टोकन रकम अलग रखी है।

डीएमआईसी परियोजना की योजना एक वैश्विक विनिर्माण और विनिधान गंतव्य के रूप में रेलवे के रीढ़ की हड्डी के रूप में पश्चिमी समर्पित भाड़ा कॉरिडोर की 1,483 किलोमीटर उच्च गति के चारों ओर रखी गई है।

परियोजना की परिकल्पना छह राज्यों में जिसके अंतर्गत हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सम्मिलित हैं में स्मार्ट भावी और भरणीय औद्योगिक शहरों में आधुनिक अवसरंचना उपलब्ध कराना है। इसी प्रकार एकेआईसी का प्रस्ताव उत्तरी और पूर्वी भारत के सघन जनसंख्या वाले राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई है।

6. नवीकरणीय ऊर्जा पर बल

सरकार ने 2016 के बजट में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को 5,036 करोड़ रुपए का आबंटन किया है और बजट ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को 1,75,000 मेगावॉट की क्षमता के 2022 तक के लक्ष्यी को पुनरीक्षित कर दिया है। जिसमें 1,00,000 मेगावॉट सौर, 60,000 मेगावॉट पवन, 10,000 मेगावॉट जैव पदार्थ और 5,000 मेगावॉट लघु जल विद्युत सम्मिलित है। 31 दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार लगभग 38,820 मेगावॉट की संचयी क्षमता जो ग्रीड से परे इंटरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है का देश में प्रतिष्ठापन कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत 25,088 मेगावॉट पवन विद्युत, 4,878 मेगावॉट सौर विद्युत, 4,177 मेगावॉट लघु जल विद्युत और 4,677 मेगावॉट जैव विद्युत है।

7. नमामी गंगे कार्यक्रम

संघ के मंत्रिमंडल ने अग्रणी कार्यक्रम का अनुमोदन कर दिया है, जो समग्र रीति में गंगा नदी को स्वच्छ और संरक्षित करने के प्रयासों को एकीकृत करने के लिए है। ''इस कार्यक्रम का अगले पांच वर्ष के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय है।'' इसमें पिछले तीस वर्ष में हुए व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। गंगा को साफ करने

के प्रयासों में बल लाने के लिए केंद्र इस कार्यक्रम के अधीन विभिन्न कार्यकलापों/परियोजनाओं का शत–प्रतिशत वित्तपोषण अपने हाथ में ले सकता है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्वच्छ– गंगा मिशन (एनएमसीजी) और राज्य में इसके समकक्ष संगठन अर्थात् राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह (एसपीएमजी) जिसमें शहरी स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाओं आदि द्वारा किया जाएगा।

केंद्र की अब कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए आस्तियों के प्रचालन और अनुरक्षण की योजना है और प्रदूषण हॉट–स्पॉट के लिए पीपीपी/एसपीवी को अंगीकृत करने की योजना है। मुख्य अवसरंचना विनिधान जो अन्य मंत्रालयों के मूल जनादेश के अधीन आते हैं, जैसे शहरी विकास, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन को भी हाथ में लिया जाएगा।

नमामी गंगे प्रदूषणकारी न्युनीकरण मध्यस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करेगा अर्थात् खुले नालों के माध्यम से प्रवाहित होने वाले अपशिष्ट जल को मोड़ना और उसका जैव उपचारों/समुचित उपचार/नवप्रवर्तन प्रौद्योगिकीयों/मन उपचार संयंत्रों/अवशिष्ट उपचार संयंत्र के माध्यम से उपचार। इसका ध्येय विद्यमान (एसटीपी) का पुनर्वास और उनको जोड़ना भी है तथा नदी धारा में मल के प्रवाहित होने को निकासी बिंदुओं पर प्रदूषण को रोककर लघु अवधि उपाय करने का ध्येय भी है।

एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

सुदृढ़ताएं एवं खामियां

कंपनी इंजीनियरी एवं संनिर्माण के लगभग सभी क्षेत्रों में व्यापक रेंज की लगभग सभी सेवाओं का प्रस्ताव रखना है और इसकी संपूर्ण भारत में उपस्थिति है। कंपनी के पास सिविल इंजीनियरिंग/परियोजना प्रबंधन में सिद्ध सक्षमता है और उसके पास भारत तथा विदेश में बहुविषयी परियोजनाएं हाथ में लेने की क्षमता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी नवीनतम आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी से सुसज्जित रक्षा परियोजनाएं विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाढ़ परियोजना हाथ में लेने में सक्षम है।

तथापि, कंपनी अत्याधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रचालन कर रही है और वह अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनियों से घरेलू बाजार में कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना करती है।

अवसर एवं चुनौतियां

स्मार्ट शहरी परियोजनाओं, लघु शहरी परियोजनाओं, इस्पात एवं विद्युत संयंत्र परियोजनाओं, सभी अवसंरचना उप–क्षेत्रों में बहुविषयी परियोजनाओं में अवसर, अवसंरचना एवं अन्य क्षेत्रों में सरल विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान मानक। बृहत् परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए भारतीय एवं विदेशी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकीय गठबंधन किया है। इसके अतिरिक्त, परियोजना वित्तपोषण और एसपीवी या बीओटी/बीओएलटी/बीओओटी के आधार पर निष्पादन के लिए नए साधन है। **मेक इन इंडिया** पहल पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिये गए बल को ध्यान में रखते हुए कंपनी के बढ़े हुए कारबार परिप्रेक्ष्य में रखा है।

तथापि, सुरक्षा चिंताओं, प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकम्प और बूम संनिर्माण को रोकने वाली बाढ़ें जिनके साथ बहु कंपनियों जिनके पास अधिक पूंजी है से भरे हुए अवसंरचना बाजार और भूमि अर्जन तथा पर्यावरण अनापत्ति के कारण परिप्रेक्ष्य प्रभावित हो सकता है।

खंडवार और उत्पादवार कार्यनिष्पादन

कंपनी के आवर्त में सबसे बड़ा योगदान औद्योगिक, प्रक्रिया संयंत्र, सामग्री हस्तालन विद्युत और सीमा प्रबंधन परियोजना घटकों का है, जिसके पश्चात आवास एवं भवन संकर्म हैं। जिसके अंतर्गत हस्पताल परियोजना घटक है। इस घटक की प्रतिशत भागीदारी वर्ष 2014–15 में 33.27 प्रतिशत के मुकाबले तक वर्ष 2015–16 में 35.67 प्रतिशत हो गई है।

नीचे दी गई सारणी कंपनी के प्रचालनों का खंड वार विश्लेषण प्रस्तुत करती है :

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	खंड वार परियोजनाएं	2013–14		2014–15		2015–16	
		आवर्त	%	आवर्त	%	आवर्त	%
1	आवासन एवं भवन संकर्म जिसके साथ अस्पताल परियोजना हैं	224.78	26.29	343.12	33.27	462.13	35.67
2	बांध एवं सिंचाई परियोजनाएं	5.74	0.67	5.42	0.53	0.46	0.04
3	औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र, सामग्री हस्तालन और विद्युत एवं सीमा प्रबंधन परियोजनाएं	582.83	68.15	581.42	56.38	741.01	57.20
4	जल आपूर्ति एवं पर्यावरणीय योजनाएं	9.57	1.12	44.70	4.33	37.70	2.91
5	परिवहन संरचनाएं	3.02	0.35	13.16	1.28	11.58	0.89
6	अन्य परियोजनाएं	29.22	3.42	43.46	4.21	42.58	3.29
	योग	**855.16**	**100.00**	**1031.28**	**100.00**	**1295.46**	**100.00**

संभावना

भारत सरकार अवसंरचना क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संभव पहल कर रही है। हाल ही में सरकार ने संनिर्माण क्षेत्र में विदेशी प्रत्येक्ष विनिधान नियमों को न्यूनतम निर्मित क्षेत्र के साथ पूंजी अपेक्षा को कम करके और बाहर निकलने के मानकों को उदार बनाकर शिथिल किया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

कंपनी में आंतरिक नियंत्रणों के लिए पर्याप्त प्रणाली और सुविरचित प्रक्रियाएं हैं, जो सभी वित्तीय और प्रचालन कृत्यों को कवर करती हैं। इनको लेखा बही ने लेखांकन नियंत्रणों, अर्थव्यवस्था की मॉनीटरी और प्रचालनों की प्रभावशीलता, अप्राधिकृत उपयोग या नुकसान से आस्तियों के संरक्षण और वित्तीय तथा प्रचालन सूचना की विश्वसनीयता के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन नियंत्रणों का नियमित रूप से उनकी दक्षता और प्रभावशीलता के लिए पुनर्विलोकन किया जाता है।

प्रचालन कार्यनिष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्यनिष्पाादन पर चर्चा

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी ने पूर्ववर्ती वर्ष के 1,03,128 लाख रूपए के आवर्त की तुलना में 1,29,546 लाख रूपए का आवर्त हासिल किया और पूर्ववर्ती वर्ष के 4,121 लाख रूपए के कर–पूर्व लाभ की तुलना में 3,819 लाख रूपए का कर–पूर्व लाभ (पीबीटी) अर्जित किया। वर्ष के लिए समग्र मार्जिन पूर्ववर्ती वर्ष के 4926 लाख रूपए की तुलना में 4,514 लाख रुपए रहा।

वर्ष 2014–15 में कंपनी का निवल मुल्य 21,631 लाख रुपय था जो कि वर्ष 2015–16 में 1,153 लाख रुपय से बढ़कर 22,784 लाख रुपय हो गया।

बोर्ड ने 1,082 लाख रुपए के लाभांश का प्रस्ताव किया है जो कंपनी की वित्तिय वर्ष 2014–15 की शुद्ध मुल्य का 5 प्रतिशत है।

मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध मंच जिसके अंतर्गत नियोजित लोगों की संख्या है, में तात्विक विकास

कंपनी चालू परियोजनाओं के साथ–साथ भारत और विदेशों में विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए विशिष्ट विशेषीकृत कौशलों को नियोजित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2015–16 के दौरान भर्ती किए गए अधिकांश कर्मचारियों को विभिन्न कार्यनिष्पादन स्थलों पर तैनात किया गया है।

औद्योगिक संबंध वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण, सहयोगी और शांतिपूर्ण रहे। कंपनी की विभिन्न नीतियों को अंतिम रूप देते समय कर्मचारियों के विचारों पर विचार किया जाता है।

पर्यावरणीय संरक्षण और रक्षण, तकनीकी रक्षण, विदेशी मुद्रा की बचत

क) पर्यावरण रक्षण और संरक्षण

कंपनी पर्यावरणीय संरक्षण और उसके संवर्धन रक्षण के प्रति अपने उत्तरदायित्व के संबंध में पूर्णतः भिज्ञ है। पारिस्थितिकी की रक्षण इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह समीचीन है कि, किसी समुदाय में विकास की प्रक्रिया उसके पर्यावरण के अनुरूप होने के साथ–साथ उस समुदाय की विशिष्ट संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। कंपनी सामाजिक रूप से एक उत्तरदायी संगठन है और वह पर्यावरणीय चिंताओं पर आईएसओ नीति और प्रक्रिया मैनुअल के अधीन अपनी पर्यावरणीय प्रबंध प्रणाली (ईएमएस) के माध्यमों से ध्यान दे रही है और उसे पर्यावरणीय प्रबंध प्रणालियों को कवर करते हुए आईएसओ–14001 : 2004+ एसी : 2009 से प्रमाणित किया गया है।

पर्यावरण के गहन अनुकूल और ऊर्जा की बचत करने वाले उपाय जैसे भस्म ईंटों और पोर्टलैंड पोजालाना सीमेंट, वृक्षारोपण, व्हील वाशिंग सुविधा, जल संचयन, सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा, प्रकाश संवेदक, कम किया जा सकनेवाला प्रकाश आदि का कंपनी द्वारा उपयोग किया जा रहा है। कंपनी ने परियोजनाओं के निष्पादन में एकीकृत पर्यावास निर्धारण (जीआरआयएचए) के लिए हरित रेटिंग का अंगीकार किया है, जिसका परिणाम पर्यावरण के रक्षण के साथ–साथ ऊर्जा की बचत के रूप में हुआ है। कंपनी विविध पर्यावरणीय उपायों का भी अनुसरण करती है, जैसे ध्वनि नियंत्रण, तेल की लीकेज का नियंत्रण, जल के दुरुपयोग का नियंत्रण, धूम्रपान आदि पर नियंत्रण और उसने अपने सभी क्षेत्रों में 7,711 वृक्षों का भी रोपण किया है। पर्यावरण अनुकूल उपस्कर जैसे सौर प्रकाश आदि का भी निगम कार्यालय/विभिन्न परियोजना स्थलों पर प्रतिस्थापन किया जा रहा है।

(ख) प्रौद्योगिकीय संरक्षण

ईपीआई नई प्रदान की गई "नमामी गंगे परियोजना" में प्रौद्योगिकी संरक्षण के लिए नई विधियों के उपयोग का भी आशय रखती है, जैसे शून्य डिस्चार्ज के साथ माल उपचार जिसके अंतर्गत पुनः चक्रण के साथ ऑनलाइन उपचार, पृथक्करण के लिए पारिस्थितिकी निर्जीवानुकरण, पर्यावर्णीय प्रदूषण को कम करने के लिए प्रभावी सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी। ईपीआई परियोजना निष्पादन के दौरान सड़कों/बाडों,

श्री अनंत जी गीते, माननीय मंत्री भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा कोलकाता में नमामि गंगे परियोजना का उद्घाटन

नीव आदि के निर्माण के लिए उत्खनन की गई सामग्री का उपयोग करती है, जिससे संनिर्माण लागत की बचत होती है।

(ग) विदेशी मुद्रा संरक्षण

कंपनी हमेशा विदेशी मुद्रा की बचत करने का प्रयास करती है। घरेलू आवश्यकताओं के लिए स्वदेश में निर्मित सामग्रियों और मशीनों की खरीद की जाती है, जो कंपनी से विदेशी मुद्रा के बहिर्गम को रोकती है। नई प्रौद्योगिकियों, इंजीनियरी नूतनों, आदि को स्वयं के डिज़ाइन का विकास करने के लिए अंगीकृत किया जाता है।

प्रौद्योगिकियों का अनुकूलतम उपयोग करने के लिए और आधुनिक उत्पादन तथा प्रसंस्करण सुविधाओं की भारत में स्थापना करने के लिए मशीनरी, मशीनरी के समुचित उपांतरण/अंगिकरण के लिए, उपस्कर और विदेश आधारित प्रौद्योगिकीय डिज़ाइन को स्वदेशी स्रोतों से खरीदा जाता है। भारतीय परिस्थितियों की भीषणता के अधीन प्रचालन के लिए अंगीकार करने के लिए सभी प्रक्रियाओं को भीषण परीक्षण और जांचों से गुजारा जाता है। मूल्यवान विदेशी मुद्रा का व्यय भारतीय दक्षता का विस्तृत इंजीनियरी, विनिर्माण एवं सुविधाओं के संयोजन में नई प्रौद्योगिकियों और विदेश में विकसित जानकारी को अपनाकर उन्नत डिज़ाइन एवं तकनीकी विशेषताओं के माध्यम से न्यूनतम किया गया है।

सचेत करने वाला विवरण

इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट का विवरण कंपनी के उद्देश्यों, प्रेक्षणों का वर्णन करता है, जो लागू विधियों और विनियमों के अर्थात् गत आगे बढ़ने के लिए कथन हैं। वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त या समझे गए परिणामों से सारवान रूप से या तात्विक रूप से भिन्नण हो सकते हैं, महत्वपूर्ण विकास कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित कर सकते हैं जिनके अंतर्गत अवसंरचना क्षेत्र में अवमूल्यन की प्रवृत्ति, भारत में आर्थिक पर्यावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन, मुद्रा विनिमय दर में उतार–चढ़ाव, कर, विधियां, मुकदमेबाजी और श्रमिक संबंध हैं।

श्री हरीश रावत, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड बालीवाला फ्लाईओवर, देहरादून का उद्घाटन करते हुए

निगम शासन पर रिपोर्ट

1. निगम शासन पर कंपनी का दर्शन

कंपनी के मिशन/ध्येय कथन में 'पणधारियों के मूल्य का वर्धन' का उत्कीर्ण किया गया है। कंपनी दृढ़ता से यह विश्वास करती है कि अच्छे निगम शासन से सभी पणधारियों के लिए अविछिन्न आधार पर मूल्य का सृजन होता है। निगम शासन मुख्यतः पारदर्शिता, तात्विक तथ्यों का पूर्ण प्रकटन, बोर्ड की स्वतंत्रता और सभी पणधारियों के साथ न्यायोचित व्यवहार से संबंधित है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड का निगम प्रशासन पर दर्शन निम्नानुसार है :

'पेशेवरता का प्रयोग करना और कंपनी के सभी पणधारियों के लिए मूल्य का सृजन करने के लिए प्रभावी, उत्तरदायी और पारदर्शी होना है'।

2. निदेशक बोर्ड

(क) बोर्ड की संरचना

ईपीआई के बोर्ड के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय (अर्थात् भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय) के माध्यम से की जाती है।

31.03.2016 की स्थिति के अनुसार सात निदेशक पदारूढ़ हैं, अर्थात् अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, निदेशक (परियोजनाएं) जिन्होंने निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त भार संभाला है, दो अंशकालिक शासकीय निदेशक (सरकारी नामनिर्देशिती) और तीन अंशकालिक (गैर–शासकीय) निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)। जिसके अंतर्गत एक महिला निदेशक है। प्रशासनिक मंत्रालय को इस स्थिति से अवगत करवा दिया गया है।

(ख) निदेशक बोर्ड की संरचना के ब्यौरे निदेशक की श्रेणी बोर्ड की बैठकों और वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में उपस्थिति और वर्ष 2015–16 के दौरान धृत अन्य निदेशक पद नीचे दिए अनुसार हैं :

निदेशकों का नाम	श्रेणी	भाग ली गई बोर्ड की बैठक	अंतिम एजीएम जिसमें भाग लिया गया	अन्य पब्लिक कंपनियों में धृत निदेशक पदों की संख्या (जिसके अंतर्गत ईपीआई नहीं है)	अवधि
(क) पूर्णकालिक/कृत्यकारी निदेशक					
श्री. एस.पी.एस बक्शी डीआईएन : 02548430	अध्यक्ष–सह– प्रबंध निदेशक	8/8	हां	शून्य	05.02.2009 के प्रभाव से
श्री. वीनू गोपाल डीआईएनः 05173442	निदेशक (परियोजनाएं) एवं निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त भारः	8/8	हां	शून्य	02 .01.2012 के प्रभाव से

श्री. ए.वी.वी. कृष्णन डीआईएन 06404202	निदेशक (वित्त)	5/5	हां	शून्य	10.10.2013 के प्रभाव से 30.11.2015 तक
(ख) सरकारी नामनिर्देशती/अंशकालिक शासकीय निदेशक					
श्री. आर. के. सिंह संयुक्त सचिव, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय डीआईएनः 06459343	निदेशक	8/8	हां	4 (एस आईएल, एवाईसीएल, टी डव्ल्यूओसीएल, बीएचईएल)*	30.11.2012 के प्रभाव से
श्री. एस. एस. दूबे, प्रधान लेखा नियंत्रक (सीसीए) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय डीआईएनः 06601151	निदेशक	2/5	नहीं	1 (एचएमटीएल)* मशीन	08.05.2013 के प्रभाव से 30.11.2015 तक
श्री. सिया शरन प्रधान लेखा नियंत्रक, (सीसीए) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय डीआईएनः 07401363	निदेशक	2/2	लागू नहीं होता	1 (एचईसी)*	11.01.2016 के प्रभाव से
(ग) स्वतंत्र निदेशक/अंशकालिक (गैर–शासकीय) निदेशक					
डॉ. के. एस. राव, प्रोफेसर, वाणिज्य और प्रबंध अध्ययन विभाग, आन्ध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम डीआईएनः 03383447	निदेशक	8/8	हां	शून्य	04.02.2014 के प्रभाव से (पूर्व में 16.12.2010 से 15.12.2013 तक)
श्री. सुशांत बालिगा प्रबंध विज्ञान संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय डीआईएनः 06462815	निदेशक	3/3	लागू नहीं होता	शून्य	18.11.2015 के प्रभाव से

श्रीमती. अनीता चौधरी आईएएस, (सेवानिवृत्त), सचिव, भू-संसाधन विभाग भारत सरकार डीआईएनः 07328842	निदेशक	3/3	लागू नहीं होता	1 (एनपीसीआएएल)*	01.12.2015 के प्रभाव से

* टिप्पण संख्या 2 को निर्दिष्ट करें

इस्तेमाल किए गए संक्षेपाक्षर : एसआईएल–स्कूटर इंडिया लिमिटेड, एवाईसीएल–एंड्रयू यूल कंपनी लिमिटेड; टीडव्ल्यूओसीएल–टाइड वाटर ऑयल कंपनी लिमिटेड; बीएचईएल–भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड; एचएमटी– मशीन टूल्स लिमिटेड; एचईसी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड; एनपीसीआईएल; न्यूक्लिअर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।

टिप्पणियां:

वर्ष 2015–16 के दौरान और तत्पश्चात इस रिपोर्ट की तारीख तक बोर्ड की निदेशकता में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

1. श्री. एस पी एस बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, ईपीआई के कार्यकाल को आदेश संख्या 16/1/2008 –टीएसडव्ल्यू (खंड 3) तारीख 20 मई 2016, द्वारा 30 सितंबर 2018 तक (सेवा निवृत्ति तारीख) या अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पूर्व हो, बढ़ा दिया गया है।

2. श्री वीनू गोपाल को निदेशक (वित्त) का आदेश संख्या 16(14) 2013 –टीएसडब्ल्यू तारीख 4 दिसंबर 2015 द्वारा और आदेश संख्या 16(14) 2013 –टीएसडब्ल्यू तारीख 2 फरवरी 2016 द्वारा 6 महीने की अवधि के लिए अर्थात् 1 दिसंबर 2015 से 31 मई 2016 किया गया है। इस पद पर नियमित पद धारी की नियुक्ति तक या अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पूर्व हो अतिरिक्त पदभार प्रदान किया गया है। भारी उद्योग विभाग से अगले आदेश की प्रतीक्षा है।

3. श्री सुशांत बालिगा को भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के, आदेश संख्या 16(2)/2015 –टीएसडब्ल्यू तारीख 01 नवंबर 2015 द्वारा उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पूर्व हो अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक नियुक्त किया गया है।

4. श्रीमती अनीता चौधरी को भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के, आदेश संख्या 16(2)/2015 –टीएसडव्ल्यू तारीख 17 दिसंबर 2015 द्वारा उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए या अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पूर्व हो अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक नियुक्त किया गया है।

5. श्री सिया शरन को आदेश संख्या 16 (7)/2015 –टीएसडब्ल्यू तारीख 17 दिसंबर 2015 द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 153(3) एवं धारा 154 के निबंधनों में अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी निदेशक के रूप में नियुक्ति की प्रभावी तारीख 11 जनवरी 2016 अर्थात् कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा डीआईएन के आवंटन की तारीख मानी गई है।

6. श्री ए. वी. वी कृष्णन ने निदेशक (वित्त) का तारीख 30.11.2015 (ए/एन) अपराह्न से भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा आदेश संख्या 16 (14)/2013– टीएसडब्ल्यू तारीख 30 नवंबर 2015 द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार करने पर अपना पद छोड़ दिया है।

7. श्री एस. एस. दुबे ने तारीख 30 नवंबर 2015 (अपराह्न) के संदर्भ से शहरी विकास मंत्रालय में उनके स्थानांतरण पर मुख्य वित्त नियंत्रक (सीसीए), भारी उद्योग विभाग का पदभार छोड़ने के कारण ईपीआई के निदेशक का पद छोड़ दिया है।

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया

निदेशक बोर्ड की मुख्य भूमिका कंपनी के अच्छे शासन और कार्यकरण का सुनिश्चय करने की है। बोर्ड की बैठकें साधारणतया कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, नई दिल्ली में आयोजित की जाती हैं। बोर्ड नियमित अंतरालों पर कंपनी की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर चर्चा करने के लिए बैठकें करता है। बोर्ड अवधिक रूप से सभी लागू विधियों की अनुपालना प्रस्थिति का पुनरीक्षण करता है। बैठकों के लिए कार्यवृत्त की टिप्पणियां संबंधित अधिकारियों द्वारा तैयार की जाती है और उनका अनुमोदन अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित कृत्यकारी निदेशकों द्वारा उन्हें सभी निदेशकों को भेजने से पूर्व किया जाता है। कंपनी सचिव ये सुनिश्चय करता है कि, निदेशकों और ज्येष्ठ प्रबंधन को बैठकों में प्रभावी विनिश्चय करने के लिए सभी सुसंगत सूचना, ब्यौरे और दस्तावेज उपलब्ध कराए जांए। निदेशक बोर्ड द्वारा विनिश्चय विचार–विमर्श के पश्चात किए जाते हैं।

(घ) बोर्ड की बैठकों की संख्याः

वर्ष 2015–16 के दौरान निदेशक बोर्ड की आठ (8) बैठकें आयोजित की गई थी, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं.	बैठक की तारीख	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	10.06.2015	6	6
2.	21.07.2015	6	6
3.	21.08.2015	6	5
4.	29.09.2015	6	5
5.	26.11.2015	6	5
6.	02.01.2016	6	6
7.	15.01.2016	7	7
8.	01.02.2016	7	7

(ङ) स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें :

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने 2 मार्च 2016 को चेन्नई में (कार्यशील निदेशकों, सरकारी निदेशकों या प्रबंधन सदस्यों की उपस्थिति के बिना) कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 4–निवेशकों के लिए संहिता, की अनुपालना में बैठक की।

(च) इस समय बोर्ड में, निदेशकों का संक्षिप्त सार जिसके अंतर्गत वे भी हैं जो वर्ष 2015–16 के दौरान बोर्ड में शामिल हुए।

I) श्री. एस पी एस बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री. एस पी एस बक्शी, तारीख 05.02.2009 को अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला, श्री बक्शी हाईवेज एवं ट्रांस इंजीनियरी में स्नातकोत्तर और मानव संसाधन विकास में एमबीए हैं। वह इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) और इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर्स, यूएसए के फैलो सदस्य हैं। श्री बक्शी को अद्योपांत आधार पर परियोजना योजना एवं प्रबंधन में वृहत्त भवनों एवं विमानपत्तनों और हाईवे परियोजनाओं के विशेष संदर्भ में 34 वर्ष का व्यापक और समग्र अनुभव है। उन्होंने पब्लिक प्राइवेट सहभागिता के आधार पर परियोजनाओं को भी संभाला है। ईपीआई में पदभार संभालने से पूर्व श्री बक्शी ने एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत के राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण में उच्च पदों पर कार्य किया है। उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के मुख्य अवसंरचना विमानपत्तनों और हाईवे परियोजनाओं को भी संभाला है।

II) श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं)

श्री. वीनू गोपाल, ईपीआई में निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में तारीख 02.01.2012 को पदभार संभाला। वह व्यापक अनुभव रखने वाले एक सिविल इंजीनियर हैं और उनका विभिन्नतापूर्ण अनुभव रेलवे, हाईवे, पुल एवं भवनों के क्षेत्र में लागत आकलन, निविदा, कारबार विकास, संविदा प्रबंधन, आयोजना एवं परियोजना निष्पानदन में 35 वर्ष से अधिक अवधि का अनुभव है। श्री वीनू गोपाल ने भारत और विदेशों में बहु विषयी परियोजनाओं को जिसके अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट सहभागिता के आधार पर परियोजनाओं को संभाला है। ईपीआई में शामिल होने से पूर्व, श्री वीनू गोपाल ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के साथ कार्य किया है।

III) श्री. आर. के. सिंह, सरकारी नामनिर्देशिती

श्री. राजेश कुमार सिंह, भारत सरकार के नामनिर्देशिती के रूप में तारीख 30.11.2012 को अंशकालिक शासकीय निदेशक के रूप में ईपीआई में पदभार संभाला। श्री सिंह 1991 के बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं। वह मैकेनिकल इंजीनियरी में बी.टेक हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली से ताप इंजीनियरी में प्रौद्योगिकी में निष्णात किया है। उन्हें लोक प्रशासन और सरकारी मुद्दों का भू–राजस्व प्रबंधन और जिला प्रशासन, पर्यावरण और वन, युवा मामले और क्रीडा, शहरी विकास, श्रम और नियोजन, मानव संसाधन विकास, कृषि और सहकारिता, जल संसाधन आदि जैसे विभिन्न सरकारी विभागों में 21 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस समय वह भारी उद्योग विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर संयुक्त सचिव का पद धारण कर रहे हैं। उन्हें अनेक नूतन योजनाओं को लाने का श्रेय दिया जाता है। जिनका परिणाम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में और उत्तर प्रदेश के कृषि विपणन विभाग में लाभदायी रहा है।

IV) श्री. सिया शरन, सरकारी नामनिर्देशिती

श्री. सिया शरन, को ईपीआई में भारत सरकार के नामनिर्देशित के रूप में तारीख 11 जनवरी 2016 से अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है (भारी उद्योग विभाग के तारीख 17 दिसंबर 2015 के आदेश के अनुसरण में और कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के डीआईएन के अनुमोदन के पश्चात्)। श्री सिया शरन भारतीय लागत लेखा सेवा के 1993 बैच के अधिकारी हैं। वह जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान में निष्णात हैं और सामाजिक विज्ञान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एक अर्हित कनिष्ठ अनुसंधान फैलो हैं। उनके पास वित्त, बजट एवं लेखा, संदाय और खजाना कार्यों में विभिन्न मंत्रालयों जैसे इस्पात एवं खान मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में प्रचुर और

भिन्नतापूर्ण अनुभव है। उनको एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में अध्यापन का और राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान में प्रशासनिक अधिकारी का भी अनुभव है। इसमें वह एचईसी और ईपीआई मैं निदेशक बोर्ड में हैं और उन्हें उद्योग मंत्रालय में मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में भी तैनात किया गया है, जहां पर वह उद्योग संवर्धन एवं योजना विभाग, भारी उद्योग विभाग, उपक्रम विभाग और मध्यम लघु और सूक्ष्म उपक्रम विभाग के बजट एवं लेखा, संदाय और खजाना कार्य को देख रहे हैं। उन्होंने एकीकृत वित्तीय सलाहकार के रूप में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मैं प्रेस सूचना ब्यूरो के एकीकृत वित्तीय कार्यों को भी संभाला है। उन्होंने ड्यूक विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ, भारतीय प्रबंध संस्थान बंगलुरु, राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान और आयसीआईएसए के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।

V) डॉ. के. एस. राव, स्वतंत्र निदेशक

डॉ. के. एस. राव, आन्ध्रा विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम में वाणिज्य, एवं प्रबंधन अध्ययन विभाग में प्रोफेसर हैं। श्री राव ईपीआई में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में 16 दिसम्बर, 2010 को पदभार संभाला। उन्हें वाणिज्य और प्रबंधन के क्षेत्र में 30 वर्ष से अधिक का व्यापक शिक्षण और अनुसंधान का अनुभव है। वह अखिल भारतीय वाणिज्य संघ, केरल वाणिज्य संघ, भारतीय लेखांकन संघ के आजीवन सदस्य हैं और वह अनुसंधान विकास संघ के सदस्य हैं। डॉ. राव को वर्ष (1990) में वाणिज्य में, 'यूजीसी कैरियर पुरस्कार' प्रदान किया गया था। वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण और अनुसंधान परिषद, केंद्रीय उच्च तर शिक्षा बोर्ड और पंडित सुन्दर लाल शर्मा, केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल आदि विभिन्न शैक्षिक निकायों के साथ सहबद्ध हैं। उन्होंने विभिन्न प्रख्यात पत्रों में अनेक अनुसंधान पेपर प्रकाशित किए हैं। वह एम. फिल और पीएचडी उपाधियों के लिए अनेक अध्येनताओं के मार्गदर्शक भी हैं।

VI) श्री. सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक

श्री. सुशांत बालिगा ईपीआई में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में दिनांक 18 नवंबर 2015 को पदभार संभाला। श्री बालिगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (1972) से बी टेक और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (1975) से एम. टेक है तथा प्रबंध विज्ञान संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए (2006) हैं। वह इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग एण्ड सिस्मोलॉजी में सुकुवा विश्वविद्यालय, जापान से भूकंप में प्रमाण पत्र धारक हैं। मारूंगाओ बार्स बर्थ, गोवा के संनिर्माण के लिए वह रोडियो– हजरत (अब अफकौन) के साथ नियोजित थे। वह इंजीनियरी सेवा परीक्षा (1974) के माध्यम से सहायक कार्यपालक इंजीनियर वर्ग–1 के रूप में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत हुये। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने डिज़ाइन कार्यालयों से (बिहार, झारखंड और ओडिशा का प्रभारी मुख्य इंजीनियर) आंचलिक प्रमुख के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य किया और प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपए की मूल्य की परियोजनाओं को निष्पादित किया। सेवा की इस अवधि के दौरान वह विभिन्न संगठनों अर्थात नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड मैं कार्यपालक निदेशक के रूप में भी तैनात हुए थे। जहां पर उन्होंने कारबार विकास, और अंतर्राष्ट्रीय कारबार योजना, परामर्श, कारपोरेट स्तर पर डिज़ाइन और परियोजना मोनिटरींग के अतिरिक्त दक्षिण क्षेत्र में परियोजनाओं को कार्यान्वित किया कर्मचारी राज्य बीमा निगम में मुख्य इंजीनियर रहे राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण में निदेशक थे जो विभिन्न विश्व बैंक और एडीबी वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए उत्तरदाई थे। वह भारत सरकार से मई 2011 में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अपर महानिदेशक के रूप में सेवा करने के पश्चात सेवानिवृत्त हुए।

सेवानिवृत्ति के पश्चात वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रोपड़ भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुणे, अखिल भारतीय प्रद्योगिकी शिक्षा परिषद फिक्की, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड विश्व बैंक आदि के लिए विभिन्न सलाहकार क्षमताओं में नियोजित रहे हैं और वह बोर्ड ऑफ ब्रिज एण्ड रूफ (इंडिया) लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक का पद धारण कर रहे हैं। वह भारतीय रोड कांग्रेस और भारतीय मध्यस्थम परिषद् के आजीवन सदस्य भी हैं।

VII) श्रीमती. अनीता चौधरी, स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती. अनीता चौधरी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (76 एचवाई) , भारत सरकार, भू संसाधन विभाग से सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुई। वह फर्गुसन महाविद्यालय, पुणे से अंग्रेजी साहित्य में निष्णात है और यूनिवर्सिटी ऑफ बिरर्मिंघम, यूनाइटेड किंगडम से सामाजिक विज्ञान में निष्णात हैं। इस समय वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से सूचना का अधिकार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर पी.एचडी कर रही है। उन्होंने देश और विदेश में महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम किए हैं। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम कोरिया में कृषि विपणन और हार्वर्ड में वित्त और लोकनीति है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में 37 वर्ष के अपने कैरियर के दौरान उन्होंने राज्य और केंद्रीय सरकार में वित्त, गृह, उद्योग, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, खाद्य और कपड़ा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण पद धारण किए हैं। वह भारत सरकार के केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम की प्रबंध निदेशक रही है। इसमें वह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले कार्यदल की सदस्य हैं।

(छ) निदेशकों की नियुक्ति

सभी निदेशकों की नियुक्ति (अंशकालिक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों, महिला निदेशकों सहित) सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए यह संभव नहीं है कि, एजीएम की सूचना में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति के लिए कोई मद हो, जो निदेशकों की कुल संख्या के दो तिहाई से अन्य के व्यक्तियों के रूप में होने की अपेक्षा का अवधारण करती है, जिनकी पदावधि साधारण बैठक में निदेशकों के चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्त द्वारा अवधारित किए जाने की दायी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अनुसार धारा 152 की उपधारा (6) और उप–धारा (7) के उपबंध निदेशकों के चक्रानुक्रम में सेवानिवृत्ति की बाबत स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को लागू नहीं होते हैं।

इसके अतिरिक्त अंशकालिक निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त अपने प्रशासनिक मंत्रालय में उनके पद के कारण पदधारण करते हैं और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नियत अवधि के लिए की जाती है, जिसके कारण किसी निदेशक को प्रत्येक वर्ष चक्रानुक्रम में वास्तविक रूप से सेवानिवृत्त करने का कोई अवसर नहीं है। इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 को प्रभावी करना संभव नहीं है।

3. संपरीक्षा समिति

कंपनी की संपरीक्षा समिति का बोर्ड द्वारा सम्यक्त गठन किया गया है, जिसकी शक्तियां और भूमिका निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शन सिद्धांतों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसरण में परिभाषित हैं।

निदेशकों में परिवर्तन के साथ संपरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया है। समिति को दिनांक 15.01.2016 को निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनः गठित किया गया है :

1.	डॉ. के.एस. राव, स्वतंत्र निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	श्री. वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं)	–	सदस्य
3.	श्री. सिया शरन, सरकारी नामनिर्देशिती	–	सदस्य
4.	श्री. सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक	–	सदस्य
5.	श्रीमती अनीता चौधरी, स्वतंत्र निदेशक	–	सदस्य

वर्ष 2015–16 के दौरान समिति की तारीख 21.07.2015, दिनांक 21.08.2015, 29.09.2015, 26.11.2015 और 01.02.2016. तक पांच बैठकें आयोजित की गई थीं।

उपस्थिति के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

सदस्य	क्रमशः उनकी पदावधि के दौरान आयोजित की गई बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया
डॉ. के. एस. राव, स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष	5	5
श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं)	5	5
श्री सिया शरन, सरकारी नामनिर्देशिती@	1	1
श्री सुशांत बालिगा, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक@	1	1
श्रीमती अनीता चौधरी, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक@	1	1
श्री आर. के. सिंह, अंशकालिक सरकारी निदेशक*	4	4
श्री एस. एस. दूबे, अंशकालिक सरकारी निदेशक#	4	1

* 14 जनवरी 2016 तक सदस्य # 30 नवंबर 2015 तक सदस्य (पद त्याग दिया)। @ 15 जनवरी 2016 से सदस्य

संपरीक्षा समिति के निर्देश के निबंधन

संपरीक्षा समिति के निर्देश के निबंधन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 117 और निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। इन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के निबंधनों के अनुसार 21 जुलाई, 2014 से निम्नानुसार संशोधित किया गया है :–

1. कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति के निबंधनों की सिफारिश।
2. लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्यनिष्पादन तथा लेखा प्रक्रिया की प्रभावशीलता का पुनरीक्षण और मानीटरी।
3. वित्तीय विवरण और उसमें लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच।
4. संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी के संव्यवहारों के पश्चातवर्ती उपांतरण का अनुमोदन।
5. अंतः निगम ऋणों और विनिधानों की संवीक्षा।
6. कंपनी के वचनबंधों या आस्तियों का मूल्यांकन, जहां यह आवश्यक हो।
7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
8. लोक प्रस्तावना और संबंधित मामलों जहां लागू हों, के माध्यम से इक्ट्ठा की गई निधियों के अंतिम उपयोग की मानीटरी।
9. लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षा के स्कोप, जिसके अंतर्गत लेखापरीक्षकों का पर्यवेक्षण और बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरण का पुनर्विलोकन भी है के विषय में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां मांग सकती है और अन्य किसी संबंधित मुद्दों पर आंतरिक और कानूनी लेखापरीक्षकों तथा कंपनी के प्रबंधन के साथ विचार–विमर्श कर सकती है।

10. लेखापरीक्षा समिति को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) में विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में या उसे बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट मदों पर जांच करने का प्राधिकार होगा और इस प्रयोजन के लिए उसे बाह्य स्रोतों से व्यावसायिक परामर्श अभिप्राप्त करने की शक्ति होगी और कंपनी के अभिलेखों में अंतर्विष्ट सूचना तक उसकी पूरी पहुंच होगी।

11. कंपनी या बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षकों के परामर्श से आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए स्कोप, कार्यकरण, अवधि और विधि की विरंचना करेगी।

12. कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट करने की प्रक्रिया और उसकी वित्तीय सूचना के प्रकटन को देखना ताकि यह सुनिश्चय किया जाए सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।

13. कानूनी लेखापरीक्षकों को कानूनी लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई किसी अन्य सेवा के लिए संदाय का अनुमोदन।

14. बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व वार्षिक वित्तीय विवरणियों का निम्नलिखित के विशिष्ट। संदर्भ में पुनर्विलोकन :

    क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के निबंधनों के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के दायित्व का विवरण में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित मुद्दे।

    ख. लेखांकन नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हों, और उसके कारण।

    ग. प्रबंधन द्वारा उनके निर्णय के उपयोग के आधार पर प्राक्कलनों को अंतर्वलित करती हुई प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां।

    घ. लेखापरीक्षा में पता लगाए जाने के कारण उद्भूत वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।

    ङ. वित्तीय विवरणियों से संबंधित विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन।

    च. संबंधित पक्षकार संव्यवहार का प्रकटन/पुनर्विलोकन।

    छ. प्रारूप लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं।

15. बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरणियों का प्रबंधन के साथ त्रैमासिक पुनर्विलोकन।

16. प्रबंधन के साथ आंतरिक लेखापरीक्षकों के कारण निष्पादन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता का पुनर्विलोकन।

17. आंतरिक लेखापरीक्षा कृत्य, यदि कोई हो की पर्याप्तता का पुनर्विलोकन जिसके अंतर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग का ढांचा, कर्मचारीवृंद और विभाग की अध्यक्षता करने वाले कार्यकारी की ज्येष्ठता, रिपोर्ट करने का ढांचा, कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति भी है।

18. किसी महत्वपूर्ण प्रकटन पर आंतरिक लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।

19. आंतरिक लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों द्वारा उन मामलों में आंतरिक जांच से हुए प्रकटन का पुनर्विलोकन जहां किसी कपट या अनियमितता या तात्विक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की असफलता और बोर्ड को उस विषय को रिपोर्ट करने का पुनर्विलोकन।

20. लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लेखापरीक्षा की प्रकृति और स्कोप की चर्चा के साथ–साथ लेखापरीक्षा पश्च किसी चिंता वाले क्षेत्र का पता लगाने के लिए चर्चा।

21. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के असंदाय की दशा में) और लेनदारों को संदाय में सारवान व्यतिक्रम के कारणों की जांच।

22. सूचना देने वाले/सतर्कता तंत्र के कार्यकारण का पुनर्विलोकन।

23. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा पर्यवेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई का पुनर्विलोकन।

24. संसद की लोक उपक्रम समिति (सीओपीयू) द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का पुनर्विलोकन।

25. स्वतंत्र लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक और निदेशक बोर्ड के बीच संचार के लिए खुले पथ का उपबंध।

26. कवरेज की संपूर्णता, निरर्थक प्रयासों में कमी और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने का सुनिश्चय करने के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के साथ पुनर्विलोकन।

27. स्वतंत्र लेखापरीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार और पुनर्विलोकनः

    क. आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा भी है, और

    ख. संबंधित पता लगाई गई चीजें और स्वतंत्र लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों का प्रबंधन के प्रत्युत्तरों के साथ सिफारिशें।

28. निम्नलिखित पर प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षक और स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ विचार और पुनर्विलोकन :

    क. वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण पता लगाई गई चिजें जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा सिफारिशें भी हैं।

    ख. लेखापरीक्षा कार्य के दौरान सामने आई कोई कठिनाईयों जिसके अंतर्गत कार्यकलापों के क्षेत्र पर या अपेक्षित सूचना तक पहुंच पर कोई निर्बंधन भी है।

29. लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में भी शक्तियां होगी :

    क. संदर्भ के निबंधनों के अंतर्गत किसी कार्यकलाप की जांच करना।

    ख. किसी कर्मचारी पर और उससे किसी सूचना को प्राप्त करना।

    ग. निदेशक बोर्ड के अनुमोदन के अधीन रहते हुए बाह्य विधिक या अन्य व्यवसायिक परामर्श अभिप्राप्त करना।

    घ. सुसंगत विशेषज्ञता रखने वाले बाह्य व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे।

    ङ. सूचना प्रदाताओं की संरक्षा।

30. लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित सूचना का पुनर्विलोकन करेगी :

    क. प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण तथा प्रचालनों का परिणाम;

    ख. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुति संबंधित पक्षकार संव्यवहारों का विवरण।

    ग. प्रबंधन पत्र/कानूनी लेखा परीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र।

    घ. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टें।

ङ. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति और पद से हटाने को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाएगा; और

च. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रमाणन/वित्तीय घोषणा।

31. कोई अन्य कृत्य जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 और तद्धीन बनाए गए नियमों और डीपीई निगम शासन मार्ग निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

4. निदेशक बोर्ड की अन्य समितियां

बोर्ड की निम्नलिखित दो अन्य समितियां हैं :

i) निगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और भरणीयता समिति

कंपनी ने तारीख 15.03.2013 को (दिनांक 02.01.2016 को पुनर्गठित) पुनरीक्षित निगम सामाजिक दायित्व और भरणीयता तथा कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार डीपीई मार्गनिर्देशों के अनुसरण में एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक बोर्ड स्तरीय निगम सामाजिक दायित्व और भरणीयता समिति का गठन किया है।

सघः स्थिति में समिति में निम्नलिखित सदस्य है।

1. डॉ. के. एस. राव, स्वतंत्र निदेशक–अध्यक्ष
2. श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक–सदस्य
3. श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं)–सदस्य

वर्ष 2015–16 के दौरान समिति ने दिनांक 21.08.2015, 29.09.2015 और 26.11.2015 को बैठकें की हैं।

उपस्थिति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं –

नाम	क्रमशः उनकी पदावधि के दौरान आयोजित की गई बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया
डा. के. एस. राव, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष	3	3
श्री वीनू गोपाल, निदेशक, (परियोजनाएं)	3	3
श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य#	0	0
श्री ए.वी.वी. कृष्णन, निदेशक (वित्त), सदस्य*	3	3

2 जनवरी 2016 से सदस्य * 30 नवंबर 2015 तक सदस्य (पदत्याग)

कंपनी के निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता एजेंडा के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में कार्यकारियों के एक दल का भी गठन किया गया है।

कंपनी द्वारा निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता पहलों के अधीन हाथ में लिए गए कार्यकलापों के ब्यौरे निदेशकों की रिपोर्ट के साथ निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर रिपोर्ट के अनुरूप में उपाबद्ध है।

ii) पारिश्रमिक समिति

निदेशकों/ज्येष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें सरकारी मार्गदर्शक सिद्धांतों/डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा शासित होती हैं।

पारिश्रमिक समिति का गठन कंपनी अधिनियम की धारा 178 और निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील वेतन पूल और कार्यकारियों को तथा ऐसे पर्यवेक्षकों को जो किसी संगम में नहीं हैं को उसके वितरण का विनिश्चय करने के लिए किया गया है।

समिति का तारीख 15.01.2016 को निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया गया है :

1. श्रीमती अनीता चौधरी, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2. डॉ. के. एस. राव, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
3. श्री आर.के. सिंह, अंशकालिक सरकारी निदेशक – सदस्य
4. श्री सिया शरन, अंशकालिक सरकारी निदेशक – सदस्य

श्री वीनू गोपाल, सदस्य (परियोजनाएं) पूर्वोक्त पारिश्रमिक समिति में स्थायी आमंत्रित होंगे।

वर्ष 2015–16 के दौरान तारीख 21 अगस्त 2015 को समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी।

बैठक की उपस्थिति निम्नानुसार है:–

सदस्य	क्रमशः उनकी पदावधि के दौरान आयोजित की गई बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया
श्रीमती अनीता चौधरी, स्वतंत्र निदेशक	0	0
डॉ के. एस. राव, स्वतंत्र निदेशक#	1	1
श्री आर.के. सिंह, अंशकालिक सरकारी निदेशक	1	1
श्री सिया शरन, अंशकालिक सरकारी निदेशक	0	0
श्री एस.एस दूबे, अंशकालिक सरकारी निदेशक@	1	0

* तारीख 15 जनवरी 2016 से अध्यक्ष # तारीख 15 जनवरी 2016 से अध्यक्ष @ 30 नवंबर 2015 तक सदस्य (पद त्याग दिया)

5. अन्य उप–समितियां

कंपनी के ज्येष्ठ प्रबंध कार्मिकों से मिलकर बनने वाली (अर्थात् बोर्ड स्तर से नीचे) निम्नलिखित समितियां विद्यमान है।

शेयर अंतरण समिति

कंपनी की सभी शेयरों के अंतरणों और पारेषणों की निगरानी के लिए एक शेयर अंतरण समिति हैं। एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड रजिस्ट्रार था शेयर अंतरक एजेंट को शेयर अंतरण को रजिस्टर करने और निक्षेपागारों आदि के साथ समन्वय करना है।

शेयर अंतरण समिति कंपनी के अधिकारियों अर्थात् वित्त प्रभाग के प्रमुख, विधिक प्रभाग के प्रमुख और संविदा प्रभाग के प्रमुख से मिलकर बनी है। वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अंतरण नहीं हुआ है।

कंपनी की प्राधिकृत और शेयर पूंजी क्रमशः 909.40 करोड़ रुपए (10 रुपए के प्रत्येक 909,404,600 साम्या शेयरों में विभाजित) और 35.42 करोड़ रुपए (10 रुपए के प्रत्येक 35,422,688 साम्या शेयरों में विभाजित) है।

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी का शेयर धृति पैटर्न नीचे दिए अनुसार है।

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	शेयरों की संख्या	प्रतिशत धृति
1.	भारत का राष्ट्रपति, भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम विभाग	35415677	99.98
2.	अन्य. (जिसके अंतर्गत छह पब्लिक सेक्टर उपक्रम अर्थात् हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि., भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि. एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि., त्रिवेणी स्ट्रकचरल लि., हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि. और ईपीआई शेयर धारक न्यास) शामिल हैं।	7011	0.02

जोखिम प्रबंधन

कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिम का पता लगाने, मूल्यांकन करने और उसे कम करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन नीति की विरचना की है। जोखिम प्रबंधन नीति के मुख्य उद्देश्य जोखिम की पहचान करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए और उसे कम करने के लिए एक फ्रेमवर्क को परिभाषित करना है ताकि पूर्व क्रियाशीलता को बढ़ावा दिया जाए न कि प्रतिक्रियाकारी प्रबंधन को, सम्पूर्ण संगठन में विनिश्चय करने की गुणवत्ता में सहायता करके उसमें सुधार करने का उपबंध किया जा सके।

वर्ष के दौरान कार्मिकों को स्कोप और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के उन्नत अनुसंधान निदेशालय द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित 'जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा' पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया था। इस कार्यक्रम आंतरिक लेखा परीक्षकों के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा अप्रोच को समझने और उन्हें इस आंतरिक लेखापरीक्षा अप्रोच में अभ्यास करने के लिए व्यवहारिक परीक्षण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

जोखिम प्रबंधन समिति

जोखिम प्रबंधन समिति दोहरी संरचना से मिलकर बनी है, अर्थात् पांच सदस्यीय निगम स्तरीय समिति, जिसका सीधे नियंत्रण पर्यावेक्षण और मार्गदर्शन निदेशक (परियोजना) द्वारा किया जाएगा और चार क्षेत्र स्तरीय समितियां, जो क्षेत्रों के अध्यक्षों से मिलकर बनेगी, जो क्षेत्रीय/स्थल स्तर पर निगम स्तरीय समिति को नियमित आधार पर रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

6. अनुषंगी कंपनी

वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात् 19 मई 2016 को 10 लाख रूपए की संदत पूंजी के साथ ईपीआई द्वारा 51 प्रतिशत, मैसर्स भारत अरबन इन्फ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सोलापुर, (बीयूआडीपीएल) 39 प्रतिशत और मैसर्स दाराशा एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई (डीसीपीएल) द्वारा 10% के साथ ''ईपीआई अरबन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड'' को भूमि पार्सलों आदि के विकास के लिए निगमित किया गया है।

7. प्रकटन

i) वर्ष 2015–16 के दौरान कृत्यकारी निदेशकों को संदत्त पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशकों को संदत्त बैठक फीस के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं:

क. कृत्यकारी/पूर्णकालिक निदेशक :

(रूपए में)

निदेशकों के नाम	वेतन	लाभ	कार्य निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन#	योग
श्री. एस पी एस बक्शी अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	26,26,515	12,94,443	19,54,370	58,75,328
श्री. वीनू गोपाल निदेशक (परियोजनाएं)	23,45,025	10,02,914	3,00,591	36,48,530
श्री. ए.वी.वी. कृष्णन, निदेशक (वित्त) (नवम्बर 2015 तक)	16,09,676	7,69,960	87,941	24,67,577

इसके अंतर्गत पूर्ववर्ती वर्ष के लिए कार्य निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन भी है।

ख स्वतंत्र निदेशक :

(रूपए में)

निदेशक का नाम	बैठक फीस		कुल
	बोर्ड बैठक	समिति बैठक	
डॉ. के. एस. राव	85,000	70,000	1,55,000
श्री सुशांत बालिगा	35,000	10,000	45,000
श्रीमती अनीता चौधरी	35,000	10,000	45,000

1 फरवरी 2016 के संदर्भ से बैठकों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र निदेशक को संदत्त बैठक फीस को प्रति बोर्ड स्तरीय बैठक के लिए 10,000/– रुपये से पुनरीक्षित करके प्रति बोर्ड स्तरीय बैठक के लिए 15,000/– रुपये और बोर्ड स्तरीय समिति की बैठक के लिए 7,500/– रुपये को पुनरीक्षित करके 10,000 प्रति बोर्ड स्तरीय समिति की बैठक कर दिया गया है

ii) सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा नियत वेतनमानों में की जाती है। तद्नुसार अध्यक्ष–सह–निदेशक–प्रबंध निदेशक की नियुक्ति 275,000–90,000 (आईडीए) के पुनरीक्षित अनुसूची, 'ख' वेतनमान में की गई है और सभी पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्तिए 65,000–75,000 (आईडीए) के पुनरीक्षित अनुसूची, 'ग' वेतनमान में की गई है। उनकी नियुक्ति के अन्य निबंधनों और शर्तों को भी भारत सरकार द्वारा भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग द्वारा नियत किया जाता है।

iii) निदेशकों की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार उनके पारिश्रमिकों और अंशकालिक (गैर–शासकीय) निदेशकों को पात्र बैठक फीस के अतिरिक्त किसी भी निदेशक का कंपनी के साथ कोई तात्विक या धन संबंध नहीं है जो उनके स्वतंत्र निर्णय को प्रभावित करे।

iv) वर्ष के दौरान तात्विक रूप से पक्षकार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार नहीं हुए थे जो अधिकांशतः कंपनी के हितों से संभाव्य रूप से प्रतिकूल हों। लेखांकन मानक 18 के अनुसार संबंधित पक्षकार संव्यंवहार का ब्यौरा लेखाओं की टिप्पणियों का भाग बनता है।

v) विभिन्न विभागों से प्राप्त कानूनी अनुपालना रिपोर्ट को कानूनी शोध्यों की प्रस्थिति के साथ नियमित रूप से बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

vi) सिवाय बिक्री कर मामले जो अपील के अधीन हैं, किसी कानूनी निकाय द्वारा शास्ति या कठोर अलोचना का कोई दृष्टांत नहीं हुआ है।

vii) कंपनी डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए निगम शासन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है।

viii) वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा कोई राष्ट्रपतीय विनिदेश जारी नहीं किया गया था।

ix) वर्ष के दौरान लेखा बहियों और लेखाओं में किसी खर्च जो कारबार व्यय के प्रयोजनों के लिए नहीं है और कोई व्यय जो व्यक्तिगत प्रकृति का है, निदेशक बोर्ड और उच्च प्रबंधन द्वारा विचलित नहीं किया गया है।

x) कंपनी में व्यय के निवारण, उसका पता लगाने और उसके रिपोर्ट करने के लिए सितम्बर, 2010 से कपट निवारण नीति लागू है।

xi) कुल व्ययों के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय वर्ष 2014–15 में 2.32 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015–16 में 2.69 प्रतिशत रहे हैं। कुल व्ययों के प्रतिशत के रूप में वित्तीय व्यय वर्ष 2014–15 में 0.69 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015–16 में 0.5 प्रतिशत रहे हैं। प्रशासनिक व्ययों में वृद्धि संदेहस्पद ऋणों/ऋणों और अग्रिमों के लिए लेखांकन नीति संख्या 10 की अनुपालना के लिए प्रशासनिक व्यय के कारण हुई है।

xii) कंपनी के वित्तीय विवरणों की बाबत कंपनी के प्रधान कार्यकारी अधिकारी प्रधान वित्त अधिकारी द्वारा एक प्रमाणपत्र **उपाबंध–ख 1** पर रखा गया है।

xiii) कंपनी की वेबसाइट (www.engineeringprojects.com) कंपनी के अधिकारी समाचारों को जैसे वार्षिक रिपोर्ट, निविदाएं और भर्ती के अवसरों आदि को प्रदर्शित करती है।

8. साधारण निकाय बैठकें :

i) कंपनी की पिछली तीन वार्षिक साधारण बैठकों के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

एजीएम	वित्तीय वर्ष	एजीएम की तारीख और समय	स्थान (पंजीकृत कार्यालय)
45वीं	2014–15	29 सितम्बर, 2015 को 3.00 बजे सांय	कोर–3, स्कोप कॉम्पलैक्स (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
44वीं	2013–14	29 सितम्बर, 2014 को 3.00 बजे सांय	कोर–3, स्कोप कॉम्पलैक्स (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
43वीं	2012–13	30 सितम्बर, 2013 को 3.00 बजे सांय	कोर–3, स्कोप कॉम्पलैक्स (चौथा तल), 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए 46वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना में दिन, तारीख, समय, वार्षिक साधारण बैठक का स्थल, रूट मानचित्र के साथ अंतर्विष्ट है।

ii) पिछली तीन एजीएम में पारित विशेष संकल्पों के ब्यौरे

एजीएम	वित्तीय वर्ष	पारित विशेष संकल्प के ब्यौरे
45वीं	2014–15	शून्य
44वीं	2013–14	शून्य
43वीं	2012–13	शून्य

9. सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने ग्रुप महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी (पी एण्ड एम) को लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और गुवाहाटी के प्रादेशिक प्रमुखों को सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) नियुक्त किया है। कार्यपालक निदेशक (सी एण्ड ई) प्रथम अपील प्राधिकारी है।

वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई सूचना उपदर्शित समय के भीतर 46 आवेदकों/अनुरोधकर्ताओं को प्रदान की गई।

10. शेयरधारकों के साथ संपर्क के साधन

कंपनी की संदत्त पूंजी का 99.98 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा धृत है और शेष 0.02 प्रतिशत सात सीपीएसई और इन सीपीएसई के निमित सृजित न्यास द्वारा धृत है।

कंपनी की द्विभाषी वार्षिक रिपोर्ट अन्य सुसंगत सूचना के साथ कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की जाती है और इसे संसद के समक्ष भी रखा जाता है। वार्षिक रिपोर्ट आदि को भौतिक प्रारूप के साथ इलेक्ट्रॉनिकी रीति में भी जारी किया जा रहा है।

11. संपरीक्षा टिप्पणियां

कानूनी संपरीक्षकों और सचिवालय संपरीक्षकों की टिप्पणियों के प्रत्युत्तर को निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्नक के रूप में सम्मिलित किया गया है। निदेशकों की रिपोर्ट के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का प्रत्युत्तर, यदि कोई हो तो, को निदेशकों की रिपोर्ट के साथ एक वर्धन के रूप में उपाबद्ध कर दिया जाएगा।

12. निदेशक बोर्ड का प्रशिक्षण

कंपनी, कंपनी के निदेशक बोर्ड में नए नियुक्त निदेशकों को आरंभिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। प्रशिक्षण में कंपनी के विषय में संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण और कंपनी के कार्यनिष्पादन के विषय में महत्वपूर्ण डाटा, संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद ईपीआई का ब्रोशर, डीपीई द्वारा निगम शासन पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांत, आईसीएसआई द्वारा निदेशक बोर्ड की बैठकों पर सचिवालयी मानक (एसएस–1) और साधारण बैठकों पर सचिवालय मानक (एसएस–2), स्वतंत्र निदेशक– पर प्रकाशित पुस्तिका आदि शामिल है। निदेशकों को स्कोप द्वारा और निदेशक संस्थान (आईओडी) आदि द्वारा आयोजित सेमिनारों/संगोष्ठियों के लिए भी प्रायोजित किया जाता है।

13. विह्सल ब्लोअर नीति

ईपीआई में वर्ष 2010 से ही विह्सल ब्लोअर नीति विद्यमान है, जो उन व्यक्तियों के उत्पीड़न के लिए पर्याप्त सुरक्षोपायों का उपबंध करती है, जो ऐसे तंत्र का उपयोग करते हैं और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक समुचित या आपवादिक मामलों में सीधे पहुंच का उपबंध करती है।

सभी कर्मचारी अध्यक्ष, संपरीक्षा समिति को अधिमानता लिखित में संरक्षित प्रकटन करने के लिए पात्र हैं।

इस नीति की विरचना निगम शासन पर डीपीई मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना के लिए की गई थी। यह कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 की अपेक्षाओं को भी पूरा करती है, जो वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र की स्थापना का उपबंध करती है।

वर्ष के दौरान किसी कार्मिक को संपरीक्षा समिति तक पहुंच से नहीं रोका गया है।

14. आचार संहिता

निदेशक बोर्ड ने बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के ज्येष्ठ प्रबंधन के लिए कारबार आचार– और नैतिकता की संहिता अधिकथित की है। आचार संहिता को कंपनी की वेबसाइट www.engineeringprojects.com पर होस्ट किया गया है। कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों और प्रमुख अधिकारियों ने संहिता की अनुपालना के लिए प्रतिज्ञान किया है। इस प्रभाव की एक घोषणा इस रिपोर्ट के साथ **उपाबंध–ख2** के रूप में उपाबद्ध है।

इसके अतिरिक्त डॉ. के. एस. राव, स्वतंत्र निदेशक, श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती अनिता चौधरी, स्वतंत्र निदेशक ने एक घोषणा की है कि, वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में उपबंधित स्वतंत्रता के मानदंड को पूरा करते हैं।

15. अनुपालना प्रमाणपत्र

यह रिपोर्ट सीपीएसई के लिए निगम शासन पर सभी मार्गदर्शक सिद्धांतों की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपाबंध–VII में वर्णित सभी सुझाव दी गई लागू मदों को कवर करती है। डीपीई द्वारा विहित निगम शासन अपेक्षाओं की अनुपालना पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय को भी नियमित रूप से भेजी जाती है। सीपीएसई के निगम शासन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों की शर्तों की अनुपालना के संबंध में व्यवसायरत कंपनी सचिव से अभिप्राप्त प्रमाणपत्र रिपोर्ट से **उपबंध–ख3** के रूप में उपाबद्ध किया गया है।

प्रशासनिक भवन, त्रिपुरा विश्वविद्यालय

उपाबंध–ख1

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों पर प्रमाणन/घोषणा

हमने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और रोकड़ प्रवाह विवरण का पुनर्विलोकन कर लिया है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

(i) इन विवरणों में कोई तात्विक असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या किसी तात्विक तथ्य का लोप नहीं किया गया है या ऐसा कोई विवरण अंतर्विष्ट नहीं है जो भ्रामक हो;

(ii) यह विवरणियां इकट्ठे कंपनी के मामलों का सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करती हैं और यह विद्यमान लेखांकन मानकों, लागू विधियों और विनियमों के अनुसार हैं;

(iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2015–16 के दौरान कंपनी ने ऐसा कोई संव्यवहार दर्ज नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अविधिमान्य या कंपनी की आचार–संहिता का उल्लंघनकारी है;

(iv) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के दायित्वय को स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर लिया है और हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन या प्रचालन में कमियों, यदि कोई हों, जिसके विषय में हम भिज्ञ हैं और उनके लिए की गई कार्रवाई और उनको दूर करने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का प्रकटन कर दिया है;

(v) हमने लेखापरीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित इंगित कर दिया है।

क) वर्ष 2015–16 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

ख) वर्ष 2015–16 के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों में प्रकटन कर दिया गया है; और

ग) गंभीर कपट के मामले जिनकी हमें जानकारी हो गई है और उसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी का शामिल होना जिसकी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

ह0/–

(वीनू गोपाल)
निदेशक (परियोजनाएं)

ह0/–

(एस पी एस बक्शी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02548430

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 5 सितम्बर, 2016

उपाबंध–ख2

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और ज्येष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता की अनुपालना के संबंध में घोषणा।

मैं, एस पी एस बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड एतद्वारा घोषणा करता हूं कि कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों और ज्येष्ठ प्रबंधन ने कंपनी के वर्ष 2015–16 के दौरान कारबार आचरण और नैतिक संहिता के अनुपालन के लिए प्रतिज्ञान किया है।

ह0/–

(एस पी एस बक्शी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 02548430

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 5 सितम्बर, 2016

श्री थावर चंद गहलोत, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, उज्जैन, मध्य प्रदेश में एलिम्को परियोजना की नींव रखते हुए

उपाबंध–ख3

निगम शासन प्रमाणपत्र

सेवा में

सदस्य,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड,
कोर 3, स्कोप कॉम्पलैक्स,
7, इंस्टिट्यूशनल एरिया, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003

हमने 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात कंपनी कहा गया है) की निगम शासन जैसाकि अधिसूचना संख्या 1, संख्या 18 (8)/2005–जीएम, जो मूलतः 22.06.2007 को जारी की गई थी और जिसका पुनरीक्षण लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के तारीख 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा किया गया था में उपदर्शित, 'केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम, 2010 के लिए निगम शासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में यथा उपदर्शित शर्तों की अनुपालना की शर्तों' की जांच कर ली है। (जिसे इसमें इसके पश्चात मार्गदर्शक सिद्धांत कहा गया है)।

निगम शासन की शर्तों की अनुपालना का दायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच कंपनी द्वारा ऊपर वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांतों में उपदर्शित निगम शासन की शर्तों की अनुपालना का सुनिश्चय करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित है। इसलिए यह कंपनी के वित्तीय विवरणों की न ही लेखापरीक्षा है और न ही उनपर किसी राय की अभिव्यक्ति।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और सूचना के अनुसार हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि, कंपनी ने पूर्व वर्णित मार्गदर्शक सिद्धांतों में परिकल्पित निगम शासन की शर्तों की सिवाय कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के जो कि सरकारी द्वारा की जा रही है और यह ज्ञात है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, अनुपालना की है।

हम आगे यह और कथन करते हैं कि, ऐसी अनुपालना न ही कंपनी की भावी साध्यता का और न ही उस प्रभावशीलता की दक्षता जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है, आश्वासन है।

कृते एजीबी एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह0/–
(नितिन रावत)
(भागीदार)
सी. पी. संख्या 10554

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 19.08.2016

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता रिपोर्ट

सामाजिक रूप से जिम्मेदार निगम नागरिक होने के नाते आपकी कंपनी परियोजना स्थल में और उसके आसपास लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करके पारस्परिक विश्वास और आदर द्वारा सकारात्मक और स्थायी छाप सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीएसआर विजन

'अधिकांश रूप से समाज के लिए कार्य करना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना तथा एक निगम निकाय के रूप में ईपीआई की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार धारणा तैयार करना।

सीएसआर उद्देश्य

ईपीआई की सीएसआर नीति का बृहत का रूप से उद्देश्य समुदाय और समाज के लिए नैतिक और जिम्मेदार व्यवहार का अनुपालन करना है और अधिकांश रूप से समुदाय के कल्याण और भरणीय विकास के लिए कार्यक्रम हाथ में लेना है।

वर्ष 2015–16 के दौरान कार्यकलाप

कंपनी ने वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता कार्यकलाप हाथ में लिए :–

(i) असम राज्य में (संख्या 6) और पश्चिम बंगाल राज्य में (संख्या 4) स्वच्छ विद्यालय अभियान के अधीन संनिर्मित 10 शौचालयों का 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुरक्षण।

(ii) विदीमकुंटा ग्राम, आंध्र प्रदेश में 1000 लिटर/प्रतिघंटा की क्षमता के आरओ संयंत्र को लगाना और चालू करना।

(iii) वर्ष के दौरान 1000 लिटर प्रतिघंटा क्षमता की आरओ प्रणाली तथा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में 15 सौर स्ट्रीट लाइटों तथा उनके सभी उप साधनों की आपूर्ति, प्रतिस्थापन और परीक्षण के लिए कार्यादेश दिया गया।

(iv) भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जबलपुर परियोजना के लिए 29 वीं बटालियन में 1000 फलदार पेड़ों को रोपण किया गया।

इसके अतिरिक्त बैंक कार्यकलाप जो वर्ष 2014–15 में दिये गए थे, पूरे किए गए/2015–16 में संदाय किया गया के ब्यौरे 5 (ग) पर हैं।

वर्ष 2016–17 के लिए योजना

बजट

3.3 लाख रुपए की रकम जो तुरंत पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्ष के शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत है (अर्थात् 1125.59 लाख रुपए 2013–14, (736.73) लाख रुपए 2014–15, और 105.77 लाख रुपए (2015–16), जिसके अंतर्गत विदेशी शाखाओं से लाभ शामिल नहीं है को वर्ष 2015–16 के निगम सामाजिक उत्तरदायित्वव कार्यकलापों के लिए आबंटित किया गया है। कंपनी ने निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीय कार्यकलापों के लिए वर्ष 2016–17 के लिए 10 लाख रूपए आबंटित किए हैं (जिसके अंतर्गत वर्ष 2015– 16 से उपयोजन 2.92 लाख रुपए का अग्रणीत शेष शामिल है)

कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुसार विनिर्दिष्ट प्ररूप के अनुसार निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर वार्षिक **रिपोर्ट उपाबंध–ग 1** पर है।

उपाबंध–ग1

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति पर एक संक्षिप्त रूपरेखा जिसके अंतर्गत हाथ में ली जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर एक विहंगम दृष्टि और निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तथा परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर वेब लिंक के प्रतिनिर्देश भी है :

ईपीआई की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति अधिकांश रूप से समुदाय के लिए कल्याणकारी उपायों का और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के माध्यम से समाज में अंशदान का उपबंध करती है और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की आवश्यकता के प्रति यह संवेदनशील है।

प्रत्येक निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता कार्यकलापों की प्रत्येक प्रगति को निदेशक बोर्ड के साथ बोर्ड स्तरीय निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता समिति के समक्ष रखा गया है।

कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति और योजना कंपनी की वेबसाइट http://www.engineeringprojects.com पर भी उपलब्ध है।

2. निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के उपबंधों के अनुसार ईपीआई के पास बोर्ड स्तरीय निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और भरणीयता समिति है जिसकी अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है।

बोर्ड स्तरीय समिति की भूमिका निम्नलिखित है –

(क) एक निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की विरचना करना और बोर्ड को उसकी सिफारिश करना जो अनसूची–7 में यथाविनिर्दिष्टि कंपनी द्वारा हाथ में लिए जाने वाले कार्यकलापों को उपदर्शित करेगी।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट कार्यकलापों पर उपगत किए जाने वाले व्यय की रकम की सिफारिश करना और

(ग) समय–समय पर कंपनी की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की मॉनीटरी करना।

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता समिति का गठन निम्नानुसार था:

1. डॉ. के.एस. राव, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2. श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं) – सदस्य
3. श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता समिति की बैठकों और उपस्थिति के ब्यौरे निगम शासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

ईपीआई में बोर्ड स्तर से नीचे निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता समिति है जिसकी अध्यक्षता एक नोडल अधिकारी द्वारा अधिकारियों के एक दल के साथ की जाती है।

3. पिछले तीन वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ :

पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी का औसत शुद्ध लाभ 736.97 लाख रुपए (अर्थात् 1822.05 लाख रुपए का वर्ष 2012–13 के लिए औसत, 1125.58 लाख रुपए का वर्ष 2013–14 के लिए औसत और (736.73) लाख रुपए का वर्ष 2014–15 के लिए औसत जिसके अंतर्गत विदेशी शाखाओं से प्राप्त लाभ शामिल नहीं है)।

4. विहित निगम सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (ऊपर मद 3 में रकम का 2 प्रतिशत)

वर्ष 2015–16 के दौरान विहित निगम सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय 14.74 लाख रुपए था (736.97 लाख रुपए का 2 प्रतिशत)।

5. वित्त वर्ष के दौरान निगम सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय के ब्यौरे :

(क) वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए खर्च की जाने वाली कुल रकम –

वर्ष 2015–16 के लिए निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एवं भरणीयता कार्यकलापों को हाथ में लेने के लिए 16.24 लाख रुपए का कुल बजट उपलब्ध था, जिसमें पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रणीत 1.5 लाख रुपए का व्यय न किया गया और वर्ष 2015–16 के लिए 14.74 लाख द्वारा आबंटित है और वर्ष 2014–15 के कार्यकलापों के लिए 26.16 लाख रुपए की रकम भी खर्च की गई।

(ख) व्यय न की गई रकम, यदि कोई हो :

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और सीपीएसई की भरणीयता पर डीपीई मार्गदशर्क सिद्धांतों की अनुपालना में 11.46 लाख रुपए वर्ष 2015–16 में अनुमोदित निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता कार्यकलापों के लिए उपायोजन अगले वर्ष के लिए अग्रणीत किए जाएंगे। इनमें 8.54 लाख रुपए उन कार्यकलापों के लिए है जो तारीख 31 मार्च 2016 से पूर्व प्रदान किए गए थे और 31 मार्च 2016 के पश्चात पूरे किए गए/संदत्त किए गए। जिसका परिणाम वर्ष 2016–17 के लिए उप आयोजन के लिए 2.92 लाख रुपए को अग्रणीत करने के रूप में हुआ।

(ग) वह रीति जिसमें वित्त वर्ष के दौरान रकम व्यय की गई है, के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं –

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना या पहचाना गया कार्यकलाप।	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना कवर होती है।	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) उस राज्य और जिले को विनिर्दिष्ट करें, जहां परियोजना या कार्यक्रम हाथ में लिया गया था।	परियोजना या कार्यक्रम –वार रकम परिव्यय (बजट)	परियोजनाएं या कार्यक्रम जिन पर रकम व्यय की गई : उप–शीर्ष 1. परियोजना और या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2. उपरी शीर्ष :	रिपोर्ट करने की अवधि तक संचयी व्यय	व्यय की गई रकम : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से
1.	स्वच्छ विद्यालय अभियान के अधीन निर्मित 10 विद्यालयों का अनुरक्षण	अनुसूची–7 का खंड 1(i)	**1. स्थानीय क्षेत्र** 2. **जिला** :– असम का धुबरी, बारपेटा और पश्चिम बंगाल का पूर्व मैदनीपुर	1.5	0.22@	0.22	सीधे स्कूल प्राधिकारियों द्वारा
2.	सुरक्षित पेयजल संयंत्र के लिए रिवर्स ओसमोसिस (आरओ) का उपबंध करना।	अनुसूची–7 का खंड 1 (i)	**1. स्थानीय क्षेत्र** 2. **जिला** :– नारसारोपेट, आंध्र प्रदेश	05	4.58	4.58	निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ठेकेदारों को नियोजित करके सीधे

3.	निम्नलिखित उपलब्ध कराना (क) आरओ संयंत्र (ख) सौर प्रकाश	अनुसूची–7 का खंड 1 (i) एवं खंड (iv)	**1. स्थानीय क्षेत्र** 2. **जिला** :– पीलीभीत, उत्तर प्रदेश	08	@	–	निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ठेकेदारों को नियोजित करके सीधे
4.	भारत तिब्बत सीमा पुलिस जबलपुर में वृक्षारोपण।	अनुसूची–7 का खंड 1(iv)	**1. स्थानीय क्षेत्र** 2. **जिला** :– जबलपुर, मध्य प्रदेश	0.50	#	–	निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ठेकेदारों को नियोजित करके सीधे
5.	स्वच्छ विद्यालय के अधीन असम और पश्चिम बंगाल राज्य में 10 सरकारी स्कूलों में शौचालयों का संनिर्माण।	अनुसूची–7 का खंड 1(i)	**1. स्थानीय क्षेत्र** 2. **जिला** :– असम का धुबरी, बारपेटा, हेलाकांडी और पूर्वा	*	8.35	26.29	निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ठेकेदारों को नियोजित करके सीधे और राज्य प्राधिकारियों द्वारा
6.	निम्नलिखित में सौर प्रकाश का उपबंध करना (क) उन स्कूलों में और उनके चारों ओर जहां शौचालयों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया गया है।	अनुसूची–7 का खंड 1(iv)	**1. स्थानीय क्षेत्र** 2. **जिला** :– असम का धुबरी, बारपेटा, हेलाकांडी	*	4.61	9	निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ठेकेदारों को नियोजित करके सीधे
	(ख) संसद आदर्श ग्राम योजना के अधीन कर्नाटक के मस्तूटर ग्राम में सौर प्रकाश।		**1. स्थानीय क्षेत्र** 2. **जिला** :– मस्त्रू ग्राम, सिद्धिहाल्लीत ग्राम और एमएमकेरे ग्राम, दावणगेरे, कर्नाटक	*	13.20	13.20	निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ठेकेदारों को नियोजित करके सीधे
7.	आस्मिकताएं	–	–	1.24	–	–	–
	योग			**16.24**	**30.96**	**53.29**	

* वह कार्यकलाप जो वर्ष 2014–15 में दिए गए हैं जो पूरे कर लिए गए हैं/जिनके लिए संदाय वर्ष 2015–16 में जारी किए गए हैं 26.16 लाख रुपए की रकम के बराबर है

@ वह कार्यकलाप 2015–16 में दिए गए हैं 2016–17 के दौरान जारी रहेंगे

\# वह कार्यक्रम 31 मार्च 2016 से पूर्व पूरे कर लिए गए हैं। तथापि सदाएं 31 मार्च 2016 के पश्चात जारी किया गया है

6. कंपनी द्वारा पिछले तीन वित्त वर्ष या उनके किसी भाग के लिए औसत शुद्ध लाभ के 2 प्रतिशत को व्यय करने में असफल रहने की दशा में कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में रकम को व्यय न करने के कारणों को बताएगी।

16.24 लाख रुपए की रकम निगम सामाजिक उत्तरदायित्व और भरणीयता कार्यकलापों के लिए वर्ष 2015–16 के लिए उपलब्ध थी और वर्ष के दौरान सभी अनुमोदित कार्यकलापों के लिए कार्य आदेश दे दिए गए थे। 31 मार्च 2016 की

स्थिति के अनुसार 30.96 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। 11.46 लाख रुपए के परिणामी शेष में 8.54 लाख रुपए 31 मार्च 2016 से पूर्व दिए गए कार्यों के लिए और 31 मार्च 2016 के पश्चात पूरे किए गए/संदत्त किए गए कार्यों के सम्मिलित हैं। 2.92 लाख रुपए के खर्च ना किए गए शेष उपायोजन के लिए वर्ष 2016–17 अग्रणीत किया जाएगा

7. **निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का उत्तरदायित्व विवरण कि निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की मॉनीटरी निगम सामाजिक उत्तरदायित्व उद्देश्यों तथा कंपनी की नीति की अनुपालना के अनुसार है।**

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति ने पुष्टि की है कि, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति कंपनी के निगम सामाजिक उत्तरदायित्व उद्देश्यों और नीति के अनुसार है।

ह0/–
(वीनू गोपाल)
निदेशक (परियोजनाएं)
डीआईएन:05173442

ह0/–
(डॉ. के. एस राव)
(अध्यक्ष) निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
डीआईएन:03383447

तारीख : 5 सितंबर 2016
स्थान : नई दिल्ली

पीने योग्य पानी – कल्याणकारी समुदाय के लिए बड़े पैमाने पर उपाय के लिए रिवर्स ऑसमोसिस (आरओ) संयंत्रों की स्थापना

नरसरापेट, आंध्र प्रदेश में रिवर्स ऑसमोसिस (आरओ) प्लांट की स्थापना

पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में आरओ प्लांट और सौर रोशनी की स्थापना

उपबंध–घ

प्ररूप संख्या एओसी–2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/इन्तजामों जिसके अंतर्गत उसके तीसरे परंतु के अधीन कतिपय सन्निकट संव्यवहार भी हैं, के प्रकटन के लिए प्ररूप।

1. उन संविदाओं या इन्तजामों या संव्यवहारों के ब्यौरे जो सन्निकट आधार पर नहीं हैं।

क्र.सं.	विशिष्टियां	ब्यौरे
क)	संबंधित पक्षकार (रों) का नाम और संबंध की प्रकृति	शून्य
ख)	संविदा/इन्तजाम/संव्यवहार की प्रकृति	शून्य
ग)	संविदा/इन्तजाम/संव्यवहार की अवधि	शून्य
घ)	संविदा या इन्तजाम या संव्यवहार के प्रमुख निबंधन जिसके अंतर्गत मूल्य भी है, यदि कोई हो	शून्य
ड.)	ऐसी संविदा या इन्तजाम या संव्यवहार में प्रविष्ट होने का न्यायोचित	शून्य
च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	शून्य
छ)	अग्रिम के रूप में संदत्त रकम, यदि कोई हो	शून्य
ज)	वह तारीख जिसको धारा 188 के पहले परंतु के अधीन यथा–अपेक्षित विशेष संकल्पक साधारण बैठक में पारित किया गया था	शून्य

2. सन्निकट आधार पर संविदा या इन्तजाम या संव्यवहार के ब्यौरे

क्र.सं.	विशिष्टियां	ब्यौरे
क)	संबंधित पक्षकार (रों) का नाम और संबंध की प्रकृति	शून्य
ख)	संविदा/इन्तजाम/संव्यवहार की प्रकृति	शून्य
ग)	संविदा/इन्तजाम/संव्यवहार की अवधि	शून्य
घ)	संविदा या इन्तजाम या संव्यवहार के प्रमुख निबंधन जिसके अंतर्गत मूल्य भी है, यदि कोई हो	शून्य
ड.)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	शून्य
च)	अग्रिम के रूप में संदत्त रकम, यदि कोई हो	शून्य

बोर्ड के लिए और उसके निमित

(एस पी एस बक्शी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 02548430

स्थानः नई दिल्ली
तारीख : 05 सितम्बर, 2016

उपाबंध–ङ

प्ररूप संख्या एमजीटी–9
वार्षिक रिटर्न का सार

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. रजिस्ट्रीकरण और अन्य ब्यौरे :

i) सीआईएनः –**यू27109डीएल1970जीओआई117585**

ii) रजिस्ट्रीकरण तारीख : **16 अप्रैल, 1970**

iii) कंपनी का नाम : **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड**

iv) कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी : **लघु रत्न, श्रेणी II (अनुसूची ख)**

v) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता और संपर्क के ब्यौरे : **कोर–3, स्कोप कॉम्पलैक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, टेलीफोन : 91–11–24361666**

vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है हां/नहीं : **नहीं**

vii) रजिस्ट्रार और अंतरण अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम, पता और संपर्क के ब्यौरे :

नाम : **एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड**

पता : **एफ–65, पहली मंजिल, औखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली–110020**

संपर्क संख्या : **41406149–52**

II. कंपनी का प्रधान कारबार कार्यकलाप

कंपनी के कुल आवर्त का 10 प्रतिशत या अधिक अंशदान करने वाले सभी कारबार कार्यकलापों का कथन किया जाएगा :–

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कूट*	कंपनी के कुल आवर्त में प्रतिशतता
1.	भवन का संनिर्माण	410	36%
2.	अन्यक सिविल इंजीनियरी परियोजनाओं का संनिर्माण	429	57%

*राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण के अनुसार – सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

III. धृति, अनुषंगी और सहबद्ध कंपनियों की विशिष्टियां –

क्र.सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/जीएलएन	धृति/अनुषंगी/सहबद्ध	धारण किए गए शेयरों की प्रतिशतता	लागू धारा
1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

*वित्तीय वर्ष के समापन के पश्चात 19 मई 2016 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के अधीन एपीआई अरबन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड (यू45309डीएल 2016 जीओआय 299995) को ईपीआई द्वारा 51 प्रतिशत सहभागिता के साथ निगमित किया गया है।

IV. शेयरधारण पैटर्न (कुल साम्या के प्रतिशत के रूप में साम्या शेयर पूंजी विभाजन)

i) श्रेणी–वार शेयर धारण

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धृत शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धृत शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
अ. प्रस्तावित (1) भारतीय									
क) व्यष्टिक / एचयुएफ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) केंद्रीय सरकार	शून्य	35415677	35415677	99.98	शून्य	35415677	35415677	99.98	शून्य
ग) राज्य सरकार(रें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) निगमित निकाय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ङ) बैंक / वि.सं.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) कोई अन्य) 6 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और 1 न्यास	शून्य	7011	7011	0.02	शून्य	7011	7011	0.02	शून्य
उप–योग (अ) (1):–	**शून्य**	**35422688**	**35422688**	**100**	**शून्य**	**35422688**	**35422688**	**100**	**शून्य**
(2) **विदेशी** क)प्रवासी भारतीय व्यष्टिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) अन्य व्यष्टिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) निगमित निकाय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) बैंक / वि.सं.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ड.) कोई अन्य.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–योग (अ) (2):–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रस्तावकों की कुल शेयर धृति (अ) = (अ)(1)+(अ) (2)	**शून्य**	**35422688**	**35422688**	**100**	**शून्य**	**35422688**	**35422688**	**100**	**शून्य**

आ.सार्वजनिक शेयर धृति 1. संस्थाएं क) पारस्परिक निधियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) बैंक / वि.सं.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) केंद्रीय सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
घ) राज्य सरकार(रें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ङ) जोखिम पूंजी निधियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
च) बीमा कंपनियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
छ) वि.सा.नि.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ज) विदेशी जोखिम निधियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–योग (आ) (1):–	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. गैर–संस्थाएं क) निगमित निकाय i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख) व्यष्टि i) 1 लाख रुपए तक नाममात्र व्यष्टि शेयरधारण धृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) 1 लाख रुपए से अधिक नाममात्र व्यष्टि शेयरधारण धृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–योग(आ)(2):– कुल सार्वजनिक शेयर धृति (आ)=(आ)(1)+ (आ)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षकों द्वारा धृत शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
महा–योग (अ+आ+ई)	शून्य	35422688	35422688	100	शून्य	35422688	35422688	100	शून्य

(ii) प्रस्तावकों की शेयर धृति

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में धृत शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धृत शेयरों की संख्या			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों का गिरवी/भारग्रस्त किए गए शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों का गिरवी/भारग्रस्त किए गए शेयरों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान शेयर धृति में परिवर्तन
1	भारत का राष्ट्रपति (भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय के माध्यम से)	35415677	99.98%	शून्य	35415677	99.98%	शून्य	शून्य
	योग	**35415677**	**99.98%**	**शून्य**	**35415677**	**99.98%**	**शून्य**	**शून्य**

(iii) प्रस्तावकों की शेयर धृति में परिवर्तन (कृपया विनिर्दिष्ट करें, तब भी जब कोई परिवर्तन नहीं हो) – कोई परिवर्तन नहीं

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयर धृति		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धृति	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वृद्धि/कमी (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट साम्यो आदि के कारणों को विनिर्दिष्टि करते हुए वर्ष के दौरान प्रस्तावकों की शेयर धृति में तारीख–वार वृद्धि/कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(iv) दस सर्वोच्च शेयरधारकों (निदेशक, प्रस्तावित और डीजीआर तथा एडीआर) का शेयर धारण पैटर्नः

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयर धृति		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धृति	
	वृद्धि/कमी (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट साम्या आदि के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रस्तावकों की शेयर धृति में तारीख–वार वृद्धि/कमी	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	भारत का राष्ट्रपति	35415677	99.9784	35415677	99.98
2.	भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड	3575	0.0101	3575	0.0101
3.	भारत हैवी इलेक्ट्रि कल्सड लिमिटेड	1892	0.0053	1892	0.0053
4.	माइनिंग एण्ड एलॉइड मशीनरी कारपोरशन लिमिटेड	490	0.00138	490	0.00138
5.	त्रिवेणी स्ट्रेक्चरल्स लिमिटेड	490	0.00138	490	0.00138
6.	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	350	0.000988	350	0.000988
7.	हिंदुस्थान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड	210	0.000592	210	0.000592
8.	ईपीआई शेयरधारक न्यास	4	0.0000112	4	0.0000112

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयर धृति :

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयर धृति		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धृति	
	<u>वर्ष के प्रारंभ में शेयर धृति</u> वृद्धि/कमी(अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट साम्या आदि के कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान प्रस्तावकों की शेयर धृति में तारीख–वार वृद्धि/कमी	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
	श्री एस पी एस बक्शी, अध्यक्ष– सह–प्रबंध निदेशक <u>वर्ष के प्रारंभ में</u> <u>वर्ष के अंत में</u>	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
	श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं) <u>वर्ष के प्रारंभ में</u> <u>वर्ष के अंत में</u>	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
	श्री ए वी वी कृष्णन, निदेशक (वित्त) <u>वर्ष के प्रारंभ में</u> <u>वर्ष के अंत में</u>	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य

	श्री राजेश कुमार सिंह, सरकारी नामनिर्देशिती निदेशक वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
	श्री एस एस दूबे, सरकारी नामनिर्देशिती निदेशक वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में (30.11.2015 से निदेशकता समाप्त)	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
	श्री सिया शरन, सरकारी नामनिर्देशिती निदेशक वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में (11.1.2016 से नियुक्त)	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
	डॉ. के एस राव, स्वतंत्र निदेशक वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
	श्री सुशांत बालिगा, स्वतंत्र निदेशक वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में (18.11.2015 से नियुक्त)	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
	श्रीमती अनीता चौधरी, स्वतंत्र निदेशक वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में (01.12.2015 से नियुक्त)	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
	श्रीमती सुधा वी. वरदन वर्ष के प्रारंभ में वर्ष के अंत में	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य

V. ऋणता

कंपनी की ऋणता जिसके अंतर्गत बकाया ब्याज/उदभूत किन्तु जो संदाय के लिए शोध्यड नहीं है।

	प्रतिभूत ऋण, जिसके अंतर्गत जमा नहीं हैं	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋणता
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋणता i) मूल रकम ii) शोध्य ब्याज किन्तु जो संदत्त नहीं किया गया है iii) उद्भूत ब्याज किन्तु जो शोध्य नहीं है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

वित्त वर्ष के दौरान ऋणता में परिवर्तन वर्धन कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शुद्ध परिवर्तन	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
वर्ष के अंत में ऋणता i) मूल रकम ii) शोध्य ब्याज किन्तु जो संदत्त नहीं किया गया है iii) उदभूत ब्याज किन्तु जो शोध्य नहीं है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक :

क्र.सं.	पारिश्रमिक की विशिष्टियां	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम			कुल रकम
		अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक*	निदेशक (कार्मिक)	निदेशक (वित्त)*	
1	समग्र वेतन				
	(क) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वेतन	4602000	2645616	1900758	9148374
	(ख) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य	737955	457978	304951	1500884
	(ग) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के स्थान पर लाभ	0	0	0	0
2	स्टॉक का विकल्प	0	0	0	0
3	स्वीट साम्या	0	0	0	0
4	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य, विनिर्दिष्ट करें	0	0	0	0
5	अन्य, कानूनी निधियों एवं अन्य प्रतिपूर्तियों को अभिदाय	535373	544936	261868	1342177
	योग (क)	5875328	3648530	2467577	11991435
	अधिनियम के अनुसार ऊपरी सीमा	लागू नहीं होता, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सरकारी कंपनियों को कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या तारीख 5 जून, 2015 के निबंधनों में लागू नहीं होगी।			

* पारिश्रामिक केवल नवंबर, 2015 तक (त्यागपत्र)

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक :

क्र.सं.	पारिश्रमिक की विशिष्टियां	निदेशक का नाम			कुल रकम
		डॉ. के एस राव	श्री सुशांत बालिगा (18.11.15 से)	श्रीमती अनीता चौधरी (11.12.15 से)	
	3. स्वतंत्र निदेशक ● बोर्ड/समिति बैठकों में उपस्थित होने की फीस ● कमीशन ● अन्य, कृपया विनिर्दिष्टि करें	155000	45000	45000	245000
	योग (1)	155000	45000	45000	245000
	4. अन्य, गैर–कार्यपालक निदेशक ● बोर्ड/समिति बैठकों में उपस्थित होने की फीस ● कमीशन ● अन्य, कृपया विनिर्दिष्टि करें				
	योग (2)	–	–	–	–
	योग (ख)=(1+2)	**155000**	**45000**	**45000**	**245000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक				
	अधिनियम के अनुसार कुल ऊपरी सीमा	लागू नहीं होता, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सरकारी कंपनियों को कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या तारीख 5 जून, 2015 के निबंधनों में लागू नहीं होगी।			

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक से भिन्न प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक की विशिष्टियां	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		मु.का.अ.	कंपनी सचिव (श्रीमती सुधा वरदन)	मु.वि.अ.	योग
1	समग्र वेतन	0	1578455	0	1578455
	(क) आय–कर अधिनियम,1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्टम उपबंधों के अनुसार वेतन	0	0	0	0
	(ख) आय–कर अधिनियम,1961 की धारा 17(2) के अधीन परिलब्धियों का मूल्य	0	0	0	0

	(ग) आय–कर अधिनियम,1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के स्थान पर लाभ	0	0	0	0
2	स्टॉक का विकल्प	0	0	0	0
3	स्वीट साम्या	0	0	0	0
4	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य, विनिर्दिष्ट करें	0	0	0	0
5	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	0	0	0	0
	योग	**0**	**1578455**	**0**	**1578455**

VII. शास्तियां/दंड/अपराधों का उपशमन : शून्य

किस्म	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	शास्ति/दंड/अधिरोपित उपशमन फीस के ब्योरे	प्राधिकारी (आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरे दें)
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप–शमन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. व्यतिक्रमी अन्य अधिकारी					
शास्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उपशमन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए)
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनियां
(नियुक्ति और प्रबंधकीय कार्मिक पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में,

सदस्य,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्टर (इंडिया) लिमिटेड,
सीआईएनःयू27109डीएल1970जीओआई117585
कोर 3, स्कोप कॉम्पलैक्स, 7 इंस्टिट्यूशनल एरिया,
लोधी रोड, नई दिल्लीं–110003

हमने लागू कानूनी उपबंधों की अनुपालना में और इंजीनियरिंग प्रोजेक्टर (इंडिया) लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात कंपनी कहा गया है) द्वारा अच्छी निगम पद्धतियों की अनुपालना की सचिवालयी लेखापरीक्षा संचालित कर ली है। सचिवालयी लेखापरीक्षा उस रीति में की गई जो मुझे निगम व्यवहार/कानूनी अनुपालना का मूल्यांकन करने के लिए और उन पर राय व्यक्त करने के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

कंपनी की लेखा बहियों, पेपरों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्ररूपों और फाइल किए गए रिटर्नों कंपनी द्वारा रखे गए अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, हम एत्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान जो 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्त वर्ष को कवर करती है इसमें नीचे सूचीबद्ध किए गए कानूनी उपबंधों का अनुपालन किया है और यह भी मत व्यक्त करते हैं कि कंपनी की उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालना तंत्र उस सीमा और उस रीति में तथा नीचे दी गई रिपोर्टिंग की शर्त के अधीन रहते हुए है :

हमनें **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड** (कंपनी) द्वारा 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए रखी गई लेखा बहियों, पेपरों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, प्ररूपों और फाइल किए गए रिटर्नों की निम्नलिखित के उपबंधों के अनुसार जांच कर ली है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम।

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियम।

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए उपनियम।

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और तदधीन बनाए गए नियम और विनियम, जो उस सीमा तक जहां तक प्रत्यक्ष विदेशी विनिधान और विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान तथा वाणिज्य उधार हों।

(v) निम्नलिखित विनियम और मार्गदर्शक सिद्धांत, जो भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी, अधिनियम) के अधीन विहित किए गए हैं :

(क) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारवान अर्जन और टेकओवर) विनियम, 2011

(ख) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारबार प्रतिषेध) विनियम, 1992

(ग) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2009

(घ) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीम और कर्मचारी क्रय स्कीम) मार्गदर्शक सिद्धांत, 1999 और भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदा) विनियम, 2014 (28 अक्तूबर, 2014 से प्रभावी)

(ङ) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (श्रण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) प्रतिभूतियों का जारी करना और सूचीकरण विनियम, 2008

(च) कंपनियों के संबंध में और ग्राहकों से व्यवहार करने के लिए भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रजिस्ट्रार के निर्गम और शेयर अंतरक अभिकर्ता) विनियम, 1993

(छ) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साम्या शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2009; और

(ज) भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनः क्रय करना) विनियम, 1998

(vi) निम्नलिखित विधियां और उनके तदधीन बनाए गए नियमों को प्रबंधन द्वारा कंपनी के लिए विनिर्दिष्टतः लागू के रूप में पहचाना गया है।

(क) लोक उपक्रम विभाग मार्गदर्शक सिद्धांत, तारीख 14 मई 2010 भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा को जारी किए गए हैं

(ख) आय–कर अधिनियम, 1961

(ग) धन–कर अधिनियम, 1957

(घ) सेवाकर विधि

(ङ) मूल्य वर्धित कर/केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम

(च) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

(छ) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

(ज) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974

(झ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और तदधीन बनाए गए नियम

(ञ) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1999

(ट) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2005

(ठ) पराक्रम्य लिखत अधिनियम 1881

(ड) अन्य श्रम विधियां और तदधीन बनाए गए नियम :

- ठेका श्रम (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996
- अप्रेन्टीस अधिनियम, 1961
- बाल मजदूरी अधिनियम, 1986
- ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970

- कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923
- कर्मचारी भविष्य –निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
- विद्युत अधिनियम, 2003
- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936
- उपदान संदाय अधिनियम, 1972
- बोनस संदाय अधिनियम, 1965
- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013
- दुकान और वाणिज्य प्रतिष्ठापन अधिनियम

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों की अनुपालना की भी जांच कर ली है :

हम यह रिपोर्ट करते हैं कि निम्नलिखित के संबंध में कंपनी द्वारा अनुपालना की बाबत कोई पर्यवेक्षण नहीं है

(i) इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरिज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालयी मानक।

(ii) कंपनी द्वारा किए गए सूचीकरण करारों को (स्टाक एक्सयचेंजों के साथ कंपनी द्वारा किए गए) किसी स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं किया गया है;

हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानकों आदि का, जिनका ऊपर वर्णन किया गया है, बिना किसी तात्विक अनुपालन और निम्नलिखित पर्यवेक्षणों के अधीन रहते हुए अनुपालन किया है :

1. खंड (ii), खंड (v) में वर्णित अधिनियम, नियम, विनियम, मार्गदर्शक सिद्धांत, मानक किसी पर्यवेक्षण की अपेक्षा नहीं करते हैं, चूंकि कंपनी एक असूचीबद्ध निकाय है और वे लागू नहीं होते हैं।

2. खंड (iii), खंड (iv) में वर्णित अधिनियम, नियम, विनियम, किसी पर्यवेक्षण की अपेक्षा नहीं करते हैं, चूंकि विचाराधीन अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

3. ऊपर खंड (vi) विनिर्दिष्टतः लागू विधियों के संबंध में हम पर्यवेक्षण करते हैं कि कंपनी में ऐसी पर्याप्तप प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं, जो कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुसार सभी लागू विधियों, विनियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों की मानीटरी और अनुपालन करने के लिए पर्याप्त हैं।

हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

कार्यपालक निदेशकों, गैर कार्यपालक निदेशकों, और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ कंपनी के निदेशक बोर्ड का सम्यकतः गठन किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक बोर्ड के गठन में परिवर्तनों को अधिनियम के उपबंधों की अनुपालना में किया गया है

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, कार्यवृत्त पर पर्याप्त सूचना दी गई और कार्यवृत्त पर विस्तृत टिप्पणियां कम से कम 7 दिन पूर्व अग्रिम में भेजी गईं सिवाय लघु सूचना के, जहां अपेक्षित अनुपालना की गई है और बैठक से पूर्व और सूचना तथा कार्यवृत्त मदों पर स्पष्टीकरण अभिप्राप्त करने के लिए और बैठकों में फलदायक सहभागिता के लिए प्रणाली विद्यमान है।

बहुमत के विनिश्चयों को करते समय असहमत सदस्यों के मतों पर ध्यान दिया गया और कार्यवृत्त के एक भाग के रूप में उन्हें अभिलिखित किया गया।

कंपनी ने अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अधीन आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिए हैं और निदेशकों ने उनकी नियुक्ति के संबंध में पात्रता की अपेक्षाओं, उनके स्वतंत्र होने और कारबार संचालन की संहिता तथा निदेशक और प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए नैतिकता की अनुपालना के प्रकटन का पालन किया है।

विशाल अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह0/–
(सीएस विशाल अग्रवाल)
एफसीएस संख्या 7242
सी पी संख्या 7710

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29.08.2016

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक तारीख के पत्र के साथ, जिसे उपाबंध क के साथ पढ़ा जाए और यह इस रिपोर्ट का एक अभिन्न भाग है।

'उपाबंध क'

सेवा में
सदस्य,
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड,
सीआईएन : यू 27109 डीएल 1970 जीओआई 117585,
कोर 3, स्कोप कॉम्पलैक्स, 7 इंस्टिट्यूशनल एरिया,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट का इस पत्र के साथ पठन किया जाए।

1. सचिवालयी अभिलेखों का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है और हमारा दायित्व इन सचिवालीय अभिलेखों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करने का है।

2. हमने उन लेखापरीक्षा पद्धतियों और पद्धतियों का अनुपालन किया है जो सचिवालयीय अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सही होने की बाबत युक्तियुक्ति आश्वासन प्राप्त करने के लिए समुचित है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित किया गया कि सचिवालीय अभिलेखों में सही तथ्यों को उपदर्शित किया जाए। हमारा विश्वास है कि जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का हमने अनुसरण किया है वे हमारी राय में युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है।

3. हमने कानूनी लेखापरीक्षकों, कर प्राधिकारियों, लागत लेखापरीक्षकों और नियंत्रण और महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को लागू वित्तीय विधियों, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर विधियां हैं, पर निर्भर किया है। लेखांकन मानक वित्तीय अभिलेखों की शुद्धता और उपयुक्ता, लागत अभिलेख और कंपनी की लेखा बहियां संबंधी लेखापरीक्षकों और अन्य नामनिर्दिष्ट व्यावसायियों की समीक्षा के अधीन रही हैं।

4. जहां भी अपेक्षित था हमने प्रबंधन से विधियों, नियमों, विनियमों और घटनाओं के विषय में अनुपालना के लिए अभ्यावेदन अभिप्राप्त किया है।

5. कॉरपोरेट और अन्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के उपबंधों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है, हमारी जांच प्रक्रियाओं के सत्यापन के लिए जांच के आधार तक सीमित थी।

6. सचिवालीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी साध्यता और न ही उस प्रभावशीलता की पर्याप्तता के विषय में कोई आश्वासन नहीं है, जिसमें कंपनी का प्रबंधन अपने कार्यों का संचालन कर रहा है।

कृते विशाल अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
ह0/–
(सीएस विशाल अग्रवाल)
एफसीएस संख्या 7242
सी पी संख्या 7710

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29.08.2016

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्य, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड,

एकल वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने मैसर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड **('कंपनी')** के संलग्न वित्तीय विवरणों की जांच कर ली है, जो 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकरण सूचना से मिलकर बना है जिसमें उस तारीख को कंपनी के पश्चिम क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और ओमान तथा श्रीलंका के विदेशी रिटर्न की हमारे शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है मैं हमने 6 लेखा परीक्षित रिटर्नों को शामिल कर लिया है। निगमित कार्यालय और जयपुर तथा अलवर कार्यालयों के रिटर्न कि हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की गई है

वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन का दायित्व

कंपनी का निदेशक बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में कथित मामलों के लिए इन एकल वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में उत्तरदायी है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकद प्रवाह का भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों जिसके अंतर्गत कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक हैं, के अनुसार सही और न्यायोचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की आस्तियों का सुरक्षापायों और कपट का तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण; समुचित लेखांकन नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना; ऐसे निर्णय और आकलन करना जो युक्तियुक्त तथा प्रबुद्ध हों; तथा वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति और तैयारी से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण; शामिल है जो वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और प्रस्तुत करने में सुसंगत हैं जो लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता का सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहा था जो किसी तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त, चाहे कपटपूर्ण हो या त्रुटिवश, सही और न्यायोचित तस्वीर प्रदान करे।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने का है।

हमने अधिनियम के उपबंधों को, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों और अन्य मामलों को जिन्हें अधिनियम और उसके तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने की अपेक्षा है को गणना में लिया है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की है। वे मानक अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस तथ्य का युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि वित्तीय विवरणियां तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में रकमों और प्रकटनों के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को करना अंतर्वलित होता है। चयन की गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर आधारित होती हैं जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरणियों में तात्विक मिथ्या कथन के जोखिमों का निर्धारण करना भी है चाहे कपटपूर्ण हो या त्रुटिवश। इन जोखिमों निर्धारणों को करते समय लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणियों को जो तैयार करने और उचित प्रस्तुति से सुसंगत

आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि लेखा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन कर सके जो परिस्थितियों में समुचित हैं किन्तु इस प्रयोजन के लिए अपनी राय प्रकट करने के लिए नहीं कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली वित्तीय रिपोर्टिंग पर है और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता क्या है। किसी लेखापरीक्षा में उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों की तर्कसंगतता के साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा अभिप्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त और यथोचित आधार प्रस्तुत करता है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरणियां अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी उस रीति में प्रदान करती हैं जैसाकि अपेक्षित है और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी की और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उसके लाभ और रोकड़ प्रवाह की सही और उचित तस्वीर प्रस्तुत करती है।

मामले का बल

लेखाओं पर टिप्पणी के टिप्पण संख्या 2.38 पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है

कंपनी ने संदेहस्पद ऋणों/उधार पर अपने लेखांकन नीति में परिवर्तन कर लिया है/इसके परिणाम स्वरुप पर संदेहस्पद ऋणों/उधार के उपवन पर चालू वर्ष में खर्च और अग्रिम 580.77 लाख रुपए अधिक है। परिणाम स्वरुप बस के लिए लाभ 379.78 लाख रुपए कम है, गैर चालू आस्तियां 580.77 लाख रुपए कम है और आस्थगित कर आस्तियां 200.99 लाख से अधिक है

पूर्वोक्त के संबंध में हमारी राय अर्हित नहीं है

अन्य मामले

हमने कंपनी की एकल वित्तीय विवरणियों में शामिल 6 (छह) शाखाओं की वित्तीय विवरणियों/सूचना की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनकी विवरणियों/वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार 1,425.74 लाख रुपए की कुल आस्तियों को और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 1,312.80 लाख रुपए के कुल राजस्व को जैसाकि एकल वित्तीय विवरणियों में विचार किया गया है प्रदर्शित करती है। इन शाखाओं की वित्तीय विवरणियां/सूचना की शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक हमारी राय में इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गई रकमों और प्रकटन का संबंध है केवल ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. हमने, केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के निबंधनों में कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) द्वारा यथा अपेक्षित आदेश के पैरा 3 और पैरा 4 मैं विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण उपबंध "क" पर दिया है।

2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक मैं निदेश जारी किए हैं जिसमें उन क्षेत्रों को इंगित किया है जिनकी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (5) के निबंधनो में जांच की जानी है। जिसकी अनुपालना उपबंध 'ख' में दी गई है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथापेक्षित हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने वे सभी सूचना और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं।

(ख) हमारी राय में जहां तक लेखा बहियों की जांच से प्रतीत होता है, कंपनी द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी गई हैं। शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हमें अग्रेषित की गई है और हमारी रिपोर्ट तैयार करते समय उससे समुचित रूप से व्यवहार किया गया है।

(ग) कंपनी के शाखा कार्यालयों की रिपोर्ट जिनकी लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम, 143(8) के अधीन की गई है, हमें भेजी गई है और उससे हमने इस रिपोर्ट को तैयार करने में उचित रूप से व्यौहार किया है।

(घ) इस रिपोर्ट में व्याहार किया गया तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों और रिटर्नों के अनुरूप हैं।

(ङ) हमारी राय में पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्टि लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

(च) 31 मार्च, 2016 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यवेदन के आधार पर और निदेशक बोर्ड द्वारा उसे अभिलेख में लेने का कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 164(2) के निबंधनों में निदेशक के रूप में नियुक्ति किए जाने से निरर्हित नहीं है।

(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता पर प्रादेशिक/शाखा लेखा परीक्षकों ने अपनी पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। हमने पृथक रिपोर्ट को प्रादेशिक/शाखा लेखा परीक्षकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उपबंध "ग" मैं समेकित किया है।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषय हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i. कंपनी ने लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का उसकी वित्तीय प्रस्थिति पर अपने वित्तीय विवरणों में प्रकटन किया है– वित्तीय विवरणों पर टिप्पण 2.23 को निर्दिष्ट करें।

ii. कंपनी ने लागू विधि या लेखांकन मानकों के अधीन यथा–अपेक्षित उपबंध दीर्घावधि संविदाओं जिसके अंतर्गत व्युत्पनी संविदाएं हैं, पर पहले से ही पता लगाए जा सकने वाले तात्विक नुकसान, यदि कोई हो, के लिए उपबंध किया है।

iii. ऐसी कोई रकम नहीं थी जिसको विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि में कंपनी द्वारा अंतरित करने की अपेक्षा थी।

कृते जीएसए एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 000257 एन

ह0/–
अशीष आर्य
भागीदार
सदस्यता संख्या 533967
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 05 सितंबर 2016

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का उपबंध–क

कंपनी के सदस्यों के लिए 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणियों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की हमारी रिपोर्ट में अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर उपाबंध, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) (क) कंपनी ने पूरी विशिष्टियों को उपदर्शित करते हुए जिसके अंतर्गत नियत आस्तियों के मात्रात्क ब्यौरे और प्रास्थिति है समुचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है।

(ख) सभी मदों को वर्ष में एक बार कवर करने के लिए नियत आस्तियों के सत्यापन के लिए कंपनी के पास एक कार्यक्रम है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार तथा उसकी आस्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए युक्ति युक्त है। ऐसे सत्यापन में तात्विक खामी ध्यान में नहीं आई है।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, स्थावर संपत्तियों के हक विलेख, सिवाय पट्टा धृत निगम कार्यालय की संपत्ति के, कंपनी के नाम में धृत हैं (टिप्पण संख्या 2.8 के नीचे पाद टिप्पण को निर्दिष्ट करें)।

(ii) (क) प्रबंधन ने वर्ष के दौरान युक्ति युक्त अंतराल पर माल सूची का भौतिक सत्यापन किया। कंपनी की मालसूची चालू संनिर्माण कार्य और सामग्री के स्टॉक से मिलकर बनी है।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन द्वारा अनुसरण की जाने वाली मालसूचियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रियाएं आवृत्ति कंपनी के आकार और उसके कारबार की प्रकृति को देखते हुए युक्तियुक्त है।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और हमें दिए गए तथा अग्रेषित किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी मालसूची के समुचित मात्रात्मक अभिलेखों का अनुरक्षण कर रही है और भौतिक सत्यापन के दौरान कोई तात्विक खामी नहीं पाई गई है।

(iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने न तो प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋणों को कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को जिन्हें अधिनियम की धारा 189 के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध किया गया है, प्रदान किया है न ही उनसे उन्हें लिया है। परिणाम स्वरूप आदेश के खंड 3(iii) (क), 3(iii) (ख) और 3(iii) (ग) के उपबंध कंपनी को लागू नहीं होते हैं, अतः इस पर कोई टिप्पण नहीं है।

(iv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और धारा 186 के निबंधनों में कोई ऋण, विनिधान, गारंटी और प्रतिभूति नहीं दी है।

(v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

(vi) लागत अभिलेखों के अनुरक्षण को केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148(1) के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है। हमें दी गई जानकारी और अग्रेषित किए गए दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा विहित लेखे और अभिलेख बनाए तथा अनुरक्षित किए गए हैं।

(vii) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर अविवादास्पद कानूनी शोध्यों जिसके अंतर्गत भविष्य निधि, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर सीमा शुल्क, सेवा कर, उपकर और अन्य कानूनी शोध्य है, को वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा नियमित आधार पर समुचित प्राधिकारियों के पास जमा किया जाता है सिवाय एक मामले के जिसमें रकम महत्वपूर्ण नहीं है।

जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है वित्तवर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2016 के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार कोई विवादास्पद कानूनी बकाया उस तारीख से जिसको वह संदेय होते हैं 6 माह से अधिक अवधि के लिए विद्यमान नहीं है, सिवाय एक छोटी रकम के जिसे पश्चातवर्ती रूप से जमा करा दिया गया है

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, विक्रय कर, सेवा कर और मूल्य वर्धित कर को विवादों के लेखे कंपनी द्वारा जमा नहीं किया गया है।

क्र.सं.	कानून का नाम	शोध्यताओं की प्रकृति	रकम (रुपए में)	वह अवधि जिससे रकम संबंधित है	वह मंच जहां विवाद लंबित है
1	पश्चिम बंगाल मूल्यवर्धित अधिनियम, 2003	मांग	14,26,88,263	2011–12	जेष्ठ संयुक्त आयुक्त (प्रथम अपील) पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर, कोलकाता
2		मांग	5,18,90,632	2012–13	
3		मांग	2,27,17,771	2005–06	पश्चिम बंगाल कर अधिकरण, कोलकाता
4		मांग	11,61,775	2007–08	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर अपील एवं पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता
5		मांग	41,045	2008–09	फास्टट्रैक पुनरीक्षण प्राधिकरण, पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर, कोलकाता
6		मांग	19,13,545	2009–10	विशेष आयुक्त, पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर, कोलकाता
7	आंध्र प्रदेश मूल्यवर्धित कर अधिनियम,	मांग	44,48,905	2008–09 एवं 2009–10	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद
8	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948	मांग	8,72,500	1993–94	विक्रय कर अधिकरण
9	गुजरात विक्रय कर अधिनियम 2003	मांग	39,78,615	2010–11	गुजरात मूल्यवर्धित कर अधिकरण, अहमदाबाद
10		मांग / शास्ति	4,18,63,946	2005–06 से 2007–08	सीईएसटीएटी, कोलकाता

11	वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर विधियां)		37,46,050	2010–11 से 2012–13	
12			36,17,680	2004–05 से 2005–06	कार्यालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मोरेलो परिसर, शिलांग
13			9,83,80,264	2004–05 से 2007–08	दिल्ली उच्च न्यायालय
14	आयकर अधिनियम 1961	मांग	15,91,880	2008–09 से 2015–16	सहायक आयकर आयुक्त, वृत–1 (टीडीएस), कोलकाता
15		मांग	11,38,673	2012–13	आयकर आयुक्त (अपील) नई दिल्ली
		योग	**38,00,51,544**		

(viii) कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक सरकारी या अन्य से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है तद्नुसार आदेश का पैरा 3(viii) लागू नहीं होता है।

(ix) कंपनी ने प्रारंभिक लोक प्रस्ताव या भावी लोक प्रस्ताव और आवधिक ऋण के माध्यम से कोई धन इकट्ठा नहीं किया है। तद्नुसार आदेश का पैरा 3(ix) लागू नहीं होता है।

(x) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रक्रम के दौरान, कंपनी द्वारा उस के अधिकारियों या कर्मचारियों पर उस के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई कपट सूचना में नहीं आया है या रिपोर्ट किया गया है।

(xi) कंपनी ने अधिनियम की अनुसूची 5 के साथ पठित धारा 197 के उपबंधों के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक को संदत्त किया है/उसके लिए उपबंध किया है।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तद्नुसार आदेश का पैरा 3(xii) लागू नहीं होता है।

(xiii) मैं दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर नातेदार पक्षकारों के साथ सभी संव्यवहार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और धारा 188 जहां भी वह लागू होती है के अनुसार हैं और लेखांकन मानक और कंपनी अधिनियम 2013 की अपेक्षा अनुसार वित्तीय विवरणों में ब्यौरों का प्रकटन किया गया है।

(xiv) कंपनी ने शेयरों या पूर्णता या भागतः संपरिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमानी आवंटन/प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है।

(xv) हमें दी गई सूचना और उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों यह उन से संबद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर–रोकड़ संव्यवहार नहीं किया है। तद्नुसार आदेश का पैरा 3(xv) लागू नहीं होता है।

(xvi) कंपनी से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45(1क) के अधीन रजिस्टर होने की अपेक्षा नहीं है।

कृते जीएसए एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 000257 एन

ह0/–
अशीष आर्य
भागीदार
सदस्यता संख्या 533967
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 05 सितंबर 2016

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) में निर्दिष्ट उपबंध ख

क्रम संख्या	निदेश	प्रत्युत्तर
1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्री होल्ड और पट्टा धृत भूमि के लिए स्पष्ट हक/पट्टा विलेख है? यदि नहीं तो फ्री होल्ड और पट्टा दलित भूमि का क्षेत्र बताए जिसके लिए हक/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं है।	कंपनी के पास अलवर संपत्ति के लिए स्पष्ट हक/पट्टा विलेख है। कंपनी द्वारा कोई फ्री होल्ड भूमि धृत नहीं है।
2.	क्या उधारों / ऋण/ब्याज आदि के त्यजन/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है। यदि हां उसके कारणों और उसमें अंतर्वलित रकम को बताएं।	48,34,575 रुपए की रकम के ऋणों को वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान बट्टे खाते में डाल आ गया है और उसको वित्तीय विवरणों में लिखें में लिया गया है। प्रबंधन के अनुसार यह रकम लंबे समय से लंबित है और इसकी वसूली की संभावना बहुत कम है।
3	तृतीय पक्षकारों के पास माल सूचियों के अनुरक्षण और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त उपहार/अनुदानों के लिए उचित अभिलेख रखे गए हैं।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तृतीय पक्षकारों के पास कोई माल सूची नहीं है और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार के रूप में कोई आस्ति प्राप्त नहीं हुई है।

कृते जीएसए एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 000257 एन

ह0/–
अशीष आर्य
भागीदार
सदस्यता संख्या 533967
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 05 सितंबर 2016

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का उपाबंध–ग

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप धारा के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी की एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा कर ली है। इस रिपोर्ट में हमने प्रादेशिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त फीडबैक को समेकित किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक सिद्धांत में कथित अनिवार्य आंतरिक नियंत्रण संघटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने के लिए और स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। उत्तरदायित्व में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को डिज़ाइन करना, कार्यान्वित करना और बनाए रखना शामिल है जिसके अंतर्गत कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी आस्तियों का सुरक्षोपाय, कपटों और त्रुटियों का निवारण तथा पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णतः तथा वित्तीय सूचना की विश्वसनीयता और समयबद्ध तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अपेक्षित है, सम्मिलित है ताकि वह उसके कारबार का व्यवस्थित और दक्ष प्रचालन करने का प्रभावी रूप से निश्चय कर सकें।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय अभिव्यक्त करने का है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अधीन विहित माने गए भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों जहां तक वह आर्थिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा को लागू होते हैं के अनुसार की है और दोनों को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी कि गए हैं। वह मानक और मार्गदर्शक नोट अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना यह युक्ति युक्त आश्वासन अभिप्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और बनाए रखा गया था तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी तात्विक परिप्रेक्ष्य में प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालन प्रभावशीलता के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य अभी प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को करना अंतर्वलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कि हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में यह समझ अभिप्राप्त करना कि किसी तात्विक खामी के विद्यमान होने के जोखिम का निर्धारण किया जाता है तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता की जांच करना और उसके डिज़ाइन का मूल्यांकन करना समलित है। चयन की गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसके अंतर्गत वित्तीय कथनों में तात्विक त्रुटियों चाहे कपट या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का निर्धारण करना है।

हम विश्वास करते हैं कि लेखापरीक्षा साक्ष्य जो हमने अभिप्राप्त किया है वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के आधार के लिए पर्याप्त और समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में तर्कपूर्ण आश्वासन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है और बाहरी प्रयोजनों के लिए विवरण साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वह नीतियां और प्रक्रियाएं सम्मिलित है जो,–

(1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित है, जो युक्ति युक्त विवरण, शुद्धता, और न्यायोचित रूप से कंपनी के संव्यवहार और कार्यों को परिलक्षित करते हैं,

(2) इस बात का युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करते हैं कि संव्यवहारों को वैसे ही अभिलिखित किया जा रहा है जैसा साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुज्ञात करने के लिए आवश्यक है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय को प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किया जा रहा है; और

(3) कंपनी की आस्तियों का अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग या निपटान को निवारित करने या उनका समय पर पता लगाने के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए जिनका वित्तीय विवरणों पर तात्विक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमा के कारण मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन के कारण नियंत्रणों पर अध्यारोही प्रभाव हो सकता है, त्रुटि या कपट के कारण तात्विक मिथ्या कथन हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल सकता है। इसके अतिरिक्त भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन का प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में या नीतियों या प्रक्रियाओं में अनुपालना के स्तर में गिरावट आने के कारण अपर्याप्त हो जाए।

मत

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड जिसकी स्थापना भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में कथित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटक पर विचार करते हुए" कंपनी में सभी परिप्रेक्ष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक पर्याप्त प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। तथापि हमने नोट किया है कि शेष की पुष्टि अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया में कतिपय सुधार करने की आवश्यकता है हलांकि वह आंतरिक कमी का भाग नहीं है।

कृते जीएसए एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 000257 एन

ह0/–
अशीष आर्य
भागीदार
सदस्यता संख्या 533967
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 05 सितंबर 2016

निदेशकों की रिपोर्ट का उपाबंध :
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और कंपनी का प्रत्युत्तर

क्र.सं.	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट/टिप्पणियां	कंपनी का प्रत्युत्तर
1.	हमने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड ('कंपनी') के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कर ली है, जिसमें 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र, लाभ और हानि का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकारक सूचना से मिलकर बना है जिसमें उस तारीख को कंपनी के पश्चिम क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और ओमान तथा श्रीलंका के विदेशी रिटर्न की हमारे शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है मैं हमने 6 लेखा परीक्षित रिटर्नो को शामिल कर लिया है। निगमित कार्यालय और जयपुर तथा अलवर कार्यालयों के रिटर्न कि हमारे द्वारा लेखा परीक्षा की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं
2.	कंपनी का निदेशक बोर्ड इन एकल वित्तीय विवरणों की बाबत कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134की उप–धारा (5) में कथित मामलो को लिए उनको तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है जो वित्तीय प्रास्थिति, वित्तीय निष्पादन और कंपनी के रोकड़ प्रवाह का भारत में साधारणतया स्वीकृत मानकों के अनुसार सही और न्यायोचित दृष्टिकोण प्रदान करता है जिसके अंतर्गत कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक हैं। इस दायित्व में अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कंपनी की आस्तियों के सुरक्षा उपायों के लिए और कपटों और अन्य अनियमितताओं का निवारण करने और पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण और समुचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग, ऐसे निर्णय और प्राक्कलन करना जो युक्तियुक्त और बुद्धिमतापूर्ण हों, वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण डिज़ाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण का दायित्व शामिल है जो सही और न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुति करता है और जो किसी तात्विक मिथ्याकथन चाहे कपट से या त्रुटि से हो, मुक्त है, भी शामिल है।	कोई टिप्पणी नहीं
3.	हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय अभिव्यक्त करने का है। हमने अधिनियम के उपबंधों, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानक और विषय, जिन्हें अधिनियम और उसके तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन और अधिनियम की धारा 143(11) के अधीन किए गए आदेश के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाना अपेक्षित हैं, को गणना में लिया है। हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्टी लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। वे मानक अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं की अनुपालना करें और लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन युक्तियुक्त आश्वानसन अभिप्राप्तन करने के लिए करें कि क्या वित्तीय विवरणियों तात्विक मिथ्याकथन से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में वित्तीाय विवरणियों में रकमों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पाादन अंतवर्लित होता है। चयन की गई प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती है जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरणियों में तात्विक मिथ्याकथन के जोखिम का निर्धारण करना होता है चाहे वह कपट या त्रुटि	कोई टिप्पणी नहीं

	के कारण हो। इन जोखिम निर्धारणों को करते समय लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में और न्यायोचित प्रस्तुतिकरण से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है जिससे लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में समुचित हैं। किसी लेखापरीक्षा में उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्याकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन आक्कलनों की युक्तियुक्तता के साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा अभिप्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त और यथोचित है।	
4	हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना अपेक्षित रीति में देते हैं और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और रोकड़ प्रवाह विवरण की दशा में सही और न्यायोचित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं	कोई टिप्पणी नहीं
5.	लेखांकन टिप्पणों के टिप्पण सं. 2.38 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं : कंपनी ने संदेहस्पद ऋणों/उधार पर अपने लेखांकन नीति में परिवर्तन कर लिया है। इसके परिणामस्वरुप संदेहस्पद ऋणों/उधार के उपबंध पर चालू वर्ष में खर्च और अग्रिम 580.77 लाख रुपए अधिक है। परिणामस्वरुप वर्ष के लिए लाभ 379.78 लाख रुपए कम है, गैर चालू आस्तियां 580.77 लाख रुपए कम है और आस्थगित कर आस्तियां 200.99 लाख से अधिक है पूर्वोक्त के संबंध में हमारी राय अर्हित नहीं हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
6.	हमने 6 (छह) शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचना को कंपनी के मानक वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया था, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार कुल 14,25.74 लाख रुपए और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 13,12.80 लाख रुपए की कुल आस्तियों को उपदर्शित करती है जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणें/सूचना की शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है और जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है और जहां तक हमारी राय उन शाखाओं की बाबत रकमों और प्रकटन से संबंधित है, केवल ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।	कोई टिप्पणी नहीं
	अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट :	
1.	अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के निबंधनों में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 (आदेश) की अपेक्षा अनुसार, हमने उपाबंध का आदेश के पैरा 3 और पैरा 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर एक विवरण दिया है।	कोई टिप्पणी नहीं
2.	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने उन क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हुए निर्देश जारी किए हैं जिनकी अधिनियम की धारा 143 की उप धारा 5 के निबंधनों में जांच की जानी है, जिस की अनुपालना को उपाबंध ख कर दिया गया है	कोई टिप्पणी नहीं
3	अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथापेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि : (क) हमने वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त, कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं।	कोई टिप्पणी नहीं

	(ख) हमारी राय में, जहां तक इन लेखाबहियों की जांच से प्रतीत होता है, कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथापेक्षित समुचित लेखाबहियां रखी गई हैं। हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए उचित रिटर्न उन शाखाओं से, जिनका हमने भ्रमण नहीं किया है, प्राप्त किए गए हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
	(ग) अधिनियम की धारा 143(8) के अधीन कंपनी के लेखापरीक्षा किए गए शाखा कार्यालयों के लेखाओं पर शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और हमने हमारी रिपोर्ट तैयार करने के लिए उससे समुचित रूप से ब्यौहार किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
	(घ) इस रिपोर्ट में ब्यौहार किया गया तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण लेखाबहियों और रिटर्नों के अनुरूप हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
	(ङ) हमारी राय में पूर्वोक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
	(च) 31 मार्च, 2016 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर 31 मार्च, 2016 को निदेशक बोर्ड द्वारा अभिलेख में लेने के पश्चात अधिनियम की धारा 164(2) के निबंधनों में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए कोई भी निदेशक निरर्हित नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
	(छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और ऐसे नियंत्रण की प्रचालन प्रभावशीलता पर प्रादेशिक/शाखा लेखा परीक्षकों ने अपनी पृथक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। हमने पृथक रिपोर्ट को प्रादेशिक/शाखा लेखा परीक्षकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उपबंध "ग" में समेकित किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
	(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों की बाबत हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :	कोई टिप्पणी नहीं
	(i) कंपनी ने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय प्रास्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का प्रकटन किया है – वित्तीय विवरणों के पैरा 2.23 को निर्दिष्ट करें।	कोई टिप्पणी नहीं
	(ii) कंपनी ने लागू विधियों या लेखांकन मानकों द्वारा यथा अपेक्षित उपबंध सामग्री के मानकों, भावी नुकसानों, यदि कोई हों, के लिए दीर्घावधि संविदाओं, जिसके अंतर्गत व्युत्पन्नी संविदाएं हैं, के लिए किए हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
	(iii) ऐसी कोई रकम नहीं थी, जिसकों निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में कंपनी द्वारा अंतरित करने की अपेक्षा थी।	कोई टिप्पणी नहीं

कृते जीएसए एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 000257 एन

ह0/–
अशीश आर्य,
भागीदार
सदस्यता संख्या 533967

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 05 सितंबर 2016

कृते और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(एस पी एस बक्शी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड, के सदस्यों को 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की तारीख 05 सितंबर 2016 की रिपोर्ट का उपबंध–क और कंपनी का प्रत्युत्तर

क्र.सं.	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट / टिप्पणियां	कंपनी का प्रत्युत्तर
1.	कंपनी के सदस्यों के लिए 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की हमारी रिपोर्ट में निर्दिष्ट उपबंध, हम रिपोर्ट करते हैं कि :	
(i)	(क) कंपनी ने पूरी विशिष्टियों को उपदर्शित करते हुए जिसके अंतर्गत नियत आस्तियों के मात्रात्मक ब्यौरे और प्रास्थिति है समुचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया है। (ख) कंपनी का वर्ष में एक बार सभी मदों को कवर करते हुए नियत आस्तियों के सत्यापन का कार्यक्रम है, जो हमारे मत में कंपनी के आकार और उसकी आस्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए युक्ति युक्त है। ऐसे सत्यापन पर कोई तात्विक खामी ध्यान में नहीं आई है। (ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, स्थावर संपत्तियों के हक विलेख, सिवाय पट्टा धृत निगम कार्यालय की संपत्ति के, कंपनी के नाम में धृत हैं (टिप्पण संख्या 2.8 के नीचे पाद टिप्पण को निर्दिष्ट करें)।	कोई टिप्पणी नहीं
(ii)	(क) प्रबंधन ने वर्ष के दौरान युक्ति युक्त अंतराल पर माल सूची का भौतिक सत्यापन किया। कंपनी की मालसूची चालू संनिर्माण कार्य और सामग्री के स्टॉक से मिलकर बनी है। (ख) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन द्वारा अनुसरण की जाने वाली मालसूचियों के भौतिक सत्यापन की प्रक्रियाएं आवृत्ति कंपनी के आकार और उसके कारबार की प्रकृति को देखते हुए युक्तियुक्त है। (ग) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और हमें दिए गए तथा अग्रेषित किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी मालसूची के समुचित मात्रात्मक अभिलेखों का अनुरक्षण कर रही है और भौतिक सत्यापन के दौरान कोई तात्विक खामी नहीं पाई गई है।	कोई टिप्पणी नहीं
(iii)	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने न तो प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋणों को कंपनियों, फर्मों या अन्य पक्षकारों को जिन्हें अधिनियम की धारा 189 के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में सूचीबद्ध किया गया है, प्रदान किया है न ही उनसे उन्हें लिया है। परिणाम स्वरूप आदेश के खंड 3(iii) (क), 3(iii) (ख) और 3(iii) (ग) के उपबंध कंपनी को लागू नहीं होते हैं, अतः इस पर कोई टिप्पण नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं
(iv)	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और धारा 186 के निबंधनों में कोई ऋण, विनिधान, गारंटी और प्रतिभूति नहीं दी है।	कोई टिप्पणी नहीं
(v)	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं

(vi)	लागत अभिलेखों के अनुरक्षण को केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148(1) के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया है। हमें दी गई जानकारी और अग्रेषित किए गए दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा विहित लेखे और अभिलेख बनाए तथा अनुरक्षित किए गए हैं।	कोई टिप्पणी नहीं
(vii)	(क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर अविवादास्पद कानूनी शोध्यों जिसके अंतर्गत भविष्य निधि, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर सीमा शुल्क, सेवा कर, उपकर और अन्य कानूनी शोध्य है, को वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा नियमित आधार पर समुचित प्राधिकारियों के पास जमा किया जाता है शिवाय एक मामले के जिसमें रकम महत्वपूर्ण नहीं है। जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है वित्तवर्ष अर्थात् 31 मार्च 2016 के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार कोई विवादास्पद कानूनी बकाया उस तारीख से जिसको वह संदेय होते हैं से 6 माह से अधिक अवधि के लिए विद्यमान नहीं है, सिवाय एक छोटी रकम के जिसे पश्चातवर्ती रूप से जमा करा दिया गया है	संदाय करने की आवश्यकता नही है।
	(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, विक्रय कर, सेवा कर और मूल्य वर्धित कर को विवादों के लेखे कंपनी द्वारा जमा नहीं किया गया है	टिप्पण संख्या 2.23 में प्रकटन। मामलों की समुचित स्तर पर जल्दी निपटान के लिए निगरानी की जा रही है

क्र. सं.	कानून का नाम	शोध्य की प्रकृति	रकम (रुपए में)	वह अवधि जिससे रकम संबंधित है	वह मंच जहां विवाद लंबित है
1	पश्चिम बंगाल मूल्यवर्धित अधिनियम, 2003	मांग	14,26,88,263	2011–12	ज्येष्ठ संयुक्त आयुक्त (प्रथम अपील) पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर, कोलकाता
2		मांग	5,18,90,632	2012–13	
3		मांग	2,27,17,771	2005–06	पश्चिम बंगाल कर अधिकरण, कोलकाता
4		मांग	11,61,775	2007–08	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर अपील एवं पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता
5		मांग	41,045	2008–09	फास्टट्रैक पुनरीक्षण प्राधिकरण, पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर, कोलकाता
6		मांग	19,13,545	2009–10	विशेष आयुक्त, पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर, कोलकाता

	7	आंध्र प्रदेश मूल्य वर्धित अधिनियम,	मांग	44,48,905	2008–09 एवं 2009–10	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद	
	8	उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948	मांग	8,72,500	1993–94	विक्रय कर अधिकरण	
	9	गुजरात विक्रय कर अधिनियम 2003	मांग	39,78,615	2010–11	गुजरात मूल्यवर्धित कर अधिकरण, अहमदाबाद	
	10	वित्त अधिनियम 1994 (सेवाकर विधियां)	मांग / शास्ति	4,18,63,946	2005–06 से 2007–08	सीईएसटीएटी, कोलकाता	
	11			37,46,050	2010–11 से 2012–13		
	12			36,17,680	2004–05 से 2005–06	कार्यालय, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मोरेलो परिसर, शिलांग	
	13			9,83,80,264	2004–05 से 2007–08	दिल्ली उच्च न्यायालय	
	14	आयकर अधिनियम 1961	मांग	.15,91,880	2008–09 से 2015–16	सहायक आयकर आयुक्त, वृत–1 (टीडीएस), कोलकाता	
	15		मांग	11,38,673	2012–13	आयकर आयुक्त (अपील) नई दिल्ली	
			योग	**38,00,51,544**			
(viii)	कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक सरकारी या अन्य से कोई ऋण या उधार नहीं लिया है तद्नुसार आदेश का पैरा 3(viii) लागू नहीं होता है।						कोई टिप्पणी नहीं
(ix)	कंपनी ने प्रारंभिक लोक प्रस्ताव या भावी लोक प्रस्ताव और आवधिक ऋण के माध्यम से कोई धन इकट्ठा नहीं किया है। तद्नुसार आदेश का पैरा 3(ix) लागू नहीं होता है।						कोई टिप्पणी नहीं
(x)	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रक्रम के दौरान, कंपनी द्वारा उस के अधिकारियों या कर्मचारियों पर उस के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई कपट सूचना में नहीं आया है या रिपोर्ट किया गया है।						कोई टिप्पणी नहीं
(xi)	कंपनी ने अधिनियम की अनुसूची 5 के साथ पठित धारा 197 के उपबंधों के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक को संदत्त किया है/उसके लिए उपबंध किया है।						कोई टिप्पणी नहीं
(xii)	कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तद्नुसार आदेश का पैरा 3(xii) लागू नहीं होता है।						कोई टिप्पणी नहीं

(xiii)	मैं दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर नातेदार पक्षकारों के साथ सभी संव्यवहार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और धारा 188 जहां भी वह लागू होती है के अनुसार हैं और लेखांकन मानक और कंपनी अधिनियम 2013 की अपेक्षा अनुसार वित्तीय विवरणों में ब्यौरों का प्रकटन किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xix)	कंपनी ने शेयरों या पूर्णता या भागतः संपरिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमानी आवंटन/प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xx)	हमें दी गई सूचना और उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों यह उन से संबद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर–रोकड़ संव्यवहार नहीं किया है। तद्नुसार आदेश का पैरा 3(xx) लागू नहीं होता है।	कोई टिप्पणी नहीं
(xxi)	कंपनी से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई क के अधीन रजिस्टर होने की अपेक्षा नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं

कृते जीएसए एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 000257 एन

ह0/–
अशीश आर्य,
भागीदार
सदस्यता संख्या 533967

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 05 सितंबर 2016

कृते और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(एस पी एस बक्शी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) में निर्दिष्ट उपबंध ख

क्रम संख्या	निदेश	प्रत्युत्तर
1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्री होल्ड और पट्टा धृत भूमि के लिए स्पष्ट हक/पट्टा विलेख है? यदि नहीं तो फ्री होल्ड और पट्टा दलित भूमि का क्षेत्र बताए जिसके लिए हक/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं है।	कंपनी के पास अलवर संपत्ति के लिए स्पष्ट हक/पट्टा विलेख है। कंपनी द्वारा कोई फ्री होल्ड भूमि धृत नहीं है।
2.	क्या उधारों/ऋण/ब्याज आदि के त्यजन/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है। यदि हां उसके कारणों और उसमें अंतर्वलित रकम को बताएं।	48,34,575 रुपए की रकम के ऋणों को वित्तवर्ष 2015–16 के दौरान बट्टे खाते में डाल आ गया है और उसको वित्तीय विवरणों में लिखें में लिया गया है। प्रबंधन के अनुसार यह रकम लंबे समय से लंबित है और इसकी वसूली की संभावना बहुत कम है।
3.	तृतीय पक्षकारों के पास माल सूचियों के अनुरक्षण और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त उपहार/अनुदानों के लिए उचित अभिलेख रखे गए हैं।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तृतीय पक्ष कारों के पास कोई माल सूची नहीं है और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार के रूप में कोई आस्ति प्राप्त नहीं हुई है।

कृते जीएसए एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 000257 एन

ह0/–
अशीश आर्य,
भागीदार
सदस्यता संख्या 533967

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 05 सितंबर 2016

कृते और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(एस पी एस बक्शी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड, के सदस्यों को 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की तारीख 05 सितंबर 2016 की रिपोर्ट का उपबंध–ग और कंपनी का प्रत्युत्तर

क्र.सं.	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट / टिप्पणियां	लेखा परीक्षकों को कंपनी उपबंध–ग का प्रत्युत्तर
1.	हमने **इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड** की 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कंपनी की एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा कर ली है। इस रिपोर्ट में हमने प्रादेशिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त फीडबैक को समेकित किया है।	कोई टिप्पणी नहीं
2.	कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक सिद्धांत में कथित अनिवार्य आंतरिक नियंत्रण संघटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने के लिए और स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। उत्तरदायित्व में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को डिज़ाइन करना, कार्यान्वित करना और बनाए रखना शामिल है जिसके अंतर्गत कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी आस्तियों का सुरक्षोपाय, कपटों और त्रुटियों का निवारण तथा पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णतः तथा वित्तीय सूचना की विश्वसनीयता और समयबद्ध तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अपेक्षित है, सम्मिलित है ताकि वह उसके कारबार का व्यवस्थित और दक्ष प्रचालन करने का प्रभावी रूप से निश्चय कर सकें।	कोई टिप्पणी नहीं
3.	हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय अभिव्यक्त करने का है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अधीन विहित माने गए भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानकों जहां तक वह आर्थिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा को लागू होते हैं के अनुसार की है और दोनों को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी कि गए हैं। वह मानक और मार्गदर्शक नोट अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना यह युक्ति युक्त आश्वासन अभिप्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और बनाए रखा गया था तथा क्या ऐसे नियंत्रण सभी तात्विक परिप्रेक्ष्य में प्रभावी रूप से प्रचालन कर रहे थे। हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनकी प्रचालन प्रभावशीलता के विषय में लेखापरीक्षा साक्ष्य अभी प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को करना अंतर्वलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कि हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में यह समझ अभिप्राप्त करना कि किसी तात्विक खामी के विद्यमान होने के जोखिम का निर्धारण किया जाता है तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता की जांच करना और उसके डिज़ाइन का मूल्यांकन करना समलित है। चयन की गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है जिसके अंतर्गत वित्तीय कथनों में तात्विक त्रुटियों चाहे कपट या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का निर्धारण करना है।	कोई टिप्पणी नहीं

	हम विश्वास करते हैं कि लेखापरीक्षा साक्ष्य जो हमने अभिप्राप्त किया है वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा राय के आधार के लिए पर्याप्त और समुचित है।	
4.	वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में तर्कपूर्ण आश्वासन देने के लिए डिज़ाइन किया गया है और बाहरी प्रयोजनों के लिए विवरण साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वह नीतियां और प्रक्रियाएं सम्मिलित है जो,– (1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित है, जो युक्ति युक्त विवरण, शुद्धता, और न्यायोचित रूप से कंपनी के संव्यवहार और कार्यों को परिलक्षित करते हैं, (2) इस बात का युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करते हैं कि संव्यवहारों को वैसे ही अभिलिखित किया जा रहा है जैसा साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुज्ञात करने के लिए आवश्यक है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय को प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार ही किया जा रहा है ; और (3) कंपनी की आस्तियों का अप्राधिकृत अर्जन, उपयोग या निपटान को निवारित करने या उनका समय पर पता लगाने के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए जिनका वित्तीय विवरणों पर तात्विक प्रभाव हो सकता है।	कोई टिप्पणी नहीं
5.	वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमा के कारण मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन के कारण नियंत्रणों पर अध्यारोही प्रभाव हो सकता है, त्रुटि या कपट के कारण तात्विक मिथ्या कथन हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल सकता है। इसके अतिरिक्त भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन का प्रक्षेपण इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में या नीतियों या प्रक्रियाओं में अनुपालना के स्तर में गिरावट आने के कारण अपर्याप्त हो जाए।	कोई टिप्पणी नहीं
6.	हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड जिसकी स्थापना भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में कथित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटक पर विचार करते हुए" कंपनी में सभी परिप्रेक्ष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक पर्याप्त प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। तथापि हमने नोट किया है कि शेष की पुष्टि अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया में कतिपय सुधार करने की आवश्यकता है हालांकि वह आंतरिक कमी का भाग नहीं है।	अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

कृते जीएसए एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 000257 एन

ह0/–
सुनिल अग्रवाल,
भागीदार
सदस्यता संख्या 083899

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 05 सितंबर 2016

कृते और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(एस पी एस बक्शी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

तुलनपत्र 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार

(रकम रुपए में)

विवरण	टिप्पण संख्या	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार	
I. साम्य और दायित्व					
शेयर धारकों की निधियां :					
क) शेयर पूंजी	2.1	**354,226,880**		354,226,880	
ख) आरक्षितियां और अधिशेष	2.2	**1,924,157,152**	**2,278,384,032**	1,808,866,895	2,163,093,775
2 गैर–चालू दायित्व					
क) दीर्घावधि उधार	–	–		–	
ख) अन्य दीर्घावधि दायित्व	2.3	**3,459,332,276**		2,518,011,646	
ग) दीर्घावधि उपबंध	2.4	**273,151,218**	**3,732,483,494**	234,225,457	2,752,237,103
3 चालू दायित्व					
क) लघु अवधि उधार	–	–		–	
ख) व्यापार संदेय	2.5				
i) एमएसएमई को देय		–		–	
ii) अन्य को देय		**2,819,841,540**		4,055,913,891	
ग) अन्य चालू दायित्व	2.6	**7,095,938,944**		9,072,378,768	
घ) लघु अवधि उपबंध	2.7	**172,737,972**	**10,088,518,456**	118,497,438	13,246,790,097
योग			**16,099,385,982**		**18,162,120,975**
II. आस्तियां					
गैर–चालू आस्तियां					
क) नियत आस्तियां	2.8				
(i) मूर्त आस्तियां		**93,186,471**		89,844,058	
(ii) अमूर्त आस्तियां		**935,098**		1,306,870	
(iii) प्रगति पर पूंजी कार्य		–		–	
(iv) विकासाधीन अमूर्त आस्तियां		**5,499,043**		4,098,052	
		99,620,612		95,248,980	
ख) गैर–चालू विनिधान	–	–		–	
ग) आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	2.9	**109,344,125**		76,141,793	
घ) दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	2.10	**2,925,897,360**		2,282,398,202	
ड.) अन्य गैर–चालू आस्तियां	2.11	**642,902,764**	**3,777,764,861**	533,892,561	2,987,681,536
2 चालू आस्तियां					
क) चालू विनिधान	–	–		–	
ख) माल सूचियां	2.12	**85,539,569**		135,529,097	
ग) व्यापार प्राप्य	2.13	**1,710,178,846**		2,949,362,488	
घ) नकद और बैंक शेष	2.14	**3,066,038,322**		2,039,703,884	
ड.) लघु अवधि ऋण और अग्रिम	2.15	**3,333,075,966**		4,138,214,672	
च) अन्य चालू आस्तियां	2.16	**4,126,788,418**	**12,321,621,121**	5,911,629,299	15,174,439,439
योग			**16,099,385,982**		**18,162,120,975**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
लेखाओं पर टिप्पणियां	2				

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
(सुधा वी. वरदन)	**(एन. के. शर्मा)**	**(वीनू गोपाल)**	**(एस. पी. एस. बक्शी)**
कंपनी सचिव	**कार्यकारी निदेशक (वित्त)**	**निदेशक (परियोजनाएं)**	**अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक**

यह हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट में निर्दिष्ट तुलनपत्र

कृते जी एस ए एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएनः 000257एन
ह0/–
अशीष आर्य
सदस्यता संख्या 533967

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 05 सितम्बर, 2016

लाभ और हानि 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार

(रकम रुपए में)

विवरण	टिप्पण सं.	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार
I. प्रचालनों से राजस्व	2.17	**12,954,644,389**	10,312,821,386
II. अन्य आय	2.18	**277,296,059**	266,982,950
III. कुल आय (I+II)		**13,231,940,448**	10,579,804,336
IV. **व्यय :**			–
प्रचालन व्यय	2.19	**11,649,262,546**	9,161,701,466
कर्मचारी पारिश्रमिक और फायदा	2.20	**785,061,710**	689,639,555
वित्तीय लागतें	2.21	**58,092,977**	70,615,207
अवक्षण एवं अपाकरण व्यय	2.8	**11,414,940**	9,961,864
V. अन्य व्यय	2.22	**346,190,826**	235,816,640
कुल व्यय		**12,850,022,999**	10,167,734,732
अपवादी और असाधारण मदों से पूर्व लाभ और कर (III-IV)		**381,917,449**	412,069,604
VI. अपवादी मदें		–	–
VII. असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ (V-VI)		**381,917,449**	412,069,604
VIII. असाधारण मदें		–	–
IX. कर से पूर्व लाभ/(हानि) (VII-VIII)		**381,917,449**	412,069,604
X. कर व्यय			
चालू कर		**169,884,253**	143,553,346
अस्थगित कर		**(33,202,332)**	(2,345,805)
न्यूनतम वैकल्पी कर प्रत्यय पात्रता		**(227,169)**	–
XI. **वर्ष के लिए लाभ (IX-X)**		**245,462,697**	270,862,063
XII. प्रति शेयर अर्जन (आधारी एवं तनुकृत)	2.40	**6.93**	7.65
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		
लेखाओं पर टिप्पणियां	2		

लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं

निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

ह0/–
(सुधा वी. वरदन)
कंपनी सचिव

ह0/–
(एन. के. शर्मा)
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

ह0/–
(वीनू गोपाल)
निदेशक (परियोजनाएं)

ह0/–
(एस. पी. एस. बक्शी)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

यह हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट में निर्दिष्ट लाभ और हानि है

कृते जी एस ए एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएनः 000257एन
ह0/–
अशीष आर्य
सदस्यता संख्या 533967

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 05 सितम्बर, 2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां		2015–2016	2014–2015
प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह			
कराधान एवं असाधारण मदों से पूर्व शुद्ध लाभ		**381,917,449**	412,069,604
निम्नलिखित के लिए समयोजन			
अवक्षयण और अपाकरण		**11,414,940**	9,961,864
वित्तीय लागत		**58,092,977**	70,615,207
आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (शुद्ध)		**126,147**	3,967
ब्याज आय		**(237,119,736)**	(233,093,694)
(वापस दिया गया)/बट्टे खाते में डाला गया उपबंध		**96,189,970**	(5,243,637)
विनिमय परिवर्तन का प्रभाव		**10,823,160**	(11,943,813)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	(1)	**321,444,907**	242,369,496
निम्नलिखित के लिए समायोजन /			
सामग्रियों में (वृद्धि)/कमी		**49,989,528**	(60,694,668)
व्यापार प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी		**1,084,074,204**	(183,369,529)
ऋण एवं अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी		**1,918,040,686**	4,567,406,623
चालू दायित्वों एवं उपबंधों में (वृद्धि)/कमी		**(2,195,763,187)**	(4,117,497,576)
	(2)	**856,341,231**	205,844,850
प्रचालनों से सृजित रोकड़	(1)+(2)	**1,177,786,138**	448,214,346
संदत्त आय–कर		**(200,359,782)**	(142,854,670)
प्रचालनों कार्यकलापों से शुद्ध नकद	(क)	**977,426,357**	305,359,677
विनिधान कार्यकलापों से नकद प्रवाह			
नियत आस्तियों का क्रय/संनिर्माण		**(16,113,601)**	(13,445,356)
आस्तियों के विक्रय से आगम		**200,882**	55,718
किया गया विनिधान/नियत जमा परिपक्व जिसे गिरवी रखा गया है या जिसकी तीन मास से अधिक परिपक्वता है		**(76,183,292)**	220,583,720
ब्याज आय (शुद्ध		**209,204,481**	249,945,654
विनिधान कार्यकलापों से शुद्ध नकद	(ख)	**117,108,470**	457,139,736
वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह			
वित्तीय लागत		**(58,092,977)**	(70,615,207)
संदत्त लाभांश		**(70,845,376)**	(70,845,376)
संदत्त लाभांश कर		**(14,422,454)**	(12,040,172)
वित्तीय कार्यकलापों से शुद्ध नकद	(ग)	**(143,360,807)**	(153,500,754)
विदेशी मुद्रा में विनिमय के मद्दे विनिमय परिवर्तन का प्रभाव	(घ)	**(1,022,874)**	(2,343,107)
नकद एवं नकद समतुल्य			
नकद एवं नकद समतुल्य शुद्ध वृद्धि/(कमी)	(क+ख+ग+घ)	**950,151,147**	606,655,552
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद समतुल्य		**1,481,848,563**	875,193,011
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य		**2,431,999,710**	1,481,848,563
नकद एवं नकद समतुल्य :			
हाथ में नकद		**92,808**	137,811
हाथ में चौक		**20,000**	31,501
चालू खातों में बैंक के पास शेष		**201,598,086**	122,580,396
नियत जमा (तीन मास की परिपक्वता के साथ)		**2,230,288,815**	1,359,098,855
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य		**2,431,999,710**	1,481,848,563

टिप्पण:
1. नकद एवं नकद समतुल्य में हाथ में नकद और बैंकों में शेष सम्मिलित है
2. कोष्ठकों में अंक नकद के प्रवाह को दर्शित करते हैं
3. पूर्व वर्ष के अंकों का पुनः समूहीकरण/पुनःनिर्माण किया गया है, जहां भी आवश्यक है

निदेशक बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
(सुधा वी. वरदन)	**(एन. के. शर्मा)**	**(वीनू गोपाल)**	**(एस. पी. एस. बक्शी)**
कंपनी सचिव	**कार्यकारी निदेशक (वित्त)**	**निदेशक (परियोजनाएं)**	**अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक**

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी एस ए एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट एफआरएनः 000257एन
अशीष आर्य
सदस्यता संख्या 533967

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 05 सितम्बर, 2016

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (2015–16)

टिप्पण संख्या 1

1. लेखांकन का आधार

(क) वित्तीय विवरणियां ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन वास्तविक अर्जन के आधार पर भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई हैं और उन्हें कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पाठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम 2013'') के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करने के लिए तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अंगीकार की गई लेखांकन नीतियां सिवाय निम्नलिखित के, पूर्व वर्ष के लिए अनुपालन की गई के अनुसार हैं:

संदर्भ टिप्पण संख्या	परिवर्तन की प्रकृति	वित्तीय विवरणियों की तुलना में चालू वित्तीय विवरणियों पर वित्तीय संघात
लेखांकन नीति 3 (छ)	परियोजना को कतिपय घटनाओं के होने पर बंद जाता है	वित्तीय संघात शून्य है
लेखांकन नीति 10	संदेहस्पद ऋणों/उधारों और अग्रिमों के लिए उपबंध	वर्ष का लाभ 580,77,230 रूपए कम है और अस्तियां 580,77,230 रूपए से है
सूचना सं. 2.29	सेवानिवृत्ति के पश्चात यात्रा भत्ते का उपबंध	सेवानिवृत्ति के पश्चात एक बार यात्रा भत्ते पर वर्ष 2015–16 में 2,72,939 रुपए की रकम का उपबंध किया गया

(ख) सभी आस्तियों और दायित्वों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अधिकथित अनुसूची–III के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। प्रचालनों की प्रकृति और उस समय जिसके भीतर आस्तियों को नकद या नकद समतुल्य में कारबार के साधारण प्रक्रम में प्राप्त करने की संभावना है। कंपनी ने अपने प्रचालन चक्र को आस्तियां और दायित्वों को चालू और गैर–चालू में वर्गीकृत करने के प्रयोजन के लिए 12 मास में रखा है।

2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों का साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार करना अपेक्षा करता है कि प्रबंधन आकलन और पूर्वधारणा करे कि जो आस्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करें और वित्तीय विवरण की तारीख को और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान प्रचालनों का परिणाम आकस्मिक आस्तियों और दायित्वों का प्रकटन, यदि कोई है। तथापि यह आकलन प्रबंधन की चालू घटनाओं और कार्रवाईयों की जानकारी पर आधारित है, वास्तविक परिणाम इन आकलनों और पुनरीक्षणों, यदि कोई हों, से भिन्न हो सकते हैं, इनको चालू और भावी अवधियों में मान्यता दी गई है।

3. राजस्व को मान्यता

(क) संविदा राजस्व को उस स्तर तक मान्यता दी गई है जहां तक आर्थिक फायदे कंपनी को प्राप्त होंगे और राजस्व का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सकता है। राजस्व को कार्य की समग्र लागत और संपूर्ण करने की विधि के प्रतिशत का उपयोग करते हुए समानुपात मार्जिन को जोड़कर मान्यता दी गई है। संपूर्ण

करने के प्रतिशत का अवधारण संविदा की कुल प्राक्कलित लागत की तारीख तक उपगत समानुपाती लागत का अवधारण करके किया जाता है।

(ख) वर्ष के अंत में निष्पादित किया गया कार्य किन्तु माप नहीं किया गया/भागतः निष्पादित कार्य को इंजीनियरों के प्रमाणपत्र के आधार पर गणना में की जाती है, ऐसी गणना से उदभूत प्रविष्टियों को उत्तरवर्ती लेखांकन वर्ष में विलोमतः कर दिया जाता है। तद्नुसार, वास्तविक प्राप्ति/बीजकों/दावों को जारी करने के समय कानूनी बाध्यताओं को पूरा किया जाता है।

(ग) परियोजनाओं के समय पूर्व बंद करने/समाप्त करने की दशा में राजस्व को उस संविदा मूल्य के परिमाण तक जिसकी वसूली संभावित है मान्स्ता दी जाती है।

(घ) सलाहकारी सेवाओं से राजस्व को समानुपातिक पूर्ण करना विधि के आधार पर मान्यता दी जाती है। उन मामलों की दशा में जहां दावों के समय युक्ति युक्त निश्चितता के साथ वास्तविक संग्रहण नहीं किया गया है मान्यता को संग्रहण करने के समय तक स्थगित कर दिया जाता है।

(ड.) उन संविदाओं की दशा में जहां संविदा की लागत संविदा के राजस्व से अधिक हो जाती है, अनुमान लगाई गई हानि को तुरंत मान्यंता दी जाती है।

(च) ग्राहक के साथ संविदा में बढ़ोतरी और अतिरिक्त कार्य का उपबंध किया जाता है, माध्यस्थम पंचाटों से उद्भूत दावों और बीमा दावों को प्राप्ति के आधार पर गणना में लिया जाता है।

(छ) विवाद/बातचीत और असंदेह/अप्राप्य नहीं समझे जाने वाले दावों के संबंध में संविदाकारी बाध्यताओं से उद्भूत नुकसानों को अंतिम निपटान तक गणना में नहीं लिया जाता है।

(ज) संविदा को लेखांकन प्रयोजनों के लिए अंतिम बिलिंग, चालू करने के प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक रूप से आरंभ करने, पूर्व समापन और/या क्षमापन इनमें से जो भी पहले हो, समाप्त माना जाता है।

(झ) भाटक से राजस्व को किराएदार से पट्टा करार के आधार पर सिवाय वहां जहां वास्तविक संग्रहण को संदेहस्पद समझा जाता है, उद्भूत होने के आधार पर मान्यता दी जाती है।

4. मालसूची

(i) सामग्रियां

(क) संनिर्माण सामग्रियां, उपभोज्य और भंडार एवं उपसाधनों जिसके अंतर्गत इस्पात, सीमेंट और पाइप नहीं है को क्रय के समय संविदा लागत पर प्रभारित किया जाता है। ऐसी बची हुई सामग्रियों के निपटान के लेखे विक्रय से आगतों को विक्रय के वर्ष में प्रकीर्ण आय में गणना में लिया जाता है।

(ख) इस्पात, सीमेंट और पाइपों के स्टॉक का मूल्यांकन लागत या शुद्ध प्राप्त हो सकने वाले मूल्य से कम पर किया जाता है। लागत में भाड़ा और अन्य संबंधित अनुषंगिक व्यय शामिल हैं और उनकी गणना भारित औसत लागत के आधार पर की जाती है।

(ii) चालू कार्य

चालू संनिर्माण कार्य का मूल्यांकन ऐसे समय तक लागत के आधार पर किया जाता है जब तक कार्य के परिणाम का विश्वसनीय रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है।

5. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी परियोजनाओं की वित्तीय विवरणियों को निम्नलिखित रीति में परिभाषित किया जाता है :

(i) राजस्व मदों (आय और व्यय) को भारतीय मुद्रा में क्रय दर की सुसंगत वित्त वर्ष के प्रत्येक मास के अंतिम कार्य दिवस को विद्यमान मासिक औसत के आधार पर गणना में लिया जाता है।

(ii) नियत आस्तियों और गैर–धनीय मदों को संव्यवहार की तारीख को क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

(iii) अवक्षयण को आस्तियों के मूल्य को गणना में लेने के लिए उपयोग की गई दर पर गणना में लिया जाता है जिसपर अवक्षयण की संगणना की गई है।

(iv) माल सूचियों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान क्रय दर पर गणना में लिया जाता है।

(v) धनीय मदें (आस्तियां और दायित्व) तथा आकस्मिक दायित्वों को प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान अंतिम क्रय दरों पर गणना में लिया जाता है।

गणना में लिए जाने के परिणामस्वरूप शुद्ध विनिमय विभेद की पहचान वर्ष के लिए आय या व्यय के रूप में की जाती है।

6. नियत आस्तियां

नियत आस्तियां (समग्र खंड) का ऐतिहासिक लागत पर कथन किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य और आस्ति को आशयित उपयोग के लिए क्रियाशील स्थिति में लाने के लिए अन्य आरोप्य लागत शामिल है।

7. अवक्षयण :

(क) नियत आस्तियों के अवक्षयण की संगणना आस्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–2 के अनुसार की जाती है और आस्तियों के संभावित उपयोगी जीवन के दौरान 95 प्रतिशत लागत को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

(ख) आस्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर उद्‌भूत अवक्षयण की निम्नलिखित दरों को अंगीकृत किया गया है।

क्र.सं.	आस्तियों का विवरण	अवक्षयण की दर
1	**भवन (कारखाना भवन से भिन्न) आरसीसी फ्रेम ढांचा (एनईएसडी)**	1.58%
2	**अन्य अस्थायी संनिर्माण (जिसके अंतर्गत अस्थायी ढांचा आदि हैं (एनईएसडी)**	31.67%
3	**सिविल संनिर्माण में उपयुक्त संयंत्र मशीनरी**	
3(क)(i)	कंक्रीटकरण, क्रशिंग, पाइलिंग उपस्कर और सड़क बनाने की मशीन	7.92%
3(क)(ii)(क)	100 टन से अधिक क्षमता की क्रेनें	4.75%
3(क)(ii)(ख)	100 टन से कम क्षमता की क्रेनें	6.33%
3(क)(iii)	मृदा परिचालन उपस्कर	10.56%
3(क)(iv)	अन्य जिसके अंतर्गत सामग्री हथालन/पाइपलाइन/बिल्डिंग उपस्कर (एनईएसडी)	7.92%

4	साधारण फर्नीचर और सज्जा (एनईएसडी)	9.50%
5	कार्यालय उपस्कर (एनईएसडी)	19%
6	**कम्प्यूटर और डाटा प्रसंस्करण इकाइयां (एनईएसडी)**	
6(क)	सर्वर और नेटवर्क	15.83%
6(ख)	अंतिम उपयोगकर्ता इकाइयां जैसे डैस्क टॉप, लैपटॉप आदि	31.67%
7	मोटरयान (एनईएसडी)	
7(क)	मोटरसाइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड	9.50%
7(ख)	मोटर बस, मोटर लॉरी और भाटक पर उन्हें चलाने के कारबार से भिन्न मोटर कारें	11.88%

सिवाय उन आस्तियों के संबंध में जिनके लिए कोई अतिरिक्त शिफ्ट अवक्षयण अनुज्ञात नहीं है जैसाकि उपदर्शित किया गया है, यदि किसी आस्ति का उपयोग वर्ष के दौरान किसी भी समय दोहरी शिफ्ट के लिए किया जाता है तो अवक्षयण उस अवधि के लिए 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा और तिहरी शिफ्ट के लिए अवक्षयण की संगणना उस अवधि के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी।

(ग) 5,000 रुपए या उससे कम लागत की नियत आस्तियां और मोबाइल फोन का क्रय वर्ष में पूर्णतः अवक्षयण किया जाता है।

(घ) पट्टाधृत भवन का अपाकरण पट्टे की अवधि के दौरान या विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान या उसकी संगणना कंपनी द्वारा अंगीकृत दरों पर की जाती है, इनमें से जो भी लघु हो। निरंतर पट्टे के अधीन धृत भूमि का अपाकरण नहीं किया जा रहा है और उसे लागत के आधार पर अग्रनीत किया जाता है।

8. कर्मचारी फायदे

(i) लघु अवधि कर्मचारी फायदों को वर्ष के जिसमें संबंधित सेवा दी गई है के लाभ और हानि विवरण में गैर रियायती रकम पर एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी फायदों को उस वर्ष की लाभ और हानि विवरण में जिसमें कर्मचारी ने सेवा दी है एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। व्यय को संदेय रकम के विद्यमान मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिसे वास्तविक मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके अवधारित किया जाता है। सेवानिवृत्ति के उपरांत और अन्य दीर्घावधि फायदों के संबंध में वास्तविक लाभ और हानि को लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

9. उपबंध, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां

उपबंधों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी की किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप बाध्यता हो और यह संभावना हो कि बाध्यता को निपटाने के लिए संसाधनों के ओवरफ्लो की अपेक्षा होगी और जिसके लिए एक विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। उपबंधों को उनके वर्तमान मूल्य पर रियायत नहीं दी जाती है और उनका अभिधारण तुलनपत्र की तारीख को बाध्यता का निपटान करने के लिए सर्वोत्तम आकलनों के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को उपबंधों का पुनरीक्षण किया जाता है और चालू सर्वोत्तम आकलनों को उपदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है। किसी आकस्मिक दायित्व का प्रकटन किया जाता है जब तक कि आर्थिक फायदों को मूर्त रूप देने के लिए संसाधनों के ओवरफ्लो की संभावना सुदूर न हो। आकस्मिक दायित्वों को न तो मान्यता दी जाती है, न ही उनका वित्तीय विवरणों में प्रकटन किया जाता है।

10. संदेहास्पद ऋणों/उधारों और अग्रिमों के लिए उपबंध

भारत सरकार के विभागों और पीएसई ग्राहकों से संबंधित बंद हो गई परियोजनाओं में विविध देनदारों/ऋणों और अग्रिमों की रकम को लेनदारों/ऋणों/अग्रिमों को जिस वर्ष वह देय होते हैं से 10 वर्ष तक प्राप्ति करने के लिए अच्छा समझा जाता है। इन ऋणों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है जब तक कि ग्राहक के साथ अंतिम निपटान न किया जाए या माध्यस्थम अधिकरण/न्यायालय द्वारा विवाद के मामले में निर्णय न दे दिया जाए। संदेहस्पद ऋणों/उधारों और अग्रिमों से परियोजना के आधार पर शुद्ध प्राप्ति के लिए प्रबंधन के अनुभव/निर्धारण/पूर्ववर्ती अनुभव के आधार पर आवश्यक उपबंध किए जाते हैं यदि 10 वर्ष से अधिक से बकाया हैं। व्यापार प्राप्य ऋणों और अग्रिमों को तब बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जब उनकी वसूली न की जा सकती हो।

11. खंड रिपोर्टिंग

परियोजनाओं की भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर कंपनी ने दो प्रारंभिक रिपोर्टिंग खंडों अर्थात् घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय की पहचान की है।

12. आस्तियों का क्षीण हो जाना

प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को कंपनी की आस्तियां चाहे इस बात का कोई संकेत हो कि आस्तियां क्षीण हो गई हैं। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान है तो कंपनी आस्तियों की वसूलनीय रकम का आकलन करती है। यदि आस्ति की ऐसी वसूलनीय रकम या रोकड़ सृजित करने वाली इकाई जिसकी आस्तिय है से वसूली योग्यू रकम उसकी चल रही रकम से कम है तो चल रही रकम को वसूलीय रकम से घटा दिया जाता है और कटौती को क्षीणता नुकसान माना जाता है और लाभ और हानि लेखे में इसको मान्यता दी जाती है। यदि तुलनपत्र की तारीख को यह संकेत हो कि पूर्व में निर्धारित क्षीणता नुकसान अब विद्यमान नहीं है तो वसूलनीय रकम का पुनःनिर्धारण किया जाता है और आस्ति को वसूलीय रकम में अधिकतम अवक्षयित ऐतिहासिक लागत की शर्त के अधीन रहते हुए, उपदर्शित किया जाता है और तद्नुसार लाभ और हानि लेखे में उसे विलोमतः कर दिया जाता है।

13. कराधान

वर्ष में कर के लिए उपबंध में आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 115ञख के उपबंधों के अनुसरण में संगणित संदेय बही खाता लाभ या अवधि के लिए करादेय आय के संबंध में संदेय कर की रकम को अवधारित चालू आय–कर आकलन शामिल हैं और अस्थगित कर वह अस्थायी समय विभेद का कर प्रभाव है जो करादेय और लेखांकन आय को दर्शाता है जो एक अवधि में उदभूत होती है और पश्चातवर्ती एक या अधिक अवधियों में जो विलोमतः होने के लिए सक्षम है और जिसकी संगणना सुसंगत घरेलू कर विधियों के अनुसार की जाती है।

अस्थगित कर की गणना कर दरों और तुलनपत्र की तारीख को अधिनियमित कर विधियों या पश्चातवर्ती अधिनियमित कर विधियों के आधार पर की जाती है। अस्थगित कर आसतियों को मान्यता उस सीमा तक दी जाती है जिसकी युक्तियुक्त। निश्चितता है कि भविष्य में करादेय पर्याप्त आय ऐसी अस्थगित कर आस्तियों के विरूद्ध उपलब्ध होगी जिसको वसूला जा सकेगा। अग्रनीत हानियों और अवशोषित अक्षयण के संबंध में आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जिस तक यह अभासी निश्चितता है कि पर्याप्त भावी करादेय आय उपलब्ध होगी जिससे ऐसी अस्थगित कर आस्तियों को वसूला जा सकेगा।

कर विधियों के अनुसार संदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), जो भावी आय–कर दायित्व के समायोजन के रूप में भावी आर्थिक फायदे देता है को एक आस्ति माना जाता है यदि इस बात का विश्वसनीय साक्ष्य हो कि कंपनी

भविष्य में अपना साधारण कर संदत्त करेगी। कंपनी इसका प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को पुनरीक्षण करती है और उस सीमा तक एमएटी प्रत्यय पात्रता की अग्रनीत रकम को लिखती है जिस सीमा तक इस बात का और विश्वासदायक साक्ष्य नहीं है कि कंपनी उस प्रत्यय का उपयोग विनिर्दिष्ट अवधि में करने में सफल होगी।

14. पट्टा

प्रचालित पट्टों के अधीन पट्टा संदायों को मान्यता व्यय के रूप में लाभ और हानि लेखे में सीधे रेखा आधार पर पट्टा निबंधन पर दी जाती है।

15. प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर आधारिक अर्जन की संगणना साम्या शेयरधारकों (अधिरोपणीय करों की कटौती करने के पश्चात) से संबंधित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि की अवधि के दौरान बकाया साम्या शेयरों की भारित संख्या से भाग करके की जाती है।

प्रति शेयर कम होते अर्जन की संगणना करने के प्रयोजन के लिए शेयरधारकों से संबंधित अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित संख्या को कम होते संभावित साम्या शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित कर दिया जाता है।

16. पूर्वावधि मदें और पूर्व संदत्त व्यय

पूर्वावधि से संबंधित व्यय/आय और पूर्व संदत्त व्यय जो प्रत्येक मामले में 50,000 रुपए से अधिक नहीं हैं का चालू वर्ष के व्यय/आय के रूप में उपचार किया जाता है।

टिप्पण सं. 2.1

(रकम रुपए में)

शेयर पूंजी	2015–16	2014–15
प्राधिकृत		
10/–रुपए प्रत्येक के संदत्त 90,94,04,600 साम्या शेयर (10/–रुपए प्रत्येक के संदत्त 90,94,04,600 साम्या शेयर)	**9,094,046,000**	9,094,046,000
जारी अंशधृत और पूर्णतया संदत्त		
10/–रुपए के प्रत्येक 3,54,22,688 पूर्णतया संदत्त साम्या शेयर (10/–रुपए के प्रत्येक (3,54,22,688 पूर्णतया संदत्त साम्या शेयर)	**354,226,880**	354,226,880
योग	**354,226,880**	**354,226,880**

टिप्पण 2.1 क

बकाया शेयरों की संख्या का पुनः समायोजन	2015–16	2014–15
	संख्या	संख्या
वर्ष के प्रारंभ में	**35,422,688**	35,422,688
वर्ष के अंत में	**35,422,688**	35,422,688

टिप्पण 2.1 ख

5% से अधिक प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धृत शेयरों की संख्या	2015–16		2014–15	
	शेयरों की संख्या	प्रतिशत	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भारत का राष्ट्रपति	**35,415,677**	**99.98**	35,415,677	99.98

टिप्पण सं. 2.2

(रकम रुपए में)

आरक्षित एवं अधिशेष	2015–16	2014–15
क) पूंजी आरक्षिति		
वर्ष के प्रारंभ में और अंत में शेष	**210,020**	210,020
ख) साधारण आरक्षिति		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**191,500,000**	171,500,000
जोड़ें : वर्ष के दौरान वर्धन	**20,000,000**	20,000,000
वर्ष के अंत में शेष	**211,500,000**	191,500,000
ग) सीएसआर आरक्षिति		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	–	786,493
जोड़ें : वर्ष के दौरान वर्धन	–	–
घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोजित	–	786,493
वर्ष के अंत में शेष	–	–
घ) लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**1,617,156,875**	1,451,999,261
घटाएं : कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में अंतरण में अवक्षयण	–	436,619
जोड़ें : वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**245,462,697**	270,862,063
घटाएं : प्रस्तावित लाभांश	**108,154,689**	70,845,376
घटाएं : लाभांश वितरण कर	**22,017,751**	14,422,454
घटाएं : आरक्षितियों में अंतरित	**20,000,000**	20,000,000
वर्ष के अंत में शेष	**1,712,447,132**	1,617,156,875
योग	**1,924,157,152**	1,808,866,895

टिप्पण सं. 2.3

(रकम रुपए में)

अन्य दीर्घावधि दायित्व	2015–16	2014–15
व्यापार संदेय		
– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम #	–	–
– अन्य	**886,337,858**	563,566,020
अन्य दायित्व		
– प्रतिभूति जमा, प्रतिधारण एवं ईएमडी संदेय	**2,461,179,591**	1,833,179,498
– ग्राहक से प्राप्त अग्रिम	**111,747,693**	121,156,946
– अन्य	**67,134**	109,182
योग	**3,459,332,276**	2,518,011,646

टिप्पण सं. 2.4

(रकम रुपए में)

दीर्घावधि उपबंध	2015–16	2014–15
कर्मचारी फायदा :		
– छुट्टी नकदीकरण	**111,420,118**	108,806,526
– दीर्घ सेवा पुरस्कार	**4,221,363**	4,878,341
– पश्च सेवानिवृत्ति चिकित्सा फायदे	**157,289,999**	120,540,590
– पश्च सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	**219,738**	–
योग	**273,151,218**	234,225,457

टिप्पण सं. 2.5

(रकम रुपए में)

व्यापार संदेय	2015–16	2014–15
व्यापार संदेय		
–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम #	–	–
–अन्य	**2,819,841,540**	4,055,913,891
योग	**2,819,841,540**	4,055,913,891

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के अधीन कवर किए गए निकायों से शोध्य रकम जैसकि सूक्ष्म, लघु, मध्य उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 में दिया गया है की जांच कर ली गई है और चालू वर्ष के लिए कोई प्रविष्टि नहीं पाई गई है

टिप्पण सं. 2.6

(रकम रुपए में)

अन्य चालू दायित्व	2015–2016	2014–2015
ग्राहकों से अग्रिम	**3,460,491,901**	3,965,607,217
संदेय प्रतिभूति, प्रतिधारण और जमा	**585,546,152**	653,162,680
बकाया दायित्व	**24,807,387**	30,897,661
अन्या को संदेय रकम	**1,564,637,819**	3,393,073,060
संकर्म के लिए अग्रिम राजस्व	**1,192,716,789**	858,963,871
कर्मचारियों को संदेय	**34,991,032**	75,896,245
कानूनी दायित्व	**232,747,864**	94,778,034
योग	**7,095,938,944**	9,072,378,768

टिप्पण सं. 2.7

(रकम रुपए में)

लघु अवधि उपबंध	2015–2016	2014–2015
प्रस्तावित लाभांश	**108,154,689**	70,845,376
लाभांश कर	**22,017,751**	14,422,454
कर्मचारी फायदा		
– छुट्टी नकदीकरण	**20,878,924**	19,264,617
– उपदान	**7,630,422**	4,413,112
– दीर्घ सेवा पुरस्कार	**928,093**	1,298,259
– पश्च सेवानिवृत्ति चिकित्सा फायदे	**13,074,892**	8,253,620
– पश्च सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	**53,201**	–
योग	**172,737,972**	118,497,438

टिप्पण सं. 2.8
नियत आस्तियां

(रकम रुपए में)

	विवरण	समग्र खंड					अवक्षयण / परिशोधन					शुद्ध खंड	
		अति शेष	वर्धन	समायोजन	विक्रय / बट्टे खाते में डाला गया	योग	अति शेष	वर्ष के दौरान	समायोजन	पुनः बट्टे खाते में डाला गया	योग	31 मार्च, 2016 को	31 मार्च, 2015 को
क)	**अमूर्त आस्तियां**												
	फ्री होल्डि भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	पट्टा धृत भूमि	. 1,615,856	–	–	–	**1,615,856**	–	283,104	–	–	**283,104**	**1,332,752**	1,615,856
	फ्री कोल्ड भवन	4,687,325	–	–	–	**4,687,325**	2,316,272	137,825	–	–	**2,454,098**	**2,233,227**	2,371,053
	पट्टा धृत भवन	64,181,961	–	–	–	**64,181,961**	21,739,174	1,227,919	–	–	**22,967,093**	**41,214,868**	42,442,787
	कम्यूटर और उपस्कर	44,054,437	4,374,298	(88,893)	3,543,250	**44,796,592**	37,746,243	2,784,486	(84,479)	3,356,667	**37,089,583**	**7,707,008**	6,308,193
	कार्यालय और अन्य उपस्कर	19,089,966	2,050,210	–	347,385	**20,792,791**	13,171,613	2,233,369	–	303,326	**15,101,656**	**5,691,135**	5,918,353
	संनिर्माण उपस्कर	58,845,104	4,910,832	–	–	**63,755,936**	40,991,813	1,733,649	–	–	**42,725,462**	**21,030,475**	17,853,292
	फर्नीचर एवं सज्जा	21,696,336	1,307,823	–	94,732	**22,909,427**	11,102,305	2,065,227	–	77,252	**13,090,280**	**9,819,147**	10,594,031
	वाहन	6,915,422	1,920,842	–	1,410,320	**7,425,944**	4,174,929	424,569	–	1,331,413	**3,268,085**	**4,157,859**	2,740,493
	उप–योग	**221,086,407**	**14,564,005**	**(88,893)**	**5,395,687**	**230,165,832**	**131,242,349**	**10,890,148**	**(84,479)**	**5,068,658**	**136,979,362**	**93,186,471**	89,844,058
	चालू पूंजी कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	**221,086,407**	**14,564,005**	**(88,893)**	**5,395,687**	**230,165,832**	**131,242,349**	**10,890,148**	**(84,479)**	**5,068,658**	**136,979,362**	**93,186,471**	89,844,058
ख)	**अमूर्त आस्तियां**												
	साफ्टवेयर (अर्जित)	6,794,626	148,605	88,893	–	**7,032,124**	5,487,756	524,791	84,479	–	**6,097,026**	**935,098**	1,306,869
	उप–योग	**6,794,626**	**148,605**	**88,893**	–	**7,032,124**	**5,487,756**	**524,791**	**84,479**	–	**6,097,026**	**935,098**	1,306,869
	विकासाधीन अमूर्त आस्तियां	4,098,052	1,400,991	–	–	**5,499,043**	–	–	–	–	–	**5,499,043**	4,098,052
	महायोग	**231,979,085**	**16,113,601**	–	**5,395,687**	**242,696,998**	**136,730,105**	**11,414,939**	–	**5,068,658**	**143,076,388**	**99,620,612**	95,248,980
	पूर्व वर्ष	220,259,088	13,445,356	–	1,725,360	231,979,085	127,997,297	9,961,864	436,619	1,665,674	136,730,105	95,248,980	92,261,791

टिप्पणी: वर्ष के अवक्षयण में 506,782 रुपए अवक्षयण के रूप में सम्मिलित हैं क्योंकि यह पूर्व वर्ष से संबंधित है (पूर्व वर्ष रु. कुछ नहीं)

स्कोप कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली में भवन के संबंध में कनवेंस विलेख में 37,441,925 रुपए (पूर्व वर्ष 37,441,925 रुपए) की लागत पर कंपनी के नाम से निष्पादन के लिए नियत आस्तियां लंबित हैं।

टिप्पण सं. 2.9

(रकम रुपए में)

आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	2015–2016	2014–2015
नियत आस्तियों पर अवक्षयण	**(11,732,473)**	(11,185,036)
संदेहस्पद ऋणों के लिए उपबंध	**79,945,778**	44,488,418
कर्मचारी फायदे के लिए उपबंध (एएस–15)	**41,021,332**	42,729,875
अन्य जो अनुज्ञात नहीं किया गया	**109,488**	108,536
योग	**109,344,125**	76,141,793

टिप्पण सं. 2.10

(रकम रुपए में)

दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	2015–2016		2014–2015	
(अप्रत्यक्ष अच्छा समझा गया जब तक कि अन्यथा कथित नहीं है)				
कार्य के लिए अग्रिम :				
–बीजी के विरुद्ध लिया गया स्थलीकरण अग्रिम	**95,579,520**		117,368,278	
सामग्री के विरूद्ध लिया गया	**30,248,479**		–	
अन्य अग्रिम	**450,389,106**		405,542,287	
घटाएं : संदेहस्पद अग्रिमों के लिए उपबंध	**(82,249,085)**	**493,968,020**	(83,135,826)	439,774,739
कर्मचारीवृंद उधार एवं अग्रिम*		**3,449,015**		3,408,807
प्रतिभूति प्रतिधारण एवं प्राप्य धरोहर राशि	**1,828,061,598**		1,188,009,904	
घटाए : संदेहस्पद वसूली के लिए उपबंध	**(31,526,978)**	**1,796,534,620**	(22,874,840)	1,165,135,064
वसूलनीय आयकर (आयकर के लिए उपबंध से शुद्ध)		**90,179,373**		142,046,349
अग्रिम एफबीटी		**600,139**		600,139
वसूलनीय कार्य संविदा कर		**133,558,440**		87,555,300
वसूलनीय विक्रय –कर		**11,990,560**		8,086,237
अग्रिम विक्रय –कर		**20,525,693**		20,525,693
अग्रिम सेवा कर		**900,000**		1,111,207
वसूलनीय रकम – अन्य	**422,781,100**		414,154,667	
घटाए : संदेहस्पद वसूली के लिए उपबंध	**(48,589,600)**	**374,191,500**		414,154,667
योग		**2,925,897,360**		2,282,398,202

* कर्मचारीवृंद अग्रिम में अधिकारियों को 9,60,443/–रुपए का अग्रिम शामिल है (पूर्ववर्ती वर्ष 796,696/–रुपए)

टिप्पण 2.11

(रकम रुपए में)

अन्य गैर–चालू आस्तियां	2015–2016		2014–2015	
(अच्छा समझा गया अप्रत्यभूत)				
व्यापार वसूलनीय बकाया के लिए :				
– छह मास से अधिक	**711,540,853**		556,431,416	
घटाएं : संदेहस्पद नामे डालने के लिए उपबंध	**(68,638,089)**	**642,902,764**	(22,538,855)	533,892,561
योग		**642,902,764**		533,892,561

टिप्पण सं. 2.12

(रकम रुपए में)

मालसूचियां	2015–2016	2014–2015
सामग्रियां : (लागत से निम्न या एनआरवी)		
– इस्पात	**65,281,375**	104,757,172
– सीमेंट	**982,334**	3,066,497
– पाइप	**19,275,860**	27,705,428
योग	**85,539,569**	135,529,097

टिप्पण सं. 2.13

(रकम रुपए में)

व्यापार वसूलनीय	2015–2016	2014–2015
(अच्छा समझा गया अप्रत्यभूत)		
निम्नलिखित के लिए प्राप्त व्यापार बकाया :		
– छह मास से कम	**1,210,220,151**	2,396,163,896
– छह मास से अधिक	**499,958,695**	553,198,592
योग	**1,710,178,846**	2,949,362,488

टिप्पण सं. 2.14

(रकम रुपए में)

नकद और बैंक शेष	2015–2016		2014–2015	
नकद एवं नकद के समतुल्य :				
हाथ में नकद		**92,808**		137,811
हाथ में चैक		**20,000**		31,501
बैंक में शेष				
– चालू खाते में*	**201,598,086**		122,580,396	
– नियम जमा (3 मास की परिपक्वता तक)**	**2,230,288,815**	**2,431,886,901**	1,359,098,855	1,481,679,251
अन्य बैंक शेष :				
नियत जमा** (मार्जिन धन/धरोहर राशि के लिए गिरवी रखा गया)	**64,992,279**		63,178,801	
नियत जमा** (3 मास से अधिक परिपक्वाता के साथ किंतु 12 मास से कम)	**569,046,334**		494,676,520	
योग		**3,066,038,322**		2,039,703,884

* चालू खाते में ग्राहक के निमित 35,156,148 रुपए (पूर्व वर्ष 27,661,809 रुपए) जमा के रूप में रखा गया है।

** चालू खाते में ग्राहक के निमित 1,912,004,574 रुपए (पूर्व वर्ष 135,33,37,869 रुपए) जमा के रूप में रखा गया है।

टिप्पण सं. 2.15

(रकम रुपए में)

लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	2015–2016		2014–15	
(अप्रत्याभूत अच्छा समझा गया सिवाय अन्यथा कथन के)				
कार्य के लिए अग्रिम :				
– बीजी के विरुद्ध कार्य के लिए प्राप्त किया गया अग्रिम	**926,708,437**		1,872,973,139	
– सामग्री के विरुद्ध प्राप्त किया गया	**274,213,435**		338,809,031	
– अन्य अग्रिम	**1,604,034,248**	**2,804,956,120**	1,192,658,425	3,404,440,595
वसूलनीय कार्य संविदा कर –		**220,014**		229,464
अग्रिम विक्रय कर		**45,419,285**		23,004
अग्रिम सेवा कर		**46,315,422**		933,948
कर्मचारीवृंद ऋण एवं अग्रिम		**3,016,139**		2,530,478
प्राप्य प्रतिभूति प्रतिधारण एवं धरोहर धन		**433,148,986**		730,057,183
योग		**3,333,075,966**		4,138,214,672

टिप्पण सं. 2.16

(रकम रुपए में)

अन्य चालू आस्तियां	2015–2016	2014–15
उद्भूत ब्याज किंतु बैंक जमा में शोध्य नहीं	**50,962,335**	23,047,081
पूर्व संदत्त व्यय	**41,189,545**	51,872,718
अन्य से वसूलनीय	**703,115,032**	1,873,069,582
राजस्व जिसका बीजक नहीं बनाया गया है	**3,331,521,506**	3,963,639,918
योग	**4,126,788,418**	5,911,629,299

टिप्पण सं. 2.17

(रकम रुपए में)

प्रचालनों से राजस्व	2015–2016	2014–2015
किए गए कार्य का मूल्य*	**12,930,681,145**	10,295,463,454
सलाहकारी फीस	—	4,561,963
अन्य प्रचालन आय	**23,963,244**	12,795,969
योग	**12,954,644,389**	10,312,821,386

* कार्य को समयपूर्व बंद करने/कार्य में कमी के कारण चालू वर्ष के लिए आवर्त को 1,252,677,011 रुपए से और लाभ को 69,070,911 रुपए से कम कर दिया गया है।

टिप्पण सं. 2.18

(रकम रुपए में)

अन्य आय	2015–2016		2014–2015	
निम्नलिखित से अर्जित ब्याज आय :				
बैंक में जमा	**71,429,499**		27,514,613	
कर्मचारीवृंद अग्रिम	**275,539**		358,650	
अन्य(उप–ठेकेदारों/ग्राहक/आय–कर प्रतिदाय)	**165,414,698**	**237,119,736**	205,220,431	233,093,694
अन्य गैर–प्रचालन आय				
खर्च न किया गया दायित्व/बट्टे खाते में डाला गया शेष	**11,098,835**		8,665,497	
प्रकीर्ण आय	**27,657,192**		25,223,759	
पूर्वावधि अन्य आय	**1,420,296**	**40,176,323**	—	33,889,256
योग		**277,296,059**		266,982,950

टिप्पण सं. 2.19

(रकम रुपए में)

प्रचालन व्यय	2015–2016	2014–2015
सिविल, मैकेनिकल, वैद्युत कार्य	**11,234,108,462**	8,938,566,224
डिज़ाइन एवं सलाहकारी प्रभार	**137,954,909**	92,288,774
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	**268,598,474**	130,519,326
संदत्त दावे	**3,344,277**	11,246,982
स्वामित्व	**5,435,522**	4,017,026
परिनिर्धारित संदत्त नुकसान	—	103,293
पूर्वावधि प्रचालन व्यय	**(179,098)**	(15,040,159)
योग	**11,649,262,546**	9,161,701,466

टिप्पण सं. 2.20

(रकम रुपए में)

कर्मचारी पारिश्रमिक और फायदे	2015–2016		2014–2015	
	प्रचालन	प्रशासनिक	प्रचालन	प्रशासनिक
वेतन एवं भत्ते	**280,189,439**	**313,096,461**	233,886,904	323,128,166
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	**18,203,633**	**24,401,565**	15,707,612	25,199,349
चिकित्सा व्यय	**4,930,250**	**77,938,294**	5,902,348	36,460,212
राजभाषा व्यय	—	**1,128,061**	—	472,038
छुट्टी नकदीकरण	—	**35,502,633**	—	25,309,925
उपदान	—	**7,630,422**	—	4,413,112
कर्मचारी कल्याण व्यय	**12,504,011**	**9,536,941**	9,237,297	9,688,257
पूर्वावधि कर्मचारी पारिश्रमिक और फायदे	—	—	—	234,335
योग	**315,827,333**	**469,234,377**	264,734,161	424,905,394
कुल प्रचालन एवं प्रशासनिक		**785,061,710**		689,639,555

टिप्पण संख्या 2.21

(रकम रुपए में)

वित्तीय लागत	2015–2016	2014–2015
निम्नलिखित को संदत्त ब्याज :		
– बैंक	**23,316,483**	29,193,746
– अन्य	**34,776,494**	41,421,461
योग	**58,092,977**	70,615,207

टिप्पण सं. 2.22

(रकम रुपए में)

अन्य व्यय	2015–2016		2014–15	
	प्रचालन	प्रशासनिक	प्रचालन	प्रशासनिक
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**3,457,768**	**7,224,611**	3,225,112	6,831,851
दर एवं कर	**18,217**	**4,285,803**	133,345	3,260,956
डाक व्यय एवं दूरसंचार	**4,222,165**	**9,206,677**	3,384,106	10,660,925
कार्यालय मरम्मत एवं अनुरक्षण	**7,225,200**	**20,694,673**	6,584,128	22,171,714
मरम्मात एवं अनुरक्षण नियत आस्तियां	**82,624**	**345,387**	26,024	248,336
भवन की मरम्मत	—	**1,724,279**	—	9,23,244
जल, विद्युत एवं ईंधन प्रभार	**1,662,285**	**18,985,101**	2,069,111	11,587,311
निविदा व्यय	**630**	**2,755,581**	78,802	3,552,273
विज्ञापन एवं प्रचार	**772,603**	**8,236,342**	—	6,257,007
विधिक और व्यावसायिक प्रभार	**3,701,706**	**33,345,668**	4,351,368	30,028,775
बीमा	**1,207,227**	**1,276,095**	1,325,986	1,280,960
मनोरंजन	**866,908**	**1,513,803**	592,489	1,300,026
बैंक प्रभार	**5,292,169**	**2,417,593**	13,271,793	3,087,268
वाहन चलाना एवं अनुरक्षण	**392,533**	**2,899,756**	427,763	3,383,558
जन शक्ति विकास	—	**1,843,090**	—	1,112,427
नियत आस्तियों की बिक्री पर हानि	—	**150,574**	—	3,967
प्रायोजन फीस	—	**11,500**	—	11,236
यात्रा एवं अन्य अनुषंगी व्यय (घरेलू)	**41,487,537**	**36,959,492**	35,953,489	33,857,512
यात्रा एवं अन्य अनुषंगी (विदेशी)	—	**10,693,855**	—	5,068,715
सीएसआर एवं भरणीयता	—	**3,096,066**	—	1,625,173
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	—	**2,334,315**	—	2,271,346
कारबार संवर्धन	**489,095**	**1,480,366**	278,941	2,477,044
कार्यालय भाटक	**5,567,840**	**4,715,047**	5,008,498	3,777,302
कम्प्यूटर व्यय	**127,118**	**4,579,261**	76,061	3,916,631
सदस्यता एवं अंशदान फीस	**1,000**	**754,916**	1,000	1,372,267
फाइलिंग एवं रजिस्ट्रीकरण फीस	**36,969**	**8,754,231**	91,183	22,767
संदेहस्पद ऋणों, उधारों एवं अग्रिमों के लिए उपबंध	**58,077,230**	—	—	—
बट्टे खाते में डाली गई रकम	**522,823**	**4,311,752**	75,483	3,346,377
बट्टे खाते में डाली गई आस्तियां	—	—	—	44,197
विदेशी मुद्रा में परिवर्तन (लाभ)/हानि	—	**10,823,160**	—	(11,943,813)
प्रकीर्ण व्यय	**2,324,531**	**3,160,654**	1,873,458	2,825,150
पूर्वावधि अन्य व्यय	—	**75,000**	(135,000)	2,761,000
योग	**137,536,178**	**208,654,648**	78,693,138	157,123,502
कुल प्रचालन एवं प्रशासनिक		**346,190,826**		235,816,640

यात्रा और अन्य अनुषंगी व्ययों में स्थल पर कठोर जीवनयापन व्यय के 9,756,985 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 10,092,808 रुपए) निदेशकों के यात्रा व्यय 7,062,104 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 5,915,517 रुपए) शामिल हैं।

(रकम रुपए में)

लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	2015–2016	2014–2015
लेखापरीक्षा	**1,415,422**	1,384,837
फीस कर	**332,981**	330,079
लागत लेखापरीक्षा	**57,443**	56,430
अन्य व्यय	**528,469**	500,000
योग	**2,334,315**	2,271,346

(रकम रुपए में)

पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	2015–2016		2014–2015	
	प्रचालन	प्रशासनिक	प्रचालन	प्रशासनिक
आय				
प्रचालन आय	**179,098**	–	–	–
अन्य आय	–	**1,420,296**	–	–
घटाएं : व्यय				
प्रचालन व्यय	–	–	(15,040,159)	–
कर्मचारी पारिश्रमिक और फायदे	–	–	–	234,335
अवक्षयण	–	–	–	–
ब्याज	–	–	–	–
विधि एवं व्याावसायिक	–	**75,000**	–	–
अन्य	–	–	(135,000)	2,761,000
योग	**179,098**	**1,345,296**	15,175,159	(2,995,335)

टिप्पण सं. 2.23

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	आकस्मिक दायित्व	31.03.16 की स्थिति के अनुसार	31.03.15 की स्थिति के अनुसार
1.	विविध और माध्यस्थम की बाबत		
क	अधिनिर्णयन के लिए लंबित दावे, उसके लिए रकम तब ली गई है जब युक्तियुक्त रूप से उसका पता लगाया जा सके।	**4,270,330,598**	4,633,276,434
ख	उन मामलों के संबंध में जहां पंचाट कंपनी के पक्ष में प्रकाशित किया गया है किन्तु प्रतिपक्ष ने अपील कर दी है।	**120,104,234**	99,291,791
2	ग्राहकों को जारी क्षतिपूर्ति बंद पत्रों के संबंध में	–	11,000,000
3	विवाद/अपीलों के अधीन पूरे किए गए निर्धारणों के संबंध में विक्रय कर/संकर्म संविदा कर/सेवा कर की मांग के संबंध में।	**380,051,544**	188,790,585

पूर्वोक्त के विरूद्ध कंपनी के प्रति दावे हैं

टिप्पण सं. 2.24

पूंजी लेखे में निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की प्राक्कलित रकम और जिसके लिए ईआरपी के कार्यान्वयन के लेखे 12,511,711 रुपए के लिए उपबंध नहीं किया गया है। (पूर्ववर्ती वर्ष 13,363,509 रुपए)।

टिप्पण सं. 2.25

विदेशी मुद्रा में व्यय :

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	31.03.16 को समाप्त वर्ष	31.03.15 को समाप्त वर्ष
1	प्रचालन व्यय	**4,244,355,716**	5,048,576,942
2	व्यावसायिक एवं सलाह प्रभार	**33,097,498**	41,430,584
3	विदेशी मुद्रा में फेरफार नुकसान	**10,574,739**	–
4	नियत आस्तियों का क्रय	**421,523**	820,684
5	**प्रशासनिक एवं अन्य व्यय**		
क	यात्रा	**7,089,489**	7,097,684
ख	प्रशिक्षण व्यय	**87,502**	1,582,732
ग	अन्य	**77,124,535**	44,879,424
	योग	**4,372,751,002**	5,144,388,049

विदेशी मुद्रा में अर्जनः

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	31.03.16 को समाप्त वर्ष	31.03.15 को समाप्त वर्ष
1	कार्य प्राप्तियां	**4,977,754,198**	5,914.180,245
2	ब्याज से आय	**12,037,989**	5,312,459
3	विदेशी मुद्रा में परिवर्तन से लाभ	—	11,943,813
4	अन्य	**3,136,809**	36,620
	योग	**4,992,928,996**	5,931,473,138

वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान ओमान एवं श्रीलंका से प्राप्त अधिक्य 835,839,755 रुपए जो 12,908,450 अमरीकी डालरों के बराबर है (पूर्ववर्ती वर्ष 825,549,625 जो 13,350,000 अमरीकी डालरों के बराबर है)।

टिप्पण 2.26

क) कंपनी ने बैंकों से बिना किसी प्रतिभूति के 6,533,565,535 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 6,092,895,671 रुपए) की गैर–निधि आधारित प्रत्यय सीमा ली है।

ख) 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी ने 64,992,279 रुपए की रकम (पूर्ववर्ती वर्ष 63,178,801 रुपए)। के नियत जमा को ग्राहकों/अन्य के पास धरोहर राशि जमा/प्रतिभूति जमा के रूप में गिरवी रखा है जिसमें से 5,000,000 रुपए के नियत जमा जिसे ग्राहकों के पास प्रस्तु त किया गया है विवादाधीन है, मामला न्यायालय के अधीन है।

टिप्पण सं. 2.27

कंपनी ने दो प्रारंभिक खंडों की पहचान की है अर्थात् घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तद्नुसार, खंड सूचना नीचे दिए अनुसार है :

प्रारंभिक खंड सूचना (भौगोलिक)

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	31 मार्च, 2016				31 मार्च, 2015			
	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	अन–आबंटित	योग	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	अन–आबंटित	योग
कारोबार की किस्म	संनिर्माण				संनिर्माण			
प्रचालनों से राजस्व	7,976,890,190	4,977,754,199	—	**12,954,644,389**	4,398,641,142	5,914,180,245	—	10,312,821,386
अन्य आय	158,174,490	15,174,799	103,946,770	**277,296,059**	228,869,407	5,349,079	32,764,464	266,982,950
कुल आय	**8,135,064,680**	**4,992,928,997**	**103,946,770**	**13,231,940,447**	**4,627,510,549**	**5,919,529,324**	**32,764,464**	**10,579,804,336**
परिणाम								
अवक्षयण, ब्याज और कर से पूर्व लाभ	220,294,614	372,436,873	(141,306,121)	**451,425,365**	69,393,201	486,230,435	(62,976,963)	492,646,674
ब्याज	34,776,067	122,119	23,194,790	**58,092,977**	41,418,347	—	29,196,860	70,615,207
अवक्षयण	5,973,935	848,648	4,592,357	**11,414,940**	5,391,858	485,584	4,084,422	9,961,864
कर से पूर्व लाभ	179,544,612	371,466,105	(169,093,268)	**381,917,449**	22,582,997	485,744,852	(96,258,244)	412,069,604
कर व्यय				**136,454,752**	—	—	—	141,207,541
कर के पश्चात	179,544,612	371,466,105	(169,093,268)	**245,462,697**	22,582,997	485,744,852	(96,258,244)	270,862,063
अन्य सूचना								
कुल आस्तियां	12,239,392,237	2,029,742,439	1,830,251,306	**16,099,385,982**	14,200,273,507	3,107,306,444	854,541,023	18,162,120,975
नियत आस्तिया (शुद्ध खंड)	34,732,538	5,342,253	59,545,820	**99,620,612**	33,407,630	2,077,693	59,763,657	95,248,980
कुल दायित्व	11,047,189,405	2,232,453,706	541,358,841	**13,821,001,953**	12,430,802,887	3.103,105,292	465,119,022	15,999,027,201
पूंजी व्यय, नियत आस्तियां	7,400,111	4,113,209	4,600,281	**16,113,600**	6,791,624	820,684	5,833,049	13,445,356

टिप्पण सं. 2.28

लेखांकन मानक 7, 'संनिर्माण संविदाएं' की अपेक्षाओं के अनुसरण में प्रकटनः

(रकम रुपए में)

क्रम सं.	विशिष्टियां	31.03.16 को समाप्त वर्ष	31.03.15 को समाप्त वर्ष
1	प्रचालनों से राजस्व	**12,954,644,389**	10,312,821,386
2	रिपोर्ट की तारीख तक उपगत संविदा लागत और गणना में लिया गया लाभ	**68,152,128,877**	55,547,810,810
3	प्राप्त अग्रिम	**3,572,239,594**	4,086,764,163
4	संविदा संकर्म के लिए ग्राहकों से शोयर समग्र रकम – जिसे आस्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है	**3,331,521,506**	3,963,639,918
5	संविदा संकर्म के लिए ग्राहकों को शोयर समग्र रकम – जिसे दायित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है	**1,192,716,789**	858,963,871
6	प्राप्य, प्रतिधारण धन	**2,158,358,893**	1,809,829,253

टिप्पण सं. 2.29

कर्मचारी फायदे :

कंपनी ने नीचे दिए अनुसार विभिन्न कर्मचारी फायदों को वर्गीकृत किया है :

क) भविष्य निधि में 40,896,431 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 38,380,779 रुपए) के अंशदान को लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया गया है। इसके अतिरिक्त निधि में वर्ष के लिए जिसे लाभ और हानि लेखे पर प्रभारित किया गया है, 1,265,535 रुपए के ब्याज की कमी है (पूर्ववर्ती वर्ष 1,920,013 रुपए)।

ख) कंपनी उपदान, दीर्घावधि प्रतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा और दीर्घ सेवा प्रदान करने के लिए भी वास्तविक आधार पर परितोषिक का उपबंध करती है।

i) परिभाषित फायदा बाध्यता में परिवर्तन

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
छूट की दर	7.91% (9.00%)	7.91% (9.00%)	7.91% (9.00%)	7.91% (9.00%)	7.91% –
प्रतिकर स्तरों में वृद्धि की दर/प्रीमियम मुद्रास्फीति/ यात्रा लागत*	5.00%	5.00%	–	0.50%	3.00%
आस्तियों पर रिटर्न की संभावित दर*	7.91%	–	–	–	–
सेवानिवृत्ति आयु*	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष
मृत्यु सारणी*	एलएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट	एलएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट	एलएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट	सेवानिवृत्ति पूर्व एलएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट सेवानिवृत्ति पश्चः एलआईसी (1996–98) यूएलटी	एलएएलएम (2006–08) अल्टीमेंट
प्रति जोड़े की दर से औसत प्रतिदाय	–	–	–	53,894 रुपए	–
	–	–	–	(46,060 रुपए)	–
आयु*	कर्मचारी कारोबार (%)				
30 वर्ष तक	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
31 से 44 वर्ष	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
44 से ऊपर	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

* गत वर्ष के अनुसार

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
वर्ष के प्रारंभ में प्रक्षेपित फायदा बाध्यता	139,897,910 (145,580,147)	128,071,143 (124,911,989)	6,176,600 (6,673,650)	128,794,211 (122,972,341)	–
चालू सेवा लागत	10,688,978 (12,015,661)	7,720,582 (7,961,890)	350,973 (356,839)	5,836,205 (4,675,849)	272,939 –
ब्याज लागत	11,958,632 (12,897,561)	11,006,921 (10,966,783)	513,266 (569,572)	11,482,695 (11,178,270)	– –
बीमा (लाभ)/हानि	(4,223,917) ((8,454,638))	16,775,130 (6,381,252)	(743,306) (289,810)	47,631,745 (8,405,230)	– –
बीमा समायोजन	1,643,584	–	–	–	–
संदत्त फायदा	(22,531,027) ((21,960,821))	(31,274,734) ((22,150,771))	(1,148,077) ((1713270))	(23,379,965) ((18,435,479))	– –
वर्ष के अंत में प्रक्षेपित फायदा बाध्यता	137,434,160 (139,897,910)	132,299,042 (128,071,143)	5,149,456 (6,176,600)	170,364,891 (128,794,211)	272,939 –

ii) योजना आस्तियां के न्यायोचित मूल्म में परिवर्तन (उपदान)

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	2015–16 (वित्तपोषित)	2014–15 (वित्तपोषित)
अवधि के प्रारंभ में आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	**135,484,798**	144,994,542
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न	**11,378,326**	11,273,382
बीमा अभिदाय	**4,413,112**	385,605
बीमा लाभ/(हानियां)	**(585,055)**	792,090
संदत्त फायदे	**(22,531,027)**	(21,960,821)
अर्जन समायोजन	**1,643,584**	–
अवधि के अंत में आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	**129,803,738**	135,484,798

iii) तुलनपत्र में मान्यता दी गई

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
वर्ष के अंत में परिभाषित फायदा बाध्यदता	137,434,160 (139,897,910)	132,299,042 (128,071,143)	5,149,456 (6,176,600)	170,364,891 (128,794,211)	272,939 –
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का न्यायोचित मूल्य	129,803,738 (135,484,798)	– –	– –	– –	– –
वित्त पोषित प्रास्थियति आस्ति/(दायित्व)	(7,630,422) ((4,413,112))	(132,299,042) ((128,071,143))	(5,149,456) ((6,176,600))	(170,364,891) ((128,974,211))	(272,939) –
तुलन पत्र में मान्यता प्रदान की गई शुद्ध (दायित्व)/आस्तियां	(7,630,422) ((4,413,112))	(132,299,042) ((128,071,143))	(5,149,456) ((6,176,600))	(170,364,891) ((128,974,211))	(272,939) –

iv) लाभ एवं हानि लेखे में मान्यता दिए गए व्यय

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	उपदान	दीर्घवधि अनुकम्पा अनुपस्थिति	दीर्घ सेवा पुरस्कार	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा फायदा	सेवानिवृत्ति उपरांत यात्रा भत्ता
	(वित्तपोषित)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)	(वित्तपोषित नहीं)
चालू सेवा लागत	10,688,978 (12,015,661)	7,720,582 (7,961,890)	350,973 (356,839)	5,836,205 (4,673,849)	272,939 –
ब्याज की लागत	11,958,632 (12,897,561)	11,006,921 (10,966,783)	513,266 (569,572)	11,482,695 (11,178,270)	– –
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न	(11,378,326) ((11,273,382))	– –	– –	– –	– –
अवधि में मान्यता दिया गया शुद्ध बीमा (लाभ)/हानि	(3,638,863) ((9,226,728))	16,775,130 (6,381,252)	(743,306) (289,810)	47,631,745 (8,405,230)	– –
लाभ और हानि लेखे में मान्यता दिए गए कुल व्यय	7,630,422 (4,413,112)	35,502,633 (25,309,925)	120,933 (984,488)	64,950,645 (37,460,379)	272,939 –

पूर्ववर्ती वर्ष के अंकों को इटैलिक्स एवं कोष्ठकों में उपदर्शित किया गया है ( )

टिप्पण सं.2.30

संबंधित पक्षकार प्रकटन

कंपनी (लेखांकन) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानक 18, 'संबंधित पक्षकार प्रकटन' के अनुसार संबंधित पक्षकारों के नामों के साथ प्रबंधन द्वारा पहचाने गए और प्रमाणित संव्यवहार की समग्र रकम और वर्ष के अंत में शेष निम्नानुसार दिया गया है :

i) प्रमुख प्रबंध कार्मिक जिसके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार किया गया था :

श्री एस.पी.एस बक्शी, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
श्री वीनू गोपाल, निदेशक (परियोजनाएं)*
श्री ए.वी.वी. कृष्णन, निदेशक (वित्त) (30.11.2015 तक)
श्री के.एस. राव, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक
श्री सुशांत बालिगा अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक
श्रीमती अनिता चौधरी, अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक
*निदेशक (वित्त) का तारीख 01.12.2015 से 31.05.2016 तक अतिरिक्त प्रभार धारण किया है।

निम्नलिखित संव्यवहार संबंधित पक्षकारों के साथ कारोबार के साधारण प्रक्रम में किए गए थे :

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	2015–16	2014–15
वेतन	**9,320,268**	7,223,577
भविष्य निधि में अंशदान	**634,289**	667,512
मकान किराया	**1,379,430**	1,520,506
चिकित्सा व्यय	**658,448**	303,1 12
बैठक फीस	**245,000**	155,000

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों को प्रति मास 1,000 किलोमीटर तक गैर–शासकीय यात्रा के लिए 2000 रुपए प्रति मास की दर से कंपनी की कार का उपयोग करना अनुज्ञात है। कंपनी के नियमानुसार उपदान और प्रतिकर अनुपस्थितियां भी संदेय हैं।

टिप्पण सं. 2.31

31 मार्च की स्थिति के अनुसार संनिर्माण सामग्री के स्टॉक के मात्रात्मक ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :

विशिष्टियां	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार	
	मात्रा (एमटी)	मूल्य (रुपए)	मात्रा (एमटी)	मूल्य (रुपए)
सीमेंट	**173.85**	**982,334**	570.92	3,066,497
इस्पात	**1,530.89**	**65,281,375**	2,212.21	104,757,172
इस्पात पाइप	**58856(आरएमटी)**	**19,275,860**	93142.22(आरएमटी)	27,705,428

टिप्पण सं. 2.32

रद्दकरणीय प्रचालन पट्टा के अधीन वर्ष के लिए पट्टा भाटक व्यय 10,282,887 रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 8,785,799 रुपए) है को लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया गया है।

टिप्पण सं. 2.33

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 में यथापरिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम निकायों को देय रकम की पहचान इन निकायों से प्राप्त पुष्टियों के आधार पर और कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर की गई है। इन पहचाने गए निकायों को वर्ष के दौरान किसी एक समय संदेय कोई रकम 45 दिन से अधिक के लिए देय नहीं थी।

टिप्पण सं. 2.34

कंपनी भारी उद्योग और लोक उपक्रम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के पत्र संख्याभ एफ सं. 16,(1)/2010–टीएसडब्यू तारीख 10 जून, 2010 के द्वारा निदेश के अनुसरण में अविनिधान की प्रक्रिया में है। अविनिधान के लंबन के दौरान निम्नलिखित कार्रवाइयां पहले ही कर ली गई हैं :

1) कंपनी के ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में संशोधन किया गया और कंपनी को 09.12.2010 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करने को पूरा किया गया।

2) विद्यमान 38.95 रुपए प्रत्येक मूल्ये के कंपनी के साम्या शेयरों को 10/–रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य में विभाजित करने को तारीख 30.09.2011 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में पूरा कर लिया गया था।

3) सभी शेयरों धारकों को उनके भौतिक शेयरों को डीमैटिरियालाइज करने का विकल्प प्रदान किया गया था। तथापि, शेयरों को भौतिक रूप में धारण करना जारी रखा गया और

4) शेयरों के लिए बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करने के लिए ईपीआई के आकस्मिक दायित्वों में कमी करना।

टिप्पण सं. 2.35

'उपबंध, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक आस्तियां' पर लेखांकन मानक–29 के अधीन प्रकटन : उपबंधों में संचलन

(रकम रुपए में)

विशिष्टियां	अतिशेष	वर्ष के दौरान किया गया उपबंध	वर्ष के दौरान संदत्त/समायोजित	बट्टे खाते में डाले गए उपबंध	इतिशेष
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi) = (ii+iii+iv-v)
आय–कर	70,845,376	108,154,689	70,845,376	–	108,154,689
लाभांश	14,422,454	22,017,751	14,422,454	–	22,017,751
लाभांश कर	128,549,521	102,454,231	–	–	231,003,751
परियोजना आकस्मिकताएं	267,455,065	108,477,572	60,215,888	–	315,716,749
योग	**481,272,416**	**341,104,243**	**145,483,718**	–	**676,892,940**
पूर्ववर्ती वर्ष	462,538,066	144,677,035	125,570,673	372,012	481,272,416

टिप्पण सं. 2.36

प्रबंधन ने निर्धारण किया और पाया कि नियत आस्तियों के मूल्य में कोई कमी नहीं आई है।

टिप्पण सं. 2.37

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के उपबंधों के अनुसरण में, कोई कंपनी जो लागू होने के सीमा को पूरा करती है से निगम सामाजिक उत्तारदायित्व पर तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 प्रतिशत को व्यय करने की अपेक्षा है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर 4,242,421 रुपए को व्यय करने की अपेक्षा है। वर्ष के दौरान व्यौय की गई रकम इस प्रकार है :

विशिष्टियां	नकद में	नकद में अभी संदत्त किया जाना है	योग
किसी आस्ति का संनिर्माण/अर्जन			
पूर्वोक्ति (i) से भिन्न प्रयोजनों पर	3,096,066	–	3,096,066

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर रकम जो खर्च नहीं की गई है 1,146,355 रुपए है।

टिप्पण सं. 2.38

वर्ष के दौरान कंपनी संदिग्ध ऋणों/ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान पर अपने लेखांकन नीति नहीं, 10 बदल गया है। नतीजतन, संदिग्ध डेबिट/ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान के कारण चालू वर्ष खर्च कर रहे हैं 580,77,230 वर्तमान वर्ष के लाभ से अधिक 580,77,230 से कम है और संपत्ति कंपनी के 580,77,230 से कम कर रहे हैं।

टिप्पण सं. 2.39

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कार्यनिर्ष्पादन से संबंधित वेतन/अपेक्षित सूचना की अनुपलब्धता के कारण कतिपय कर्मचारियों को जारी होने के लिए लंबित वेतन आयोग का बकाया के मद्दे 3,511,339 रुपए (पूर्व वर्ष 3,511,339 रुपए) की रकम लंबित है।

टिप्पण सं. 2.40

प्रति शेयर आधारिक और कम किए गए अर्जन की संगणना कर के पश्चात लाभ 245,462,697 रुपए (पूर्व वर्ष 270,862,063 रुपए) को 35,422,688 के 10/–रुपए प्रत्येक पूर्णतः संदत्त साम्य शेयरों को विभाजित करके की जाती है।

	2015–16	2014–15
प्रति शेयर आधारिक और कम किया गया अर्जन (रुपए)	**6.93**	7.65

टिप्पण सं. 2.41

पूर्व वर्ष के अंकों का पुनःवर्गीकरण/समूहिकरण किया गया है ताकि वह चालू वर्ष के वर्गीकरण/सामूहिकरण के अनुरूप हो सकें।

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

ह0/–	ह0/–	ह0/–	ह0/–
(सुधा वी. वरदन)	**(एन. के. शर्मा)**	**(वीनू गोपाल)**	**(एस. पी. एस. बक्शी)**
कंपनी सचिव	**कार्यकारी निदेशक (वित्त)**	**निदेशक (परियोजनाएं)**	**अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक**

कृते जी एस ए एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएनः 000257एन

ह0/–
अशीष आर्य
सदस्यता संख्या 533967

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 05 सितम्बर, 2016

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के वर्ष 2015–16 के लेखाओं पर भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक की टिप्पणियां।

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड की 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। भारत के नियंत्रण महोलखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन नियुक्त कानूनी निदेशक अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणियों पर अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित संपरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह कथन किया जाता है कि उनके द्वारा ऐसा तारीख 5 सितम्बर, 2016 की लेखापरीक्षा में किया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की ओर से इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, की 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 143(6) (क) के अधीन अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से कानूनी लेखापरीक्षकों के कार्यशील पेपरों तक बिना किसी पहुंच के संचालित की है और यह मुख्यतः कानूनी लेखापरीक्षकों के प्रश्नों तक और कम्पनी के कार्मिकों तक तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित थी। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर कुछ भी महत्वपूर्ण मेरी जानकारी में नहीं आया जो कानूनी लेखापरीक्षकों पर किसी टिप्पणी को उद्भूत करें या उसका अनुपूरक हो।

भारत के महालेखा नियंत्रक और परीक्षक और उनकी ओर से

ह०/–
(नीलेश कुमार साह)
मुख्य वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–1,
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 29 सितम्बर, 2016

आधारभूत संरचना के विकास एवं
टर्नकी परियोजना के निष्पादन में
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी उपक्रम

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि.

(भारत सरकार का उद्यम)

कोर 3, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003

फोन नं. : +91–11–24361666, फैक्स : +91–11–24363426

ई–मेल : epico@engineeringprojects.com वेबसाइट : www.engineeringprojects.com

Printed at : Indu Cards & Graphics, Chawri Bazar, Delhi-06 M. 9811419531